वार्षिक रिपोर्ट

2013-14

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

okf"kld fjikVl

2013-14

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku

lDVj&24] uk,Mk & 201 301 ¼m- i-½

प्रकाशक : वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा – 201 301, उ.प्र.

प्रतियों की संख्या : 150

मुद्रण स्थान : चन्दू प्रेस, डी–97, शकरपुर
दिल्ली – 110 092

fo"k; & lph

- çEk[k miyfC/k;k 1
- fotu vkj fe’ku 4
- lLFkku dk vf/kn’k 5
- lLFkku dh ljpuk 6
- vul/kku 10
  - Je cktkj v/;;u dn 11
  - jktxkj lc/k vkj fofu;eu dn 20
  - Ñf"k lc/k vkj xkeh.k Je dn 23
  - jk"Vh; cky Je llk/ku dn 26
  - lefdr Je bfrgkl vul/kku dk;Øe 37
  - Je ,o LokLF; v/;;u dn 42
  - fyx ,o JEk dn 45
  - iokÙkj dn 50
  - Tkyok; ifjorlu vkj Je dn 52
  - vrjk"Vh; uVofdx dn 54
- if'k{k.k vkj f’k{kk 56
- ,u- vkj- M Je lpuk llk/ku dn 72
- çdk’ku 74
- jktHkk"kk uhfr dk dk;kUo;u 79
- QdYVh 80
- y[kk ijh{kk fjikV vkj y[kkijhf{kr okf"kd y[kk 2013&14 81

çEk[k miyfC/k;k
2013&14

- Økh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] Je ,oa lacf/kr ennksa ij vuqla/kku] çf'k{k.k] f'k{kk] izdk'ku ,oa ijke'kZ dk;Z djus okyk ,d vxz.kh lLFkku gSA 1974 में स्थापित यह संस्थान श्रम एंव रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का iqu%ukedj.k 1995 esa] Hkkjr ds HkwrioZ jk"Vªifr ,oa çfl) VªsM ;wfu;u urk Jh oh- oh- fxfj ds uke ij fd;k x;kA
- ,d fo'oLrjh; çfrf"Br lLFkku ds :Ik esa mHkjuk% संस्थान ने विश्व स्तर के एक प्रतिष्ठित संस्थान और कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य–संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध श्रम अनुसंधान एवं शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के प्रयासों को जारी रखा।
- Ukhfr&fuekZ.k ds fy, Kku dk vk/kkj % संस्थान ने 23 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कीं जिन्होंने रोजगार, कौशल विकास, बाल श्रम, अनौपचारिक सैक्टर, प्रवासन, सामाजिक सुरक्षा, लिंगीय मुद्दे, स्वास्थ्य तथा श्रम एवं श्रम मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति–निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान आधार प्रदान किया।
- lkekftd Hkkxhnkjksa dks ifjorZu dh pqukSfr;ksa dk lkeuk djus ds fy, rS;kj djuk% भारत अभी कार्य की दुनिया में तीव्र परिवर्तनों का सामना कर रहा है, जिससे उसे अवसरों के साथ–साथ चुनौतियां भी मिल रहीं हैं। संस्थान में 123 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें श्रम प्रशासकों, औद्योगिक संबंध प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं जैसे प्रमुख पणधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3975 प्रतिभागियों ने परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से अपने कौशलों एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भाग लिया।
- vlaxfBr dkexkjksa dks l'kDr cukuk% संस्थान ने 50 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें असंगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 1751 नेताओं/प्रशिक्षकों ने भाग लिया। ऐसे प्रशिक्षण हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य श्रम बाजार में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करना, तथा यह दिखाना था कि कैसे सशक्तीकरण सामाजिक समावेशन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है।
- iwoksZÙkj {ks= dh fpUrkvksa ds lek/kku ds fy, fo'ks"khd`r izf'k{k.k% संस्थान ने 12 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक भागीदारों के लिए किया।

- **Je dk ennk ij vrjk"Vh; çf'k{k.k dk;Øe vk;kftr djus dk gc ¼dsn½** संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी/एससीएएपी के अंतर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर सूचीबद्ध है। संस्थान ने वैश्वीकरण एवं श्रम, नेतृत्व विकास, कौशल विकास, श्रम बाजार एवं रोजगार नीतियां, सामाजिक सुरक्षा, लिंगीय मुद्दे, स्वास्थ्य संरक्षण तथा सुरक्षा, और अनुसंधान विधियाँ जैसे प्रमुख विषयों पर 10 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें लगभग 40 देशों के 371 वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
- **0;kolkf;d Hkkxhnkjh djuk ,o mls lqn< cukuk** आज नेटवर्किंग का युग है। संस्थान ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था बनाते हुए व्यासायिक नेटवर्किंग को स्थापित करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), ट्यूरिन, इटली के साथ सहयोग स्थापित किया है। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य सभी के लिए उत्तम कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों में दोनों संस्थानों में सहयोग बढ़ाना है।
- इस एमओयू के एक भाग के रूप में आईटीसी, ट्यूरिन एवं वीवीजीएनएलआई ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में सामाजिक संवाद, श्रम कानून एवं श्रम प्रशासन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 21 अफगान अधिकारियों ने भाग लिया।
- संस्थान द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/सेमिनार इस प्रकार हैं:
  - अफगानिस्तान सरकार के अनुरोध पर वहां के शिक्षा मंत्रालय के टीवीईटी विभाग के अधिकारियों के लिए कौशल विकास पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 24 अधिकारियों ने भाग लिया।
  - बाल श्रम से संबंधित अनुभवों को साझा करने एवं सार्क क्षेत्र के विभिन्न देशों के सफल अनुभवों से सीख लेने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान एवं आईएलओ ने बाल श्रम पर द्वितीय सार्क क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सार्क देशों के 60 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नियोक्ता संघों एवं कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
  - एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस के सहयोग से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम इतिहास पर दसवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय था – श्रम इतिहास – वापस राजनीति की ओर? सम्मेलन का उद्घाटन श्रीमती गौरी कुमार, सचिव (श्रम एवं रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया। इस सम्मेलन के दौरान दो पुस्तकों नामतः प्रो. सब्यसाची भट्टाचार्य द्वारा संपादित टुवर्ड्स ए न्यू हिस्ट्री ऑफ वर्क और प्रो. रवि आहूजा द्वारा संपादित वर्किंग लाइब्ज एंड वर्कर मिलिटेंसी का विमोचन किया गया।

- **Ukhfrxr ennk ij xgu cgl djus ,o ie[k igyk d ilkj grq ep%** संस्थान ने असंगठित श्रमिक, श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा, यूनियनवाद तथा नवीनतम अदालती निर्णयों, आईएलओ अभिसमय 181: भारत में प्राईवेट नियोजन अभिकरणों के संदर्भ में मुद्दे एवं चुनौतियां, मानवीय दास्ता: भारत में इसके कारणों का पता लगाना जैसे प्रमुख विषयों के समसामयिक सरोकारों पर 3 मुख्य कार्यशालाएं/पैनल चर्चा आयोजित की गयीं।

- **Je ennk l lcf/kr lpuk ,o fo'y"k.k dk çlkj %** संस्थान चार आंतरिक प्रकाशन, लेबर एंड डेवलपमेंट (छमाही पत्रिका), अवार्ड्स डाइजेस्ट (द्विमासिक पत्रिका), श्रम विधान (द्विमासिक हिंदी पत्रिका) और वीवीजीएनएलआई इंद्रधनुष (द्विमासिक पत्रिका) निकालता है। संस्थान के अनुसंधान निष्कर्षों को मुख्यत: एनएलआई अनुसंधान श्रृंखला के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। संस्थान ने वर्ष 2013–14 में 30 प्रकाशन निकाले।

- **iLrdky; ,o lpuk ç.kkyh%** संस्थान का पुस्तकालय, एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र, देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सबसे सम्पन्न पुस्तकालय है। वर्तमान में, पुस्तकालय में लगभग 65,000 किताबें/रिपोर्टें/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं हैं, तथा यह 207 व्यावसायिक पत्रिकाओं का अभिदान करता है। पुस्तकालय अपने पाठकों को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा पुस्तकालय की प्रयोज्यता सुकर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है।

- **vk/kfud Hkkjr dk vkdkj nu e Je dh Hkfedk ij idk'k Mkyuk%** संस्थान ने श्रम से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों के शीर्ष भंडार के तौर पर काम करने हेतु श्रम पर एक डिजिटल आर्काइव स्थापित किया है। इसमें श्रम इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लेबर आर्काइव की वेबसाइट (www.indialabourarchives.org) में अपलोड किये हुए लगभग 190000 पेज डिजिटल रूप में हैं। 30000 पेजों को वर्ष 2013–14 में डिजिटल रूप में संसाधित किया गया था।

संस्थान का विज़न और मिशन

fo t u

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केन्द्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।

fe'ku

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केन्द्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

laLFkku dk vf/kns'k

जुलाई 1974 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केंद्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

mn~ns'; vkSj vf/kns'k

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वयन करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण
ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है
ग. परामर्श और
घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना और

(vii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

laLFkku dh lajpuk

संस्थान एक महापरिषद् द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें सांसदों, केन्द्रीय सरकार, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि और श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान संस्थानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महापरिषद् के अध्यक्ष हैं। यह संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। महापरिषद् के सदस्यों के बीच से गठित कार्यपरिषद्, जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के दिन प्रतिदिन के कामकाज में विविध विषयों में पारंगत संकाय सदस्य और प्रशासनिक स्टाफ महानिदेशक की सहायता करते हैं।

egkifj"kn dk xBu

1. श्री ऑस्कर फर्नांडीज — अध्यक्ष
   केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली.110001

2. श्री कोडिकुनील सुरेश — उपाध्यक्ष
   श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली.110001

dsanz ljdkj ds N% çfrfuf/k

3. श्रीमती गौरी कुमार — उपाध्यक्ष
   सचिव (श्रम एवं रोजगार)
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

4. श्री ए. के. सिन्हा — सदस्य
   अपर सचिव
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

5. संयुक्त सचिव — सदस्य
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली.110001

6. सुश्री मीनाक्षी गुप्ता — सदस्य
   संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली

7. श्री अशोक ठाकुर — सदस्य
   सचिव
   माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शास्त्री भवन
   नई दिल्ली–110001

8. श्री के. एन. पाठक — सदस्य
   संयुक्त सलाहकार (एलईएम)
   सलाहकार (श्रम एवं रोजगार)
   योजना आयोग
   नई दिल्ली–110001

deldkjk d nk çfrfuf/k

9. डॉ. सुभाष शर्मा — सदस्य
   अध्यक्ष, पंजाब शाखा, आईएनटीयूसी,
   74.एसएफ, सरस्वती विहार, कपूरथला रोड़,
   जालंधर–144008 (पंजाब)

10. श्री बी. सुरेन्द्रन — सदस्य
    अखिल भारतीय उप–आयोजन सचिव,
    भारतीय मजदूर संघ,
    केशावर कुदिल,
    5 रंगासायी स्ट्रीट
    पेराम्बूर, चेन्नई–600011

fu;kDrkvk d nk çfrfuf/k

11. श्री के. ई. रघुनाथन — सदस्य
राष्ट्रीय महासचिव
अखिल भारतीय निर्माताओं का संगठन
जीवन सहकार, चौथी मंजिल
सर पी. एम. रोड़, फोर्ट
मुंबई – 400 001

12. श्री बी. पी. पंत — सदस्य
सचिव
भारतीय नियोक्ता परिषद
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग
नई दिल्ली.110001

pkj çfrf"Br 0;fDr ftUgkau Je d {k= e vFkok ml l lcf/kr {k=k e vlk/kkj.k lg;kx fd;k g

13. श्री सूर्यकांत सिंगला — सदस्य
सुपुत्र श्री पी. एल. सिंगला
ए–109, मधुवन, विकास मार्ग
नई दिल्ली – 110092

14. श्री राजीव गुप्ता — सदस्य
सुपुत्र स्व. श्री भारत भूषण गुप्ता ,
9/13, महंत क्वार्टर्स, ईदगाह
चकराता रोड़, देहरादून – 248 001
उत्तराखंड

15. श्री दीपक तेतिया — सदस्य
16–के–1, ज्योति नगर
सहकार मार्ग, जयपुर
राजस्थान

16. श्री राघवेन्द्र वी. नादगौडा — सदस्य
अधिवक्ता
मकान नं. 11–109/7–ए
राघवेन्द्र कॉलोनी
गुलबर्गा, कर्नाटक

nk lln lnL; ¼ykd lHkk vkj jkT; lHkk l ,d&,d½

17. डॉ. विनय कुमार पाण्डे — सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा)
143, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली

18. श्री राम चन्द्र खुंटिया — सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा)
26, डॉ. आर.पी. रोड,
नई दिल्ली-110001

vu|l/kku lLFkku

19. श्री वारेश सिन्हा, आईएएस — सदस्य
महानिदेशक,
महात्मा गांधी श्रम संस्थान,
ड्राइव–इन रोड़, मेम नगर
अहमदाबाद–380 062 (गुजरात)

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk d çfrfuf/k

20. श्री पी. पी. मित्रा — सदस्य–सचिव
महानिदेशक,
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
सैक्टर. 24, नौएडा–201 301,
जिला–गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

vu|l /kku

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। संस्थान आरंभ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विभिन्न आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है। परन्तु इन कार्यकलापों के केंद्र में सदैव ही ऐसे मुद्दे रहे हैं, जो सीमान्त, वंचित और श्रम बल के संवेदनशील वर्गों से संबंधित हैं।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है:

- अनुसंधान किए जा रहे मामलों की सैद्धान्तिक समझ को उन्नत बनाना;
- समुचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक और आनुभविक आधार बनाना; और
- क्षेत्र स्तरीय कार्यों/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि ये उभरती चुनौतियां वैश्वीकरण के समसामयिक युग में तीव्र गति से अधिक जटिल होती जा रही हैं। इससे पहले कभी भी श्रम की दुनिया में हुए परिवर्तन इतने तीव्र और श्रम एवं रोजगार को प्रभावित करने वाले नहीं रहे। इन परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा इनके प्रभाव, परिणामों और कार्य की दुनिया पर इनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करने के लिए समुचित अनुसंधान संबंधी रणनीतियों और कार्यसूची को तैयार किया जाना जरूरी है।

निस्संदेह, यह एक बहुत कठिन कार्य है और इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से किया जाना है ताकि अनुसंधान में संगत मुद्दों को शामिल किया जा सके। संस्थान के प्रत्येक अनुसंधान केद्र को अनुसंधान के प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट ढंग से इंगित करना चाहिए और अन्वेषण किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण घटकों के ब्यौरे भी तैयार करने चाहिए। इससे न केवल यह सुनिश्चित होगा कि संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों में वैश्वीकृत व्यवस्था में श्रम के समक्ष उभर रहे प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है अपितु संबंधित क्षेत्रों में विशिष्टता भी हासिल हो सकेगी, जो किसी भी अनुसंधान केद्र के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण उप्रेरक तत्व होगा।

इसी परिप्रेक्ष्य में संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केद्रों द्वारा शामिल किए जाने वाले अनुसंधान मुद्दों की रूपरेखा तैयार की गई है।

Je cktkj v/;;u dsn

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न केंद्रों के तत्वावधान में चलाई जाती हैं। इन्हीं केन्द्रों में से एक, श्रम बाजार अध्ययन केंद्र श्रम बाजार में चल रहे परिवर्तनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसंधान गतिविधियों का उद्देश्य श्रम बाजार के परिणामों के उन्नयन हेतु नीतिगत निदेश प्रदान करना है। केंद्र की वर्तमान गतिविधियाँ निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर केन्द्रित हैं।

- रोजगार और बेराजगारी
- उत्प्रवास और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं उत्तम कार्य

ijh dj yh xbl ifj;ktuk,

1- djy ds fo'k"k lnHkl es Hkkjr es dkt dkexkjk dk fu;ktu ,o lkekftd lj{k.k

v/;;u ds mnns';

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थे:

- काजू कामगारों और उनके परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति की जांच करना;
- काजू कामगारों के नियोजन एवं उनकी कार्य दशाओं का विश्लेषण करना, विशेषकर उनके कार्य घंटों, नियोजन अनुबंध, मजदूरी भुगतान, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान, स्वास्थ्य खतरों, आदि का विश्लेषण करना;
- काजू प्रसंस्करण में लगे कामगारों के लिए मौजूदा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी उपायों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना;
- काजू कामगारों के सामाजिक संरक्षण को मजबूत बनाने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाना।

v/;;u dk 'k# ,o iijk dju dh frfFk

अध्ययन को सितम्बर 2013 में शुरु, एवं फरवरी 2014 में पूरा किया गया था

vuql/kku v/;;u dk ifj.kke

अध्ययन का दृष्टिकोण दो मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित था: पहला, काजू कामगारों के हितों की रक्षा करना; और दूसरा, काजू उद्योग की संधारणीयता सुनिश्चित करना। अध्ययन के लिए बुनियादी

जानकारी केरल के उन जिलों, जहां पर काजू प्रसंस्करण यूनिटों की अधिकता है, में प्राथमिक सर्वेक्षण करके ली गयी। प्राथमिक सर्वेक्षण में कामगारों और विभिन्न पणधारियों यथा काजू प्रसंस्करण यूनिटों के मालिकों, ट्रेड यूनियन नेताओं एवं काजू सैक्टर से संबंधित अधिकारियों के मध्य विस्तृत संरचित प्रश्नावली बांटना शामिल था।

अनुसंधान के प्रमुख परिणाम निम्न प्रकार हैं:

काजू उद्योग में कामगारों एवं कार्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: (क) काजू कामगारों में महिलाओं की संख्या अधिक है (94 प्रतिशत); (ख) कामगारों में सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर वंचित वर्गों की संख्या काफी अधिक है – 31 प्रतिशत कामगार अनुसूचित जाति (एससी) से है तथा 35 प्रतिशत कामगार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं; (ग) काजू सैक्टर में युवा कार्यबल (30 वर्ष से कम आयु) की अपेक्षाकृत कम मौजूदगी; (घ) 81.6 प्रतिशत कामगार निजी काजू प्रसंस्करण यूनिटों में कार्यरत हैं; (ङ) एससी श्रेणी के कामगार मुख्य रूप से काजू के खोल उतारने एवं काजू को काटने (क्रमशः 59 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत) के कामों मे लगे हैं जबकि काजू के छिलके उतारने एवं काजू के श्रेणीकरण में इनकी भागीदारी काफी कम (क्रमशः 14.6 प्रतिशत एवं 17.6 प्रतिशत) है। संयोग से काजू प्रसंस्करण की विभिन्न गतिविधियों में खोल उतारने हेतु औसत दैनिक आय सबसे कम है; (च) काजू प्रसंस्करण उद्योग में अधिकांश कामगारों को मजदूरी उजरती दर (मात्रानुपात) पर दी जाती है; तथा (छ) कामगारों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, जैसा कि सर्वेक्षण किए गए 76 प्रतिशत कामगारों ने कर्जदारी की बात कही।

अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि उद्योग के कार्यचालन में कई बड़े सुधार होने के बावजूद 80 प्रतिशत काजू कामगार जमीन पर बैठते/घुटनों के बल बैठते हैं तथा मध्यांतर का उपयोग न करते हुए लंबे समय अपना काम करते हैं। इससे कामगारों के स्वास्थ्य पर दीर्घावधि वाले प्रभाव पड़ सकते हैं। चिंता वाली अन्य बातों में दानों संबंधी काम बिना दस्ताने पहने करना, दिए गए काम को करने हेतु मेज एवं कुर्सियों का न होना, शौचालयों एवं आराम–गृहों का स्वच्छ न होना, तथा निकास (एक्जॉस्ट) पंखों का न होना है।

भट्ठी से उठने वाले धुएं के संपर्क में होना, काजू के खोल से निकलने वाले द्रव के संपर्क में होना, बैठने की अस्वास्थ्यकर मुद्रा, उत्पादन को बढ़ाने के लिए मध्यांतर का उपयोग करने में आनाकानी करना, कारखानों के किसी क्षेत्र में अस्वास्थकर वातावरण तथा दुर्घटनाओं की संभावनाएं काजू उद्योग में कामगारों को स्वास्थ्य जोखिम के लिए सुभेद्य बनाती हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि इस सैक्टर में काम करने की वजह से 80 प्रतिशत से अधिक कामगारों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की बात कही, जबकि पिछले पाँच वर्षों के दौरान कार्यस्थल पर 03 प्रतिशत कामगारों के साथ दुर्घटनाएं घटीं।

स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना मुख्य प्रदाता है। परंतु सभी कामगार ईएसआई योजना के तहत यह सुविधा पाने हेतु पात्र नहीं हैं, इसके अतिरिक्त, योजना के

कार्यचालन के लिए कुछ समस्याओं का समाधान किये जाने की आवश्यकता है। जहां तक अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रश्न है, कई कामगारों ने नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि (पीएफ) अंशदानों के भुगतान में पारदर्शिता के अभाव की शिकायत की, जबकि केरल कैश्यु वर्कर्स रिलीफ एंड वेलफेयर फंड के कार्यचालन में सुधार हेतु चिंता व्यक्त की गयी थी।

अध्ययन से उभरे ie[k l>koksa ,oa flQkfj'kksa को लघु अवधि एवं मध्यम अवधि उपायों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

y?kq vof/k mik;

- ईएसआई डिस्पेंसरी एवं अस्पतालों के कार्यचालन को सुदृढ़ बनाने की अति आवश्यकता है।
- ईएसआई के नेटवर्क में अंतरों का समझने के लिए जीआईएस मानचित्रण की आवश्यकता है। इन अंतरों को देखते हुए ईएसआई के तहत नई स्वास्थ्य सुविधाएं शुरु करने की आवश्यकता है। कारखानों में आवधिक स्वास्थ्य कैंप आयोजित किए जा सकते हैं ताकि कार्य दिवसों की हानि न हो और इस प्रकार कामगारों को भी मजदूरी मिले।
- ईसआई योजना के तहत अभी नकद लाभ केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के माध्यम से वितरित किये जा रहे हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि इन लाभों को सभी राष्ट्रीयकृत एवं अनुसूचित बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।
- काजू उद्योग जैसे परंपरागत उद्योगों में कामगारों की अनिश्चित वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंकों में शून्य बैलेंस सुविधा काजू कामगारों को भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- युवा कामगारों को इस उद्योग में आने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए काजू कारखानों की कार्य दशाओं में सुधार करने की काफी गुंजाइश है।

  क. कामगारों को बेंच/कुर्सियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि मौजूदा अस्वास्थ्यकर प्रथा को समाप्त किया जा सके।

  ख. कामगारों को दस्तानों का प्रयोग, खासकर इसलिए भी क्योंकि उन्हें शंका रहती है कि यदि दस्तानों का प्रयोग किया गया तो उत्पादन कम होगा, करने हेतु उपयुक्त दिशा–निर्देश देने की आवश्यकता है।

  ग. कार्यस्थल पर एक संभावित सुधार निकास पंखों को लगाना भी है। कामगारों के लिए वर्दी, टोपी, नकाब आदि शुरु किये जा सकते हैं।

  घ. कामगारों को स्वच्छ शौचालय, धुलाई घर, आराम–गृह एवं खाने के स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

- कार्य दशाओं में सुधार के लिए सरकार व्यवसाय को अच्छा बनाने तथा कार्यस्थल के छप्परों (शेड) के आधुनिकीकरण के लिए भी प्रोत्साहन के तौर पर नियोक्ता को एक–बारगी अनुदान/सुलभ ऋण उपलब्ध करा सकती है।

- ईएसआई और पीएफ के कंप्यूटरीकरण ने नामांकन तथा नियोक्ता एवं कामगार, दोनों के द्वारा अंशदान के भुगतान में निरंतरता की निगरानी के लिए बेहतर माहौल बनाया है। यह महसूस किया गया कि मौजूदा माहौल को और बेहतर बनाने की गुंजाइश है।
- कामगारों, नियोक्ताओं एवं विभिन्न स्तरों पर काम कर रही ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपलब्ध सांस्थानिक निकायों यथा केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्युई), वीवीजीएनएलआई एवं केरल श्रम एवं शिक्षा संस्थान को नियोक्ता संगठनों एवं ट्रेड यूनियनों के साथ सहयोग स्थापित करना चाहिए।

e/;e vof/k mik;

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि काजू प्रसंस्करण उद्योग में कामगारों को पर्याप्त मजदूरी मिले, कॉयर उद्योग की तरह इसमें भी आय समर्थन प्रणाली शुरु की जा सकती है।
- उपदान (ग्रेच्युटी) के भुगतान में देरी की बहुत बड़ी शिकायत न केवल प्राईवेट सैक्टर के कामगारों की है, बल्कि सरकारी एवं सहकारी सैक्टरों के कामगारों की भी है। उपदान की गणना संबंधी शिकायतें भी थीं। उपरोक्त को देखते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि एक अलग निधि (फंड) का सृजन किया जाए तथा प्रत्येक कर्मचारी के उपदान संबंधी नियोक्ता के वार्षिक अंशदान को उस निधि में डाला जाए।
- यह सुझाव दिया जाता है कि भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि अथवा बीड़ी कामगार कल्याण निधि की तरह काजू कामगारों के लिए एक अलग केंद्रीय कल्याण निधि बनायी जाए।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए चयनित केंद्रों में महिला बैंक स्थापित करने की संभावना का पता लगाया जाए।
- कैश्यु वर्कर्स रिलीफ एंड वेलफेयर बोर्ड के कार्यचालन, काजू कामगारों के बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्ति सहित, में सुधार करना क्योंकि मौजूदा राशि किसी भी तरह से आकर्षक नहीं है तथा शिक्षा की उच्च लागत को देखते हुए यह शायद ही प्रोत्साहन का काम करे।
- कल्याण निधि के तहत पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग भी है।
- यह सुझाव दिया जाता है कि स्थानीय कामगारों के लिए उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं के लाभ काजू उद्योग में लगे प्रवासी कामगारों को भी दिये जाने चाहिए।
- काजू उद्योग की संधारणीयता सुनिश्चित करना कामगारों की दशा को सुधारने का एक तरीका हो सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए नीचे कुछ उपाय दिये गये हैं:

  क. ग्राहकों की बदलती पसंद को समझने के लिए काजू गिरी (दाने) की मांग पर मार्किट अनुसंधान शुरु किया जाना चाहिए।

ख. काजू प्रसंस्करण में लगे दूसरे देशों में से अधिकांश देश तेजी से प्रसंस्करण की भाप विधि, जिसे अधिक स्वास्थ्यकर विधि माना जाता है, अपना रहे हैं। मौजूदा कार्यबल को ऐसा कार्यकलाप करने के लिए अच्छे से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि नया कार्य करने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके।

ग. उस भौगोलिक अवस्थिति, जहां पर काजू का उत्पादन एवं प्रसंस्करण होता है, को स्पष्ट करते हुए एक काजू बाजार विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

- यह सुझाव दिया जाता है कि इसके निष्पादन में सुधार हेतु उपाय सुझाने के लिए केएससीडीसी के साथ–साथ सीएपीईएक्स के कामकाज का व्यापक अध्ययन शुरु किए जाने की आवश्यकता है।
- काजू की बेहतर किस्में विकसित करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना ताकि उत्पादन के साथ–साथ उत्पादकता में सुधार किया जा सके।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- ,l-d- 'kf'kdqekj] ofj"B Qsyks vkSj
Mk- jk[kh FkkEihµ] ,lksfl,V Qsyks½

2- jkstxkj ij ykxw dh fy, pkSFkh okf"kd fjiksVZ] 2013

fjiksVZ ds mn~ns';

उन विशिष्ट मुद्दों, जिन पर रिपोर्ट में ध्यान दिया गया है, में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उभरती वैश्विक आर्थिक स्थिति तथा भारत में नवीनतम मैक्रो आर्थिक विकास;
- श्रमबल प्रतिभागिता दर, कार्यबल प्रतिभागिता दर, रोजगार में संरचनात्मक परिवर्तन, रोजगार की प्रकृति, बेरोजगारी (विशेषकर युवा बेरोजगारी) तथा मजदूरी, कौशल एवं रोजगारपरकता को बढ़ाने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरु की गयी पहलें, भारत सरकार द्वारा विशेषकर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा बढ़ाने, तथा उभरते श्रम बाजार और रोजगार चुनौतियों एवं अवसरों के प्रभावी समाधान हेतु कार्यनीति बनाने के लिए शुरु की गयी पहलें जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए भारत में श्रम बाजार एवं रोजगार रुझान।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को जून 2013 में शुरु, एवं दिसम्बर 2013 में पूरा किया गया था

vuqla/kku v/;;u dk ifj.kke

यह रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर इस बात पर प्रकाश डालती है कि समावेशी विकास के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। वितरणात्मक

न्याय के साथ–साथ उत्पादक एवं संधारणीय रोजगार के सृजन से संबंधित उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी संबंधित पणधारियों द्वारा सुनियोजित एवं समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख कार्यनीतियों, जो ऐसे समन्वित प्रयासों की सूचक हो सकती हैं, में अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं: मैंक्रो आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना; लोक नियोजन सृजन कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण; जॉबों के सृजन हेतु प्रोत्साहन देना तथा विनिवेश के अवरोधों को समाप्त करना; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के विकास को बढ़ावा देना; अनौपचारिकता एवं श्रम बाजार असुरक्षिताओं से निपटना; कौशल आधार का विस्तार करना एवं कौशल योग्यता ढांचा विकसित करना; युवा रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों से निपटना।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- ,l-d- 'kf'kdqekj] ofj"B Qsyks vkSj
Mk- jk[kh fFkekFkh] ,lksf,V Qsyks½

3- Hkkjr esa ;qok jkstxkj

fjiksVZ ds mn~ns';

- लिंग, सामाजिक समूहों तथा ग्रामीण शहरी भिन्नताओं के संदर्भ में युवाओं की श्रम बाजार विशेषताओं की जाँच करना;
- विशिष्ट मुद्दों, जिनका समाधान किया गया, में ये शामिल हैं: युवाओं की श्रमबल प्रतिभागिता दर, कार्यशील आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी, युवा की काम की स्थिति, युवा रोजगार का क्षेत्रक हिस्सा, युवाओं की शिक्षा प्राप्ति, युवा बेरोजगारी।

v/;;u dks 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2013 में शुरु, एवं दिसम्बर 2013 में पूरा किया गया था

vuqla/kku v/;;u dk ifj.kke

अध्ययन से उद्विकसति कुछ प्रमुख नीतिगत दृष्टिकोणों पर नीचे प्रकाश डाला गया है:

- युवा बेरोजगारी से निपटने के लिए माँग एवं आपूर्ति संबंधी दोनों मुद्दों का एक साथ समाधान किया जाना चाहिए। शिक्षा प्राप्ति एवं कौशल प्रशिक्षण से प्रभावी श्रम आपूर्ति का सृजन किया जा सकता है, परंतु यह विकास को बढ़ावा देने वाले माहौल में ही प्रभावी होगा। अतः ऐसी नीतियां, जो आय एवं आम तौर पर रोजगार को बढ़ाये, बनाने की तत्काल आवश्यकता है।
- नीति निदेशों के संदर्भ में, लोक निर्माण एवं रोजगार सहायिकियां (सब्सिडी) एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करती हैं, तथा कार्य के लिए अलग से पर्याप्त प्रशिक्षण संघटक युक्त महंगे कार्यक्रमों एवं उपक्रमों में काम पर लगाने से ज्यादा प्रभावी भी हो सकती हैं। यह संतुलन काफी महत्वपूर्ण है और इस बात पर जोर देने योग्य है कि केवल कौशल प्रशिक्षण से जॉबों का सृजन नहीं किया जा सकता है, तथा वास्तव में कभी–कभार उच्च स्तरीय कौशल प्रशिक्षण से

अवास्तविक जॉब आशाओं का सृजन हो सकता है, जिसे व्यवस्था मंदी के दौरान बनाये रखने में असमर्थ होगी। कौशल प्रशिक्षण को मौजूदा एवं प्रभावी बाजार अवसरों की ओर उन्मुख करना चाहिए।

- नीतियों में शैक्षिक सहायता, प्रशिक्षण, सहायता–प्राप्त काम, काम ढूंढने में सहायता तथा कॅरिअर सलाह शामिल होना चाहिए। नीतियों द्वारा ऐसी स्थितियों का सृजन किया जाना चाहिए जहां युवा एवं अनुभवहीन व्यक्ति श्रम बाजार में पाँव जमा सकें। स्व–रोजगार पहलें काफी महत्वपूर्ण हैं तथा नीतियों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगर बेरोजगार युवा व्यक्ति अपना उद्यम स्थापित करना चाहें तो उन्हें किसी अवरोध का सामना न करना पड़े। जैसा कि पहले व्यक्त किया गया है, स्वरोजगार को अल्प रोजगार का पर्याय नहीं होना चाहिए, तथा इसे उत्तम कार्य के स्तर को बनाये रखने में समर्थ होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, कार्यक्रमों को युवाओं के मध्य भी, विभिन्न लक्ष्य समूहों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। कौशल प्रशिक्षण का स्तर पहले से मौजूद कौशलों के स्तर पर निर्भर करेगा। विशिष्ट शारीरिक विकलांगता अथवा निम्न कौशल स्तर वाले युवा समूहों को उन समूहों, जिनकी बेहतर शिक्षा एवं उच्च कौशल स्तर तक पहुंच है, की तुलना में बहुत ही भिन्न प्रकार के कौशलों की आवश्यकता होगी।
- वंचित समूहों यथा जातीय/सामाजिक अल्पसंख्यकों और विशेष जरूरतों वाले युवाओं के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु विशेष ध्यान दिया जाए। अक्सर, लक्षित कार्यक्रमों का सृजन इन समूहों की विशेष आवश्यकताओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाता है तथा अच्छे उद्देश्य वाले कार्यक्रम लक्षित दृष्टिकोण के अभाव में अपनी प्रभावकारिता खो देते हैं।
- विभिन्न श्रम बाजार संकेतकों से संबंधित सूचना का संग्रहण एंव प्रसार नियमित तौर पर किया जाना चाहिए तथा प्राप्त सूचना का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। यह प्रभावी रोजगार कार्यक्रमों को तैयार करते हेतु महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत और सामाजिक पहलों की जगह सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप को प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए, तथा इन्हें सभी स्तरों पर सभी प्रयासों में एक दूसरे का पूरक होना चाहिए।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- ,l- d- 'kf'kdqekj] ofj"B Qsyks½

tkjh ifj;kstuk,a

1- ,f'k;k esa Jfed çokl u lajpuk,a ,oa foÙkiks"k.k

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा पिछले एक दशक से श्रमिकों के प्रवासन की दिशा को देखते हुए प्रवासन शासन की पेचीदगियों को तीन क्षेत्रों – प्रशासनिक तंत्र, उनके द्वारा प्रदत्त प्रवासन सेवाएं एवं इसका वित्तपोषण, के अनुसार समझना महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में यह अध्ययन तीन श्रमिक प्रदाता देशों नामतः भारत, फिलीपीन्स एवं श्रीलंका पर फोकस करते हुए निम्नलिखित उद्देश्यों का समाधान करता है:

- प्रशासनिक संरचनाओं, जनशक्ति की आवश्यकताओं तथा श्रमिक गतिशीलता को सुकर बनाने के लिए नई अनुक्रियाओं का पता लगाना;
- सरकारी अभिकरणों द्वारा दी जा रही विभिन्न प्रवासन सेवाओं की जाँच करना;
- प्रवासन प्रबंधन की वित्तीय कार्यक्षमता का आकलन करना।

vof/k

अगस्त 2013 से जुलाई 2014 तक

¼ifj;ktuk funs'kd% Mk- ,l-d- 'kf'kdekj] ofj"B Qyk vkj
Mk- jk[kh fFkekFkh] ,lkfl,V Qyk½

2- vrjk"Vh; Jfed çoklu% mHkjrh pukfr;k ,o uhfrxr <kpk

यह देखते हुए कि श्रमिकों को भेजने और पाने वाले देशों की प्रवासन नीतियां श्रमिकों की आवाजाही को निर्धारित एवं व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इस अध्ययन का आशय प्रवेश, रोजगार और प्रवासी कामगारों के अधिकारों (नागरिक एवं राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, निवास एवं परिवार से पुनर्मिलन के अधिकार) के संबंध में नीतियों का उच्च एवं निम्न कौशल प्राप्त कामगारों के लिए अलग–अलग अवलोकन करना है। यह अनुसंधान तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा, जिसमें डाटा दो स्तरों भारत–यूरोपीय यूनियन प्रवासन के साथ–साथ भारत–खाड़ी देशों को प्रवासन, और दूसरा, भारत की दक्षिण एशिया के अन्य श्रमिक प्रदाता देशों के साथ तुलना से लिया जाएगा।

Ek[; mnn';

- भारतीय श्रमिकों के प्रमुख गंतव्य देशों में मौजूदा उत्प्रवासन नीतियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं?
- प्रमुख प्रवासी श्रमिक प्राप्तकर्ता देशों की नीतियों के साथ भारत और दक्षिण एशिया के श्रमिक प्रदाता देश किस सीमा तक सामंजस्य बिठा पाये हैं?
- पदोन्नति, विनियमन एवं श्रमिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध के मामलों में हम खाड़ी के देशों और यूरोपीय यूनियन के देशों की उत्प्रवासन नीतियों की तुलना किस प्रकार कर पाते हैं?
- प्रवासन नीतियों में बदलाव ने वर्तमान श्रमिक आवाजाही को किस प्रकार प्रभावित किया है?

vof/k

अगस्त 2013 से जुलाई 2014 तक

dk;Zi).kkyh

गौण साहित्यिक एवं सरकारी दस्तावेजों का उपयोग करने के अलावा 1990 के दशक से श्रमिकों की आवाजाही को समझने के लिए मुख्य पणधारियों के साथ साक्षात्कार आयोजित किये जाएंगे। यह अनुसंधान 1990 से 2012 की अवधि के दौरान भारत–यूरोपीय यूनियन के देशों तथा भारत–खाड़ी के देशों में श्रमिकों की, लिंग, क्षेत्रों, व्यवसाय एवं क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर, आवाजाही की प्रवृत्तियों, पैटर्न एवं विशेषताओं के व्यापक विश्लेषण के साथ शुरु किया जाएगा। दूसरे दौर में नीतियों के बदलाव से संबंधित चर्चाओं, तथा श्रमिकों की आवाजाही को व्यवस्थित करने पर इसके प्रभाव को समझने हेतु अधिक विश्लेषण करने के लिए प्रासंगिक रास्ते तलाशे जाएंगे।

(ifj;kstuk funs'kd : Mk- jk[kh FkkekFkh] ,lkfl,V Qyks)

रोजगार संबन्ध और विनियमन केन्द्र

रोजगार संबंध और इनके विनियमन का मुद्दा श्रम के क्षेत्र में हमेशा से एक प्रमुख वाद–विवाद करने योग्य एवं आकर्षक मुद्दा रहा है। रोजगार संबंधों में खासकर 1991 से तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने इस मुद्दे को यथोचित प्राथमिकता देते हुए इन परिवर्तनों और अन्य संबद्ध मामलों का अध्ययन करने हेतु काफी पहले वर्ष 2001 में एक विशिष्ट केंद्र, नामतः रोजगार संबंध एवं विनियमन केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र का उद्देश्य बदलते रोजगार संबंधों का अवबोधन विकसित करना है ताकि उचित कानूनी विनियमन ढांचे का नियमन करने तथा उपयुक्त सामाजिक सुरक्षण उपाय विकसित करने में मदद मिल सके। केंद्र की अनुसंधान गतिविधियों में मुख्यतः निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैः ट्रेड यूनियनें तथा उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनकी भूमिका; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में उभरते रोजगार संबंध; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधों के विनियमन में मौजूदा कानूनी ढांचे की सीमा; न्यायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन; न्यूनतम मजदूरी विनियमन तथा श्रमिकों को सामाजिक संरक्षण आदि। केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) में शिक्षाविद और ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं। केंद्र द्वारा हाल ही में पूरे किए गए कुछ अध्ययन इस प्रकार हैंः संविदा श्रमिक एवं न्यायिक हस्तक्षेप; प्राईवेट सुरक्षा अभिकरणों द्वारा नियोजित सुरक्षा गार्डों के श्रम, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा मुद्देः ओखला एवं नौएडा का एक मामला अध्ययन; न्यूनतम मजदूरी नीति एवं विनियामक ढांचे का विकासः एक अंतर–देशीय परिप्रेक्ष्य; तथा आईएलओ अभिसमय 181ः भारत में प्राईवेट नियोजन अभिकरणों के संदर्भ में मुद्दे एवं चुनौतियां।

पूरी कर ली गई परियोजनाएं

1. आईएलओ अभिसमय 181: भारत में प्राइवेट नियोजन अभिकरणों के संदर्भ में मुद्दे एवं चुनौतियां

भारत में प्राईवेट नियोजन अभिकरणों की भर्ती प्रथाओं को समझने के लिए यह अध्ययन करने का कार्य श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया था। यह अध्ययन प्राईवेट नियोजन अभिकरणों के कामकाज, उनके काम करने के तरीकों तथा उनके द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों की समझ विकसित करने के उद्देश्य के साथ शुरु किया गया। इस अध्ययन में भारत में मौजूदा तंत्र, उपायों, कानूनी ढांचे आदि की जाँच की गयी तथा यह विश्लेषण किया गया कि क्या वे प्राईवेट नियोजन अभिकरणों के मामले में आईएलओ अभिसमय 181 से मेल खाते हैं। इस अध्ययन में उन देशों, जिन्होंने आईएलओ अभिसमय 181 की अभिपुष्टि कर दी है, के साथ–साथ उन देशों, जिन्होंने आईएलओ अभिसमय 181 की अभिपुष्टि नहीं की है परंतु उन्होंने प्राईवेट नियोजन अभिकरणों के संबंध में अलग से विनियमाक प्रावधान किये हैं, के कानूनों का अवलोकन किया गया। इस अध्ययन

के निष्कर्षों को वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), नई दिल्ली द्वारा आयोजित दो कार्यशालाओं में प्रसारित किया गया।

vuql/kku v/;;u dk mn~ns';

1. विभिन्न प्राईवेट नियोजन अभिकरणों के कामकाज, उनके काम करने के तरीकों तथा उनके द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों की समझ विकसित करना।
2. मौजूदा तंत्र, उपायों, कानूनी ढांचे आदि की जाँच करना तथा पता करना कि क्या वे आईएलओ अभिसमय 181 से मेल खाते हैं।
3. प्राईवेट नियोजन अभिकरणों की कानूनी स्थिति, लाइसेंस की पहचान करना तथा एक विनियामक ढांचा विकसित करने के लिए संभावनाओं का भी पता लगाना।
4. अंतर्देशीय दृष्टिकोणों को समझना तथा विभिन्न देशों में आईएलओ अभिसमय 181 की संपुष्टि की कम दर की जांच करना।
5. मौजूदा विधानों में कमियों का पता लगाकर नये विधान की आवश्यकता का पता लगाना।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को 05 दिसम्बर 2012 को शुरु, एवं 26 जुलाई 2013 को पूरा किया गया था

vuql/kku ifj;kstuk dk ifj.kke%

इस अध्ययन में, प्राईवेट नियोजन अभिकरणों के विनियमन के लिए राष्ट्रीय विधान का मसौदा तैयार करना, मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन, रोजगार कार्यलयों का पुनः प्रवर्तन, प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण आदि, जैसी कतिपय नीतिगत सिफारिशें की गयीं हैं। इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर लिया गया है तथा इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को सौंप दिया गया है।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- ,yhuk lkeUrjk;] ,lksfl,V Qsyks½

Tkkjh ifj;ktuk

1- Hkkjr e çkbloV bthfu;fjx dkytk e ldk; lnL;k dh jktxkj] dk;l ,o lok n’kk,

mnn’;

- भारत में प्राईवेट इंजीनियरिंग संस्थानों के ऐतिहासिक उद्विकास तथा इनके विकास में नवीनतम प्रवृत्तियों का पता लगाना।
- प्राईवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में संकाय सदस्यों की रोजगार, कार्य एवं सेवा दशाओं से संबंधित मुद्दों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विनियामक ढांचे का विहंगावलोकन प्रदान करना।
- वेतन तथा भत्तों, विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के प्रावधान, कॅरिअर उन्नयन के अवसरों एवं पदोन्नति के अवसरों आदि के संदर्भ में प्राईवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों के संकाय सदस्यों की कार्य एवं सेवा दशाओं का विश्लेषण करना।
- प्राईवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में संकाय सदस्यों को प्रदत्त भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा एवं उपदान सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा हितलाभों का मूल्यांकन करना।
- प्राईवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में संकाय सदस्यों की कार्य एवं सेवा दशाओं में सुधार के लिए उचित एवं व्यवहार्य उपायों की सिफारिश करना।

vof/k

जुलाई 2013 से जून 2014 तक

vuql/kku ifj;ktuk dk ifj.kke%

रिपोर्ट का मसौदा पूरा होने वाला है।

¼ifj;ktuk funs’kd% Mk- lat; mik/;k;] Qyks½

—f"k lac/k vkSj xzkeh.k Je dsUnz

कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजार की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए यह महसूस किया गया कि कृषि की स्थिति का पता लगाने एवं इसका अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करने के लिए ज्यादा विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, ताकि ग्रामीण श्रमिकों के विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनूकूल नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, ढाई दशकों से अधिक का अनुभव भी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कृशि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद्र के सृजन का यह एक प्रमुख तर्काधार है।

केंद्र के अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित मुद्दों पर केन्द्रित हैं;

- वैश्वीकरण और ग्रामीण श्रम पर उसका प्रभाव;
- ग्रामीण श्रम बाजारों की बदलती संरचना की मैक्रो प्रवृत्तियां एवं पद्धतियां;
- संगठनात्मक कार्यनीतियों का प्रलेखन, मूल्यांकन और प्रचार–प्रसार;
- सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण श्रम।

iwjh dj yh xbZ ifj;kstuk

Hkkjr esa xzkeh.k dkexkjksa ds fodkl ds fy, tkx:drk ,oa laxBu l`ftr djus gsrq iHkkoh dk;Zuhfr;ksa ,oa rduhfd;ksa fodflr djuk% ,d fØ;kfu"B vuqla/kku ifj;kstuk

mís';

- उभरते परिदृश्य में ग्रामीण श्रमिकों के मुद्दों और चुनौतियों का विहंगावलोकन प्रदान करना।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को समझने, अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए प्रतिभागियों के कौशलों का विकास करना/को तीव्र करना।
- संगठन निर्माण एवं इसके प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों और पहलुओं पर चर्चा करना।
- अंतर–वैयक्तिक और अंतर–समूह संबंधों की संचालन शक्ति की अंतर्दृष्टि प्रदान करना।
- कुछ महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के बारे में जागरूकता का सृजन करना

- मनरेगा के कार्यान्वयन हेतु संगठन निर्माण करने के लिए ग्रामीण कामगारों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण श्रम शिविर आयोजित करने के लिए कौशल प्रदान करना

vof/k

मार्च 2013 से जून 2014 जक

vuqla/kku ifj;kstuk dk ifj.kke%

परियोजना का मुख्य फोकस मनरेगा के बारे में जागरूकता का सृजन करना तथा कामगारों में संगठन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित कार्यक्रमों एवं शिविरों से कतिपय सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं:

1. पहला ग्रामीण श्रम शिविर (आरएलसी) पटना, बिहार में आयोजित किया गया। एक सप्ताह बाद हमें बक्सर से एक टेलीफोन आया। आरएलसी के एक प्रतिभागी ने बताया कि 50 ग्रामीण कामगारों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की, तथा उन्होंने जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया। सभी 50 कामगार अपना आवेदन देने के लिए सामूहिक तौर पर पंचायत ऑफिस गये। शुरु में सरपंच ने उनके आवेदनों को लेने से मना कर दिया। कामगार अक्सर सरपंच के ऊपर दबाव डालते हैं।

2. बिहार के वैशाली जिले में एक प्रतिभागी मनरेगा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए घर–घर गया तथा उसने योजना के तहत काफी लोगों की जॉब कार्ड एवं काम पाने में मदद की। वह कामगारों के मध्य संगठन को बढ़ावा भी दे रहा है।

3. ऐसी ही गतिविधियां सीतामढ़ी और जहानाबाद जिलों से भी सूचित की जा रही हैं। उदाहरणार्थ, सीतामढ़ी जिले में श्री बंसलाल प्रसाद नामक एक कार्यकर्ता ने कई स्थानों पर सभाएं आयोजित कीं तथा "आदर्श ग्रामीण किसान मजदूर विचार मंच" नामक एक संगठन भी बनाया है। इसका उद्देश्य मनरेगा के बारे में जागरूकता फैलाना है।

4. बुंदेलखंड मंडल में मनरेगा के बारे में व्यापक जागरूकता का सृजन किया जा रहा है। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) तथा आरएलसी के कार्यकर्ता झांसी में इकट्ठे हुए और उन्होंने ßvf[ky cqny[kaM ¼;ih ,M ,eih½ etnj lxBuß का गठन किया। उन्होंने विचार–विमर्श के बाद ßegkjkuh y{ehckbl efgyk ;fu;uß का भी गठन किया। बुंदेलखंड मंडल से और आरएलसी एवं टीओटी आयोजित करने के लिए बार–बार अनुरोध किया जा रहा है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि क्या उन्हें कोई वित्तीय सहायता दी जा सकती है ताकि वे खुद शिविर आयोजित कर सकें। उन्होंने अपने आप कई शिविरों का आयोजन किया है।

5. यह भी सूचित किया गया है कि बल्देवगढ़ में आरएलसी के आयोजन के बाद खड़गपुर तहसील के नौरपाड़ा ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण श्रमिकों ने जॉब कार्ड की मांग की तथा उन्हें ये मिल भी गये हैं।

6. ओडिशा के संभलपुर जिले में मनरेगा के तहत सात समितियों/समूहों का गठन किया गया है। स्वयं–सहायता समूह भी मनरेगा के तहत जॉब कार्ड एवं काम की मांग कर रहे हैं। अब, ग्रामीण

श्रमिक मनरेगा के तहत मजदूरी और हक के बारे में जागरूक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद कुछ यूनियनें काफी सक्रिय हो गयी हैं तथा कुछ यूनियनें हस्तक्षेप के बाद गठित की गयी हैं।

7. ओडिशा में टीओटी कार्यक्रम में भाग लेने वाले "ग्रामीण शिक्षकों" ने एक तीन–दिवसीय ग्रामीण श्रम शिविर आयोजित किया। उन्होंने संभलपुर, ओडिशा में ग्रामीण कार्यकर्ताओं के लिए एक पांच–दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम खुद आयोजित किया।

8. संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण श्रमिक मौजूदा वास्तविकताओं एवं शोषण की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक हो गये हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि उनकी यह स्थिति किसी भगवान या उनके भाग्य अथवा उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से नहीं है।

¼ifj;kstuk fun'kd% Mk- iue ,l- pkgku] ofj"B Qyk½

tkjh ifj;kstuk

1- vukipkfjd lDVj d dkexkjk d fy, lkekftd lj{kk mik;% egkjk"V ,o if'pe cxky e dN pfunk dk;Øek@;kstukvk dk v/;;u

mn's;

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और योजनाओं का, उनकी कवरेज, स्थिति एवं कार्यान्वयन तंत्र के संदर्भ में, अध्ययन करना है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- भारत में वर्तमान में संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में व्यापक जानकारी का संग्रहण एवं संकलन।
- राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे कुछ चुनिंदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया का अध्ययन करना।
- कुछ चुनिंदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और योजनाओं का, उनकी प्रशासनिक प्रक्रिया, हितलाभ पैकेज तथा लाभार्थियों के जीवन पर उनके प्रभाव पर विशेष ध्यान देते हुए, मामला अध्ययन आयोजित करना।

vof/k

मई 2013 से मार्च 2015

¼ifj;kstuk fun'kd% Mk- iue ,l- pkgku] ofj"B Qyk½

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के सहयोग से एक विशिष्ट केंद्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के समूचे कार्य में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों, श्रमिक संगठनों और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न विशेष साझेदारों और पणधारियों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। इसका उद्देश्य ज्ञानाधार का सृजन करना और अनुसंधान करना तथा उसे बढ़ावा देना भी है। केंद्र सरकार बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के अपने कार्य में नीति निर्धारकों और विधि निर्माताओं का समर्थन करती है और केंद्र तथा राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देती है। केंद्र का मुख्य विषय तकनीकी सलाह, सेवा और परामर्श प्रदान करना तथा सूचना का प्रचार/प्रसार करना है ताकि बाल श्रम की समस्या को उजागर किया जा सके और लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन कर उनमें जागरूकता लाई जा सके। केंद्र बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के लिए कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने में लगातार प्रयास कर रहा है।

एनआरसीसीएल विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, पक्षसमर्थन, तकनीकी सहयोग, प्रलेखन, प्रकाशन, प्रचार–प्रसार, नेटवर्किंग और विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ़ बनाकर अभिसरण को बढ़ावा देने के जरिए अपना उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

अनुसंधान

अनुसंधान, एनआरसीसीएल के कार्यकलापों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। अनुसंधान परियोजनाओं के केंद्र में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

1. चुने हुए खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन के संबंध में महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का संग्रहण।
2. बाल श्रम के निश्चयात्मक पहलुओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा और बालश्रम के सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक आयामों एवं निर्धारकों का पता लगाने के लिए अध्ययन करना।
3. बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कार्यनीतियां बनाना।
4. सफल अनुभव का प्रलेखन करके बाल श्रमिकों को काम से मुक्त करवाने के अवसर लागतों को स्पष्ट करना।

इन सूक्ष्म–स्तरीय अध्ययनों में जिन पहलुओं का अध्ययन किया गया है, उनमें समस्या की मात्रा, कानूनों का प्रवर्तन, सरकारी तथा गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, जीवन तथा कार्य दशायें, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम आदि शामिल हैं। एनआरसीसीएल ने कई अनुसंधान अध्ययनों और प्रमुख मूल्यांकन अध्ययनों को पूरा कर लिया है।

iqjh dh xbZ ifj;kstuk,a

1- ,d lefUor nf"Vdks.k ds tfj, mÙke dk;Z dks c<+kok nsus ds ek/;e ls cèkqvk etnwjh dk mUewyu ,oa cykr~ Je dh lqHks|rk de djuk

इस परियोजना का उद्देश्य उत्तम कार्य को बढ़ावा देने के माध्यम से उन परिस्थितियों, जो दासता जैसी स्थितियों का काम करती हैं, में कमी करते हुए बलात्श्रम की सुभेद्यता की रोकथाम करना है। इसका उद्देश्य सुभेद्य कामगारों की स्थिति में सुधार करने हेतु तथा श्रम संबंधों में दासता एवं बलप्रयोग के संभावित तत्वों को समाप्त करने के लिए क्षमता का विकास करते हुए भी जागरूकता का सृजन करना भी है। इस परियोजना का उद्देश्य कार्यस्थलों में सुधार, कामगारों का व्यवस्थापन एवं संघीकरण, तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ जोड़ने सहित प्रवासी कामगारों के लिए अंतर–राज्यीय समन्वयन तंत्र को सुदृढ़ करना भी है। इसके व्यापक उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और उनके अनुप्रयोग पर सामाजिक भागीदारों के अवबोधन का विकास करना, तथा प्रतिभागियों के मध्य अनुभव साझा करने को सुकर बनाना और अच्छे व्यवहारों पर चर्चा करना भी है।

ifj;kstuk dks 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

परियोजना को 02 मार्च 2013 को शुरु, एवं 16 जुलाई 2013 को पूरा किया गया था

vuqla/kku ifj;kstuk dk ifj.kke% कार्य पर मौलिक सिद्धांत तथा अधिकार, अच्छे व्यवहारों एवं सीखे गए सबक को प्रतिभागियों के मध्य साझा करने, विभिन्न संगठनों के कार्यस्थल में सुधार करने, कामगारों का संघीकरण, तथा सुभेद्य कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ जोड़ने पर प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण। देश के विभिन्न भागों में दासता हेतु परिवारों की सुभेद्यता में काफी कमी आना इस परियोजना के परिणामों में से एक है।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- gsyu vkj- lsdj] ofj"B Qsyks½

2 mÙke dk;Z dks c<+kok nsus ds ek/;e ls c/kqvk etnwjh dk mUewyu ,oa cykr~ Je dh lqHks|rk de djus gsrq VªM ;wfu;u urkvksa dk mUeq[k djuk ,oa lonsu'khy cukuk

भारत में बंधुआ मजूदरी प्रथा विभिन्न रूपों में प्राचीन से अस्तित्व में है। गरीबी, दहेज, उत्सव के अनुष्ठान, तथा अन्य रिवाज जैसे मांग वाले सामाजिक रीति–रिवाज समाज के दुर्बल वर्ग को काफी

हद तक ऋण बंधन तथा बलात् श्रम के अन्य रूपों के लिए सुभेद्य बनाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे परिवार जो बमुश्किल अपना जीवनयापन करते हैं, इन अतिरिक्त सामाजिक दबावों के लिए व्यय करने के लिए मजबूर होते हैं। अन्य मामलों में जीवनयापन के खराब स्तर के कारण परिवार बड़ी बीमारियों के लिए अतिसंवेदनशील हो जाते हैं और इस प्रकार उनके पास पैसे उधार लेने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता है। यद्यपि यह कर्ज अमीर साहूकारों द्वारा तुरंत दिया जाता है, यह पीढ़ी–दर–पीढ़ी दासता में काम करने का फिनोमिना बन जाता है।

परियोजना के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार थेः

- बंधुआ मजदूरी एवं बलात् श्रम, श्रमिकों के गुलामी के रूपों में बच्चों सहित, के मुद्दों की समझ विकसित करना।
- बलात्/बंधुआ मजूदरों की पहचान एवं उन्हें मुक्त कराने के लिए कौशल, विधियां एवं तकनीक प्रदान करना।
- मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए प्रभावी तरीके से काम करने हेतु तैयार करना।
- अधिकार–आधारित जागरूकता शिक्षा प्रदान करते हुए कामगारों के सशक्तिकरण हेतु कौशल प्रदान करना तथा इस प्रकार उन्हें खुद को संगठित करने एवं कामगारों के दासता में प्रवेश को रोकने के लिए सामूहिक सौदेबाजी में समर्थ बनाना।

ifj;kstuk dk 'k# ,o ijk djus dh frfFk

परियोजना को 13 मार्च 2013 को शुरु, एवं 16 जुलाई 2013 को पूरा किया गया था

ifj;kstuk dk ifj.kke% बंधुआ मजदूरी की अवधारणा, परिभाषा, उद्गम, विकास, विभिन्न रूप, मात्रा, भौगोलिक प्रसार तथा इससे संबंधित अन्य मुद्दों का अवबोधन बढ़ाया। मानवीय दासता के समाधान हेतु ट्रेड यूनियनों को न्यायिक हस्तक्षेप सहित विभिन्न कार्यनीतियों, तथा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की परिभाषा एवं कार्य–क्षेत्र की जानकारी प्रदान की गई। ट्रेड यूनियनों को उन लोगों, जो दासता में हैं, को मुक्त करवाने, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए प्रभावी तरीके से काम करने, तथा कामगारों के दासता में प्रवेश को रोकने के लिए समर्थ बनाया गया।

¼ifj;kstuk fun’kd½ Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk½

3- c/kqvk etnjh ,o cykr Je dk lek/kku djus ds fy, Je iorZu r= ,o vU; lkekftd Hkkxhnkjksa dk rS;kj djukA

इस परियोजना को मुख्यतः अभिसरण की अवधारणा एवं इसके उस समय, जब श्रम प्रवर्तन तंत्र अभिसरण दृष्टिकोण को अपनाता है और भारत में बंधुआ मजूदरी प्रथा को समाप्त करने हेतु अन्य सामाजिक भागीदारों के साथ अभिसरण करता है, प्रभाव पर शुरु किया गया था।

परियोजना के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार थेः

i) मौजूदा सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं के स्रोत एवं गंतव्य क्षेत्र स्तर पर अभिसरण के माध्यम से कामगारों की पारिवारिक कर्जदारी एवं गरीबी को कम करने हेतु कामगारों एवं उनके परिजनों के लिए सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए श्रम प्रवर्तन तंत्र को तैयार करना। ii) श्रम अधिकारियों को नियोक्ताओं और उनके संगठनों द्वारा कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु राजी करते हुए कार्यस्थल में सुधार के लिए कानूनी प्रावधानों के लिए प्रेरित करना। iii) त्रिपक्षीय भागीदारों के मध्य सक्रिय सामाजिक संवाद प्रक्रिया के द्वारा भर्ती प्रणाली एवं कार्यदशाएं, मजदूरी एवं अग्रिम के भुगतान का विनियमन में सुधार की संभावना तलाशना।

ifj;kstuk dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

परियोजना को 18 मार्च 2013 को शुरु, एवं 16 जुलाई 2013 को पूरा किया गया था

ifj;kstuk dk ifj.kke% प्रतिभागियों को बंधुआ मजदूरी एवं बलात् श्रम से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के बारे जागरूक किया गया। अधिकारियों की मौजूदा अभिसरण तंत्र, जिसे बंधुआ मजूदरी/बलात् श्रम के मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है तथा उसके अनुप्रयोग के बारे में समझ एवं जानकारी का संवर्धन किया गया। प्रतिभागियों को श्रमशक्ति सहित उपलब्ध्य स्रोतों की लामबंदी एवं उपयोगीकरण के बारे में बताया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyks½

4- cky Je ds f[kykQ vfHklj.k% Hkkjr ds ekWMy ds fy, leFkZu ifj;kstuk ds rgr oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku esa Kku dsUnz dh LFkkiukA

बढ़ते भूमिका ज्ञान सृजन को स्वीकार करना एवं साझा करना बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की पूर्व शर्तें हैं। समकालीन जगत में बाल श्रम एक ऐसा मुद्दा है जो विकासशील एवं विकसित, दोनों प्रकार के देशों के लिए चिंता का एक प्रमुख सरोकार है। वैश्विक स्तर पर बाल श्रम के मुद्दे पर सांख्यिकीय डाटा, अनुसंधान, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट, शैक्षिक एवं पक्ष समर्थन सामग्री, अकादमिक वर्किंग पेपर एवं आलेख तथा अन्य जानकारी विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध है। सूचना के डिजिटाईजेशन के साथ इन सामग्रियों को एक साथ एकत्र करने का यह अत्यंत कठिन कार्य आसानी से किया जा सकता है। हालांकि, केवल सूचना से ही बाल श्रम पर ज्ञान का सृजन अथवा जागरूकता का संवर्धन नहीं किया जा सकता है।

बाल श्रम के मुद्दों पर सूचना एवं जानकारी को प्राप्त करने तथा इसका प्रचार–प्रसार करने के लिए एक ज्ञान प्रबंधन ढांचा आवश्यक है जिसके अकादमिक एवं विकासशील सोच, और नीति निर्माण एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बाल श्रम पर काम कर रहे विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, शिक्षाविदों, वैयक्तिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य सामाजिक भागीदारों एवं पणधारियों के लिए कार्यनीतिक निहतार्थ हैं।

परियोजना के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार थेः

- एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विशिष्ट ग्राहकों एवं पणधारियों को लक्षित औपचारिक ज्ञान उत्पादों एवं सेवाओं और ज्ञान उप–उत्पादों का सृजन करना।
- बल श्रम संबंधी इस जानकारी का प्रबंधन एवं इसके प्रसार का विनियमन
- सूचना को लक्षित समूह विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना तथा इसे संबंधित लक्ष्य समूहों – सामाजिक भागीदारों, पणधारियों एवं लाभार्थियों तक पहुंचाना।

ifj;kstuk dk 'k# ,o iijk djus dh frfFk

परियोजना को 06 मार्च 2012 को शुरु, एवं 30 मई 2013 को पूरा किया गया था

ifj;kstuk dk ifj.kke% बाल श्रम के खिलाफ अभिसरण परियोजना के तहत वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) के एक भाग के तौर पर बाल श्रम ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है।

¼ifj;kstuk fun'kd% Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk½

5- dk;l ij ekfyd fl)kr vkj vf/kdkj ¼,QihvkjMCY;½ ,o Hkkjr e vukipkfjd vFk0;oLFkk % lkfgR; dh leh{kk

भारत में आर्थिक सुधारों एवं वैश्वीकरण के अभ्युदय के साथ पिछले कुछ दशकों से अनौपचारिक रोजगार काफी मात्रा में रहा है और यह फिनोमिना लगातर बढ़ रहा है। इसकी मात्रा का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि कार्यबल की लगभग 93 प्रतिशत आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत बहुत सारे कामगारों को रोजगार–आधारिक हितलाभों एवं संरक्षणों से वंचित रखा जाता है। यह स्थिति उन मामलों में और भी खराब है जहां पर कामगार अनौपचारिक रोजगार में हैं। यद्यपि अनौपचारिक रोजगार की व्यापकता से संबंधित दृष्टिकोणों में भिन्नता है, आम राय है कि जो लोग स्व–रोजगार, शहरी लघु उद्यमों एवं विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं में लगे हैं, अनौपचारिक रोजगार में हैं। ये प्रक्रियाएं बहुत कम अथवा बिना किसी पूंजी के, पारंपरिक एवं प्राथमिक तकनीक का प्रयोग करते हुए, अधिक मजूदरों पर निर्भर रहते हुए तथा जीवनयापक मजदूरी पर रहते हुए घरों में चलाई जाती हैं। सामाजिक सुरक्षा

उपायों एवं सामाजिक सुरक्षण के अभाव, सामूहिक सौदेबाजी तंत्र के कमजोर होने और रोजगार का स्तर खराब होने से कार्यबल की बढ़ती सुभेद्यता एवं असुरक्षिता ऐसी माईक्रो–वास्तविकताओं के प्रतिबंब हैं। ऐसी स्थिति, जिसमें कार्यबल की बहुत बड़ी संख्या, उत्पादन की अत्यधिक मात्रा और भौगोलिक विस्तार शामिल हो, में सरकारों को इस उभरते मुद्दे के बारे में चिंतित होना चाहिए। अनौपचारिक सैक्टर पर चिंता एवं फोकस किए जाने की आवश्यकता है विशेषकर उस अवस्था में, जब इसके विकास एवं प्रतिस्पर्धा पर ऋणात्मक परिणाम हों तथा इसके अर्थव्यवस्था पर अन्य प्रतिकूल प्रभाव हों। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में भारत में कार्य पर मौलिक सिद्धांत और अधिकार (एफपीआरडब्ल्यु) उत्तम कार्य की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उचित मजदूरी, कार्यस्थल पर सुरक्षा, समान अवसर एवं व्यवहार, संगठन की स्वतंत्रता एवं निर्णय लेने में भागीदारी के अवसर देता है और इस संदर्भ में एफपीआरडब्ल्यु की प्रासंगिकता को कम करके नहीं आंका सकता है। व्यापक साहित्य समीक्षा शुरु की गयी और इस परियोजना के एक भाग के तौर पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। इसके परिणाम को "समसामयिक परिदृश्य में कामगारों के अधिकार एवं प्रथाएं" शीर्षक वाले संपादित खंड के तौर पर प्रकाशित किया गया।

ifj;kstuk dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

परियोजना को जनवरी 2013 में शुरु, एवं अप्रैल 2013 में पूरा किया गया था

ifj;kstuk dk ifj.kke% इस परियोजना में की गई व्यापक साहित्यिक समीक्षा ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के लिए इस विषय पर विभिन्न पेपरों को तैयार करने, पॉवरप्वाइंट प्रस्तुतीकरण और अन्य दस्तावेजों के लिए उपयोगी सामग्री प्रदान की।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- gsyu vkj- lsdj] ofj"B QSyks½

6- cky Je ij osc lalk/ku dk xBu

डिजिटाईजेशन के आज के युग में एक बाल श्रम पर वेब संसाधन (ज्ञान बैंक) का गठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह बाल श्रम पर शोध करने वाले यह शिक्षाविदों, संगठनों एवं व्यक्तियों के लिए बटन को दबाते ही काफी ज्यादा सूचना तक पहुंच प्रदान करते हुए अनुसंधान के एक शक्तिशाली साधन के तौर पर कार्य करता है। इस परियोजना के लिए बाल श्रम पर सामग्री एवं डाटा (बाल श्रम पर ग्रंथसूची संबंधी सामग्री, आलेख, जर्नल्स, निर्णयज विधियां, तथा अन्य भौतिक एवं डिजिटल सामग्री) को संग्रहित, व्यवस्थित, संपादित किया गया और वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के मौजूदा वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया। परियोजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं हेतु आसान इंटरफेस .के लिए बाल श्रम ज्ञान बैंक का गठन करना था। डाटा को प्राप्य बनाया जा रहा है ताकि सभी पणधारियों की आवश्यकता की पूर्ति हो तथा ज्ञान को साझा करने एवं इसके प्रचार–प्रसार को सुगम बनाया जा सके।

ifj;ktuk dk 'k# ,o iijk dju dh frfFk

परियोजना को 06 मार्च 2012 को शुरू, एवं 30 मई 2013 को पूरा किया गया था।

ifj;ktuk dk ifj.kke% बाल श्रम पर विविध साहित्य, सांख्यिकीय डाटा, वृत्तचित्र, ग्रंथसूची संबंधी सामग्री विकसित की, बनाई, जुटाई गई तथा बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई हेतु पूरे विश्व में सुलभ बनाने के लिए इसे वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के मौजूदा वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया। ।

¼ifj;ktuk fun'kd% Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk½

7- cky Je lpuk ,o iy[ku i.kkyh ¼pkbYMkl½ dk l'tu

बाल श्रम सूचना एवं प्रलेखन प्रणाली (चाइल्डोस) बाल श्रम पर जानकारी का एक कोष है, जिसे एक साथ रखा एवं व्यवस्थित किया गया है ताकि इस जानकारी को पाने वाले, यथा भारत सरकार एवं राज्य सरकारों में नीति–निर्माता एवं योजनाकार, ट्रेड यूनियनों के सदस्य, नियोक्ता संघ तथा बाल श्रम के मुद्दे पर काम कर रहे अन्य संगठन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, व्यक्तिगत शोधकर्ता एवं शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य सामाजिक भागीदार, पणधारक और इस मुद्दे में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए पहुंच को सुगम बनाया जा सके। बाल श्रम सूचना एवं प्रलेखन प्रणाली के लिए प्राप्त की गई सामग्री में बाल श्रम पर विविध प्रकार के दस्तावेज, भौतिक एवं डिजिटल रूपों में बाल श्रम पर पुस्तकें, गजेट, अनुसंधान रिपोर्टें, मामला अध्ययन, सरकारी रिपोर्टें, कार्यशाला रिपोर्टें एवं शोध निबंध हैं। इस पाठ के अतिरिक्त मूल वीडियो कैसेट्स, विभिन्न उद्योंगों में काम करते बच्चों एवं उसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य जोखिम को दिखाते हुए सीडी (कंपैक्ट डिस्क), अखबारों की कतरनें और फोटो शामिल हैं।

ifj;ktuk dk 'k# ,o iijk dju dh frfFk

परियोजना को 06 मार्च 2012 को शुरू, एवं 30 मई 2013 को पूरा किया गया था।

ifj;ktuk dk ifj.kke% राष्ट्रीय बाल श्रम ज्ञान केंद्र में विभिन्न रूपों में उपलब्ध बाल कार्य पर सूचना की डिजिटल सूची विकसित की तथा ऐसे बाल कार्यों से संबंधित सामग्री, जो केंद्र में उपलब्ध नहीं है, के संदर्भ एवं अभिलेखन के लिए की डिजिटल सूची भी विकसित की।

¼ifj;ktuk fun'kd% Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk½

8- cky Je d mUeyu d fy, lkekftd lj{kk ;ktukvk dk vfHklj.k

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अभिसरण, विभिन्न राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार की ऐसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, जिनके पास बाल श्रमिकों वाले परिवारों तथा उन कमजोर परिवारों, जो अपनी पारिवारिक आय को बढ़ाने हेतु अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं, के आर्थिक पुनर्वास के माध्यम से बाल श्रम के उन्मूलन की क्षमता है, का संकलन है।

ifj;ktuk dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

परियोजना को अप्रैल 2013 में शुरु, एवं 03 दिसम्बर 2013 को पूरा किया गया था।

ifj;ktuk dk ifj.kke% एक दस्तावेज के तौर पर प्रकाशित एवं पूरे देश में प्रसारित।

¼ifj;ktuk fun'kd% Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk½

9- cky Je vkj LokLF; tkf[ke

इस परियोजना का उद्देश्य आबादी के विभिन्न वर्गों के सुग्राहीकरण वाले प्रशिक्षण एवं अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से कार्यस्थल पर बच्चों द्वारा सामना किए जा रहे खतरों के बारे में जागरूकता का सृजन करना है। इस परियोजना में तीनों प्रमुख क्षेत्रों कृषि, निर्माण एवं सेवा क्षेत्र, के बाल श्रमिकों को कवर किया गया। इस परियोजना में कार्यदशाओं एवं उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों एवं खासकर उन व्यवसायों एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं में, जहां बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं, व्यावसायिक जोखिमों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। जमीनी, जमीन के अंदर एवं पानी के अंदर वाले व्यावसायिक जोखिमों पर विशेष ध्यान दिया गया।

ifj;ktuk dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

परियोजना को अप्रैल 2013 में शुरु, एवं 11 दिसम्बर 2013 को पूरा किया गया था।

ifj;ktuk dk ifj.kke% एक दस्तावेज के तौर पर प्रकाशित एवं बाल श्रम का मुकाबला करने की ओर सुग्राहीकरण एवं जागरूकता सृजन के लिए पूरे देश में प्रसारित।

¼ifj;ktuk fun'kd% Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk½

10- cky Je vkj fo/kk;h <kpk

बाल श्रम और विधायी ढांचा में बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के उद्देश्य से बनायी गयी विधायी पहलों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न देशों की कानूनी प्रावधानों पर बुनियादी जानकारी को तुलना के लिए, एवं देश–विशेष की चुनौतियों को दर्शाते हुए कार्यान्वयन की स्थिति के विश्लेषण के लिए उपलब्ध कराना था।

ifj;ktuk dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

परियोजना को अप्रैल 2013 में शुरु, एवं 19 दिसम्बर 2013 को पूरा किया गया था।

ifj;ktuk dk ifj.kke एक दस्तावेज के तौर पर प्रकाशित एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारियों तथा देश के अन्य सामाजिक भागीदारों के मध्य सुग्राहीकरण एवं जागरूकता सृजन के लिए पूरे देश में प्रसारित।

¼ifj;ktuk funs'kd% Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk½

11- cky Je dk le>uk

इस परियोजना का उद्‌देश्य बाल श्रम की अवधारणा, मात्रा एवं प्रकारों पर विश्लेषणात्मक समझ प्रदान करना था। बाल श्रम के पारिभाषिक पहलुओं पर, बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के उद्‌देश्य से बनाए गए विधान, नीति, न्यायिक हस्तक्षेप तथा अन्य पहलों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गयी।

ifj;ktuk dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

परियोजना को अप्रैल 2013 में शुरु, एवं 27 दिसम्बर 2013 को पूरा किया गया था।

ifj;ktuk dk ifj.kke एक दस्तावेज के तौर पर प्रकाशित एवं बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में समझ, सुग्राहीकरण एवं श्रम जागरूकता सृजन के संवर्धन के लिए पूरे देश में प्रसारित।

¼ifj;ktuk funs'kd% Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk½

tkjh ifj;ktuk,

1- cky Je ij l/kkj.kh; Kku <kpk fodflr djuk rFkk vkipkfjd Kku mRiknk] mi mRiknk ,o lokvk dk ipkj&ilkj

इस परियोजना का उद्‌देश्य बाल श्रम के मुद्‌दे का समाधान करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की चुनौतियों, सफलताओं एवं उपलब्धियों के प्रलेखन के कार्य को शुरु करना तथा आबादी के विभिन्न वर्गों तक बाल श्रम से संबंधित कई मुद्‌दों पर ज्ञान उत्पादों एवं सूचना का समय–समय पर प्रसार करना और इस प्रकार अधिक जागरूकता का सृजन करना जिससे जनता के रवैये में बदलाव लाया जा सके और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए लोगों को लामबंद करने का कार्य किया जा सके। इसके उद्‌देश्य हैं: i) बाल श्रम के मुद्‌दे के समाधान हेतु सांस्थानिक क्षमताएं विकसित करना तथा देश में मौजूद क्षमताओं में वृद्धि करना; ii) बाल श्रम पर सूचना का संग्रहण, वर्गीकरण, इसे व्यवस्थित

करना, पुनः प्राप्त करना एवं इसकी तुलना करना; iii) देश में विभिन्न सामाजिक भागीदारों द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन के लिए चलाए जा रही विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना; iv) बाल श्रम का मुकाबला करने के उद्देश्य से बनाए गए विविध हस्तक्षेपों का बाल श्रम को नियंत्रित करने, इसके उन्मूलन के कार्य में लगी सरकारों, कानून निर्माताओं, नीति निर्माताओं, ट्रेड यूनियनों, गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ तथा अन्य सामाजिक भागीदारों के मध्य प्रसार करना; v) "चाइल्ड होप" नामक न्यूजलेटर प्रकाशित करना; vi) उनकी प्रतिकृति बनाने के लिए अच्छे व्यवहारों को साझा करना।

vof/k

मई 2013 से जून 2014 तक

ifj;kstuk dk ifj.kke% बाल श्रम पर ज्ञान ढांचा विकसित किया एवं स्थापित किया। औपचारिक ज्ञान उत्पादों, उप उत्पादों एवं सेवाओं का प्रसार किया एवं कई नीति निर्माताओं, योजनाकारों, कार्यक्रम कार्यान्वयन करने वालों, राय देने वालों और अन्य पणधारियों को व्यापक तकनीकी सहायता प्रदान की।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- gsyu vkj- lsdj] ofj"B Qsyks½

2- cPpksa ds jkstxkj dh xfr'khyrk ,oa lkekftd &vkfFkZd okLrfodrk% e?kky; ds oLV tSfr;k fgYl ftys esa [krjukd O;olk;ksa esa yxs cPpksa dk v/;;u

वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए इमारती लकड़ी की बिक्री, जो कई किसानों की आय का एक प्रमुख स्रोत था, पर 1981 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के बाद कोयला खनन एक बढ़ता हुआ उद्योग रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 640 मिलियन टन कोयले के साथ तृतीयक कोयले का भंडार देश में कुल कोयले के भंडार का लगभग 1.1 प्रतिशत बैठता है। मेघालय राज्य में खनन उद्योग सकल घेरलू उत्पाद (जीडीपी) में 8 – 10 प्रतिशत का अंशदान करता है। यह बताया गया कि मेघालय राज्य के जैंतिया हिल्स जिले, जो अंशतः बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, में लगभग 40 मिलियन टन कोयला निकल सकता है। जैंतिया हिल्स की कोयले की खानों में खुदाई के पुराने तरीके, जिसे स्थानीय स्तर पर "रैटहोल माइन" कहा जाता है तथा जो 1 मीटर व्यास एवं 50 से 100 मीटर तक खुदे गहरे संकरे शाफ्ट होते हैं, अपनाये जाते हैं। कोयले को लकड़ी के छोटे पीपों में उठाया जाता है और फिर सिर पर रखकर सड़क किनारे खड़े ट्रकों मे लादा जाता है। अकेले जैंतिया हिल्स में खुदाई के इस तरीके से प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन टन कोयला निकाला जाता है। इस अनुसंधान परियोजना के उद्देश्य हैं: i) कोयले की खानों में कामगारों के सामाजिक–आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का अध्ययन करना; ii) कोयला खदान कामगारों के रोजगार, कार्यदशाओं एवं रहने की स्थिति के पैटर्न का अध्ययन करना; iii) कोयले की खानों एवं अन्य संबद्ध कार्यकलापों में

बाल कामगारों के प्रसार, प्रकारों एवं विस्तार की जाँच करना; iv) मौजूदा संलेख एवं कार्रवाई, कानूनी ढांचे एवं श्रम प्रवर्तन में उचित संशोधनों के सुझाव देना।

vof/k

09 अक्टूबर 2013 से जुलाई 2014 तक

ifj;kstuk dk vis{kr ifj.kke% कार्य के विभिन्न रूपों से बच्चों को निकालने एवं उनके पुनर्वास के लिए बच्चों की पहचान एवं ठिकाने को दर्शाते सुगम बनाते हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- gsyu vkj- lsdj] ofj"B Qsyks½

lefdr Je bfrgkl vu|l/kku dk;Øe ¼vkbl,y,pvkjih½

समेकित श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम (आईएलएचआरपी), श्रम इतिहास अनुसंधान के संबंध में एक विशिष्ट कार्यक्रम है, जिसकी स्थापना एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स के सहयोग से की गई थी। यह एसोसिएशन श्रम के इतिहास में रूचि रखने वाले व्यावसायिक इतिहासकारों और विद्वानों का एक निकाय है। समेकित श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम का सर्वोपरि उद्देश्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना, उसे समेकित और पुनर्जीवित करना है और देश में अपनी किस्म का यह पहला प्रयास है। कार्यक्रम के तीन परस्पर पुनर्बलनकारी घटक हैं, जैसे कि ''भारतीय श्रम का डिजिटल अभिलेखन, भारत के श्रम इतिहास को लिखना तथा अंतर विधात्मक अनुसंधान''। अभिलेखागार श्रमिकों से संबंधित विभिन्न प्रलेखों और सामग्री का, विभिन्न पणधारियों (जैसे ट्रेड यूनियनें, गैर–सरकारी संगठन, सरकारी विभाग और व्यापारी घराने) के सहयोग और नेटवर्किंग के माध्यम से संकलन और परिरक्षण करता है। डिजिटल अभिलेखन में लगी ऐसी ही एजेंसियों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) के साथ नेटवर्किंग भी अभिलेखागार का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

अभी तक यह अभिलेखागार देश के श्रमिक प्रलेखों का एक सबसे बड़ा डिजिटल संग्रहालय है, जहां सार्वजनिक सुलभता के लिए विश्वव्यापी वेब (www.indialabourarchives.org) में डाटा के 15 से अधिक गिगाबाइट्स मौजूद हैं। अभिलेखागार के लिए संकलन, श्रमिक इतिहास के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान और संकलन परियोजनाओं के संचालन और अनुवीक्षण के जरिए सृजित किए जाते हैं जिसमें देश के अंदर और देश के बाहर के विशेषज्ञों और अभिकरणों के साथ बातचीत और नेटवर्किंग शामिल है। कार्यक्रम के अंतर्गत, श्रमिक इतिहास के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के संबंध में नियमित रूप से शैक्षणिक चर्चाएं, सेमिनार और परिचर्चाएं भी आयोजित की जाती हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक अनुसंधान और संकलन की 50 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं/चल रही हैं। वर्ष 2000 से कार्यक्रम के अंतर्गत 18 वर्किंग दस्तावेज प्रकाशित किए गए हैं तथा लगभग 85 संगोष्ठियां/चर्चाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें श्रमिक इतिहास से संबंधित 9 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां शामिल हैं।

vkbl,y,pvkjih dk mnns';

- vu|l/kku ,o laxg.k% भारतीय श्रम के अभी के एवं पहले के दस्तावेजों एवं डाटा, जो अपुनर्लभ्यता के साथ खोते जा रहे हैं, का संग्रहण शुरु करना तथा उसे मिलाना और संग्रहीत सामग्री पर अनुसंधान के माध्यम से इसे समृद्ध बनाना।
- fMftVy laxg.k% दस्तावेजों एवं कामगारों की आवाजों के एक विशेषीकृत कोष के लिए एकीकृत मल्टीमीडिया भंडारण एवं पुनर्प्राप्ति प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण डिजिटल ढांचे का सृजन।

- ,frgkfld ,o lelkef;d nLrkostk dk ,dhdj.k% विशेष संग्रहों यथा श्रम आयोग, हड़ताल, ट्रेड यूनियनों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रिकॉर्ड पर व्यवस्थित ऐतिहासिक एवं समकालीन अवधि के रिकॉर्ड तक पहुंच सुगम बनाना।
- lkotfud bVjQl ,o ilkj% आईएलएचआरपी की अनुसंधान परियोजनाओं के द्वारा सृजित जानकारी के प्रसार के लिए संगोष्ठी का आयोजन, वर्किंग पेपर जारी करना, फिल्म दिखाना एवं प्रकाशन।

वर्ष 2013–14 के दौरान शुरु की गई परियोजनाएं

Øe l-	Ikfj;kstuk	'kq# djus dh frfFk	iwjk djus dh frfFk
1.	डिजिटल संग्रहण का पुनर्अभिकल्पन	अप्रैल 2013	नवम्बर 2013
2.	ट्रेड यूनियन आंदोलन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण	जून 2013	दिसम्बर 2013
3.	दलित आंदोलन एवं श्रम आंदोलन का इतिहासः एक अनुसंधान एवं संग्रहण परियोजना – फेज़ II	जून 2013	मार्च 2014

Ike[k ifj.kke

fMftVkbts'ku ifj;kstuk,a

iwjh dh xbZ ifj;kstuk,a

1- fMftVy laxg.k dk iquvfHkdYiu

इस परियोजना में भारतीय श्रम के अभिलेख की वेबसाइट www.indialabourarchives.org के उन्नयन पर जोर दिया गया। इसकी प्रमुख गतिविधयां इस प्रकार थीं:

- ऑन–साइट सर्वर पर डिजिटल आर्काइवल प्लेटफॉर्म का संस्थापन
- फ्रंट–एंड के लिए लक्षित संग्रह छवियों/परिसंपत्ति की पहचान करना
- सिस्टम डिजाइन एवं सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग के लिए फेडोरा ऑब्जेक्ट स्टोरेज रेपोजिटरी बेस का सृजन
- सर्च इंजिन "एसओएसआर" और फ्रंट–एंड "आइसलैंडोरा" का संस्थापन
- एक विषय चुनने हेतु उपयोगकर्ता के लिए फ्रंट–एंड पैकेज की पहचान करना
- टॉवर–सर्वर में डाटा स्टोरेज का सृजन
- संग्रहण का सर्वर में अंतर्ग्रहण

2- VsM ;fu;u vkanksyu ds nLrkostksa dk fMftVyhdj.k

इस गतिविधि में व्यापक विविधता वाले दस्तावेजों (अखबार, पत्रिकाएं, साप्ताहिकियां) जैसे कि सीपीआई के मुंबई कार्यालय से प्राप्त अवामी दौर साप्ताहिकी, कांग्रेस सोशलिस्ट, हुंकार, इंडिया टुडे, जनयुग, क्रांति के 5310 पन्नों की इमेज प्रोसेसिंग (छवियों को संसाधित करना) शामिल था। संसाधित छवियों को संरक्षित किया गया है तथा जनता के उपयोग के लिए यह शीघ्र ही भारतीय श्रम के अभिलेख की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त, मेटाडाटा एवं इन सामग्रियों की क्रमसूची भी बनाई गई है।

3- Mk- ch- vkj- vcsMdj ds Je ij ys[kuksa ,oa Hkk"k.kksa dk fMftVyhdj.k

इस परियोजना में महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न संस्करणों से डॉ. बी. आर. अंबेडकर के लेखनों एवं भाषणों के 4730 पन्नों को स्कैन किया गया और उन छवियों को संसाधित किया गया। संसाधित छवियों को संरक्षित किया गया है तथा जनता के उपयोग के लिए यह शीघ्र ही भारतीय श्रम के अभिलेख की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

iwjh dh xbZ ifj;kstuk

nfyr vkanksyu ,oa Je vkanksyu dk bfrgkl% ,d vuqla/kku ,oa lxg.k ifj;kstuk & Qst II

इस परियोजना का उद्देश्य भारत में दलित इतिहासों एवं श्रमिकों के इतिहासों में जाति एवं वर्ग की श्रेणियों की जाँच करना है। जाति एवं वर्ग की अवधारणाओं का उद्भव समकालीन था, इनके अभिसरण एवं अपसरण साथ–साथ हुए। विभिन्न ऐतिहासिक मोड़ों, जिनसे जाति एवं वर्ग के संबंधों के अलग निहितार्थ उत्पन्न होते हैं, इस परियोजना के केंद्र–बिंदु में हैं। काम करने की वैधता का अवबोधन और इसे स्थितिजन्य श्रम तक बढ़ाना, विभिन्न ऐतिहासिक मोड़ों में जाति एवं वर्ग की जटिलताओं का अध्ययन करने हेतु प्रासंगिक है। कतिपय जातियों की काम करने की अवैधता से वैधता तथा इसके साथ काम के बदलते अर्थ का अध्ययन करने की आवश्यकता है। अस्पृश्यता के काम के साथ संबंध को ऐतिहासिक बनाने, और कैसे अस्पृश्यता से काम की उत्पति होती है एवं विलोमतः अर्थात काम से अस्पृश्यता की उत्पति होती है, का अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, पलायन के कारण किसी जाति एवं वर्ग में किसी व्यक्ति की स्थिति के अनुभवों की उभयभाविका का पता लगाने की आवश्कता है। विभिन्न जाति समूहों द्वारा न केवल जाति पदानुक्रम पर जोर देने के लिए अपितु इसे बनाये रखने के लिए भी हिंसा को अपनाना जाति एवं वर्ग की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए प्रासंगिक है।

इस परियोजना के तहत अनुसंधान में अन्य बातों के साथ–साथ इस बात का पता लगाया जाएगा कि कामकाजी वर्ग के बारे में लिखते समय जातिगत संवेदनशीलता एवं जुड़ाव का समाधान कैसे किया जाए। एक ऐसे मॉडल, जो उत्पादन की श्रेणी एवं रीति पर जोर देता है, के द्वारा सोसायटी को

समझने के बार–बार प्रयास किए गए हैं। इसमें पहचान एवं अनुभव के लिए कोई स्थान नहीं बचता है। अतः फोकस उन सामाजिक प्रक्रियाओं पर होना चाहिए जो सामाजिक वास्तविकताओं के साथ संबद्ध हों। जाति को पूंजीवादी आधुनिकता में रखने तथा उस जाति के अंदर श्रम प्रक्रियाओं का पता लगाने, और शोषण के विभिन्न प्रकारों को ऐतिहासिक बनाने की आवश्यकता है क्योंकि श्रेणियां श्रम प्रक्रियाओं के द्वारा बदलती रहती हैं।

परियोजना के दूसरे फेज़ में अभिलेखीय संग्रहण में भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, जगजीवन विद्या भवन से रिकॉर्डों का संग्रहण शामिल था। अभिलेखीय स्रोतों के आधार पर इस परियोजना में डॉ. बी. आर. अंबेडकर के श्रम पर लेखनों एवं भाषणों पर अनुसंधान कार्य किया गया। इस परियोजना में गौण डाटा का संग्रहण दिल्ली/रा. रा. क्षेत्र तथा बंगलौर के विभिन्न पुस्तकालयों से किया गया।

एक दस्तावेज "अगेंस्ट फ्यूडलिज्म एवं ब्राह्मणिज्म": दि एंटी खोटी मूवमेंट इन कोंकण सी. 1920–1949 को एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला सं 106/2013 में प्रकाशित किया गया।

Jfed bfrgkl ij nlok vrjk"Vh; Je lEesyu] 2014

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस के सहयोग से संस्थान में 22 – 24 मार्च 2014 के दौरान श्रमिक इतिहास पर दसवें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 15 देशों के 100 प्रख्यात विद्वानों, जो श्रमिक इतिहास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान लगभग 50 अनुसंधान पेपर प्रस्तुत किए गए और उन पर चर्चा की गई। सम्मेलन का उद्घाटन श्रीमती गौरी कुमार, सचिव (श्रम एवं रोजगार), भारत सरकार एवं अध्यक्ष, कार्यपरिषद, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के द्वारा किया गया।

इस सम्मेलन का विस्तृत विषय "कार्य एवं गैर कार्य : दीर्घावधि में इतिहास" था। विचार–विमर्श में दत्त एवं अदत्त कार्य, घर के अंदर के काम की तुलना में घर के बाहर का काम, और यूं कहें कि पुरुषों के काम और महिलाओं के काम में विभाजन पर खास ध्यान दिया गया। इसमें संबंधित मुद्दों यथा क्या घर और घरेलू क्षेत्र सदा से अनुशासन को विकसित करने और श्रमिकों की तैनाती के स्थल रहे हैं? क्या ये विभाजन, जिनकी कल्पना की जा रही है, समाप्त किए जा रहे हैं अथवा लगातार पुनः खड़े किए जा रहे हैं केवल हालिया समय के हैं? पर चर्चा की गयी। एक और विषय, जिस पर सम्मेलन में विचार–विमर्श किया गया कार्य का सामाजिक विनियमन था। इसमें वे बहुत से तरीकों, जिन पर राज्य के कानून एवं अन्य विनियामक शासन काम को परिभाषित करते हैं और इसे विनियम की वस्तु बनाते हैं, पर विचार–विमर्श किया गया। कुछ विशिष्ट सवाल जिनका जवाब इस अनुसंधान परियोजना में खोजा गया, इस प्रकार हैं: समय के साथ सामाजिक विनियम क्यों बदले हैं और किसके दबाव में? कल्याणकारी एवं सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार आपस में संबद्ध हैं? क्या सभी सामाजिक विनियमन राज्य द्वारा निर्गत किए जाते हैं? वे कौन से तरीके हैं जो विनियमन के सरकारी एवं गैर–सरकारी तरीकों को स्पष्ट करते हैं? इसमें पाया गया कि इन सवालों एवं इनसे संबंधित सवालों का उत्तर पाने के लिए सामाजिक विनियमन के एक तुलनात्मक एवं दीर्घावधि इतिहास की बहुत आवश्यकता है। इस

सम्मेलन में अभिलेखों के विभिन्न आयामों पर भी विचार–विमर्श किया गया। न केवल कार्य एवं श्रम के खस्ताहाल होते अभिलेखों के परिरक्षण करने, अपितु कार्य के उन अभिलेखों, जो जनता की जानकारी में नहीं होते हैं, की भी पहचान करने एवं उन्हें सार्वजनिक करने के प्रयासों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। इस प्रकार परियोजना में श्रम एवं कार्य तथा इसके बहुत से भव्य इतिहासों को दृश्यमान बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

अपने उद्घाटन भाषण में श्रीमती गौरी कुमार ने विस्तारपूर्वक बताया कि समसामयिक अनुसंधान एवं नीति–निर्माण में श्रमिक इतिहास का उचित अवबोधन किस प्रकार महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के तेजी से होते एकीकरण एवं बाजार की ताकत पर अधिक निर्भरता ने श्रम संबंधों को नियमित करने वाले पूर्व के मानदंडों को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति, इसकी उछाल एवं गिरावट, अब सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है – वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी तथा विश्वभर में इसका प्रभाव इस फिनोमिना का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों में लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्रों के निर्वाहयोग्य कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता वाले व्यवसायों से शहरों की ओर जा रहे हैं और इसका गरीबी के रुझानों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। यद्यपि यह काफी उत्साहवर्धक है, देशों को इस रुझान को बनाये रखना और कामकाजी परिवारों को उच्च आय वाले पथ पर ले जाना, सृजित किए जाने वाले जॉबों की प्रकृति तथा सामाजिक संरक्षण प्रणाली की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ये रुझान गंभीर चुनौती पेश करते हैं। उदाहरणार्थ, सृजित किए जाने वाले जॉबों में अधिकांश जॉब अनौपचारिक सैक्टर, जिसमें कम आय एवं सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सीमित होती है, में हैं। औपचारिक सैक्टर में गिरावट तथा असुरक्षित एवं असंरक्षित अस्थायी जॉबों में वृद्धि एक वैश्विक फिनोमिना है, इससे उसका उद्भव हुआ जो प्रख्यात श्रम विशेषज्ञ श्री ग्वे स्टैंडिंग ने अभी हाल ही में कहा "दि राइज ऑफ दि प्रिकेरियट"। वैश्वीकरण एवं अनौपचारीकरण के कारण व्यापक सामाजिक मंथन हुआ है। एक ओर लाखों युवाओं, जो बेहतर जिंदगी चाहते हैं, की बढ़ती आकांक्षाओं को, अनौपचारिक सैक्टर को तेजी से बढ़ाते हुए, आंशिक तौर पर पूरा किया जा सकता है। सामाजिक संघर्ष एवं एकता के लिए इसके निहितार्थों की कल्पना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह गरीब एवं सुभेद्य व्यक्तियों की स्थिति में सुधार करने के लिए उत्पादकता, स्थायी संरचनात्मक परिवर्तनों और सामाजिक संरक्षण प्रणाली के विस्तार में सुधारों की आवश्यकता पर जोर देता है।

उद्घाटन सत्र के दौरान दो पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।

प्रो. सब्यसाची भट्टाचार्य द्वारा संपादित *टुवर्ड्स ए न्यू हिस्ट्री ऑफ वर्क* (नई दिल्लीः तुलिका बुक्स, 2014 श्रम इतिहास के पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वॉल्यूम)

रवि आहूजा द्वारा संपादित *वर्किंग लाइब्ज एंड वर्कर मिलिटेंसीः दि पॉलिटिक्स ऑफ लेबर इन कॉलोनियल इंडिया* (नई दिल्लीः तुलिका बुक्स, 2013)

Je ,o LokLF; v/;;u dsn

भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य लाभों के साथ–साथ स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में समानान्तर निष्पक्षता उपलब्ध करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कामगारों को पहचान तथा औपचारिक कानूनी एवं विनियामक ढांचे के तहत संरक्षण नहीं मिलता है। कामगारों के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संरक्षण के अवबोधन एवं इनकी चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। केंद्र के अनुसंधान कार्यकलापों में निम्नलिखित विषयों पर फोकस किया जाता है:

dsn d e[; vul/kku {k=

- रोजगार एवं उभरते स्वास्थ्य जोखिमों के नये रूप।
- श्रम बाजार रूपान्तरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसकी चुनौतियां।
- स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में असमानताएं और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कर्मकारों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव।
- स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा।

ijh dh xbl ifj;k tuk,

1- jk"Vh; LokLF; chek ;k tuk ¼vkj,lchokb½ dk eY;kdu v/;;u

यह अध्ययन झारखण्ड के रांची एवं गढ़वा जिलों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर एवं नंदुरबार जिलों और पंजाब के अमृतसर एवं फिरोजपुर जिलों में किया गया। अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार थे:

- आरएसबीवाई में नामांकित बीपीएल परिवारों के अनुपात एवं गैर.नामांकन हेतु उनके कारणों को समझना।
- उन बीपीएल परिवारों के अस्पतालीय चिकित्सा के अनुपात का मूल्यांकन करना जो आरएसबीवाई के अन्तर्गत आते हैं।
- जिलों में अस्पताल के दरों में परिवर्तनों की पहचान करना।
- आरएसबीवाई में दर्ज पूर्व एवं पश्च अस्पतालों की गुणवत्ता का निर्धारण।
- नामांकित परिवारों द्वारा आरएसबीवाई की जागरूकता दर को समझना।
- उन स्मार्ट कार्ड धारकों के अनुपात को समझना जिन्होंने उपचार का लाभ लिया है।
- घरेलू स्वास्थ्य व्यय, घरेलू ऋण, बीमारियों के प्रकार जिनके लिए दावे किए गए हैं, दावे के स्रोत (सरकारी / निजी अस्पताल); पहुंच एवं स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता के संबंध

में तुष्टीकरण दर, आरएसबीवाई व्ययों का लाभ लेने में परिवारों को पेश आ रही समस्याओं पर आरएसबीवाई के प्रभाव का निर्धारण करना।

ifj;ktuk dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

परियोजना को जनवरी 2013 में शुरु, एवं फरवरी 2014 में पूरा किया गया था।

vu|l/kku ifj;ktuk dk ifj.kke%

अध्ययन के जांच परिणामों में पाया गया कि गैर–नामांकन का प्रमुख कारण कार्यक्रम के बारे में, तथा साथ ही कितने दिन पहले नामांकन किया जा सकता है, के बारे में जागरूकता का अभाव है। अधिकांश नामांकित परिवारों को नामांकन के बारे में पंचायत के सदस्यों, आशा बहनों, रिश्तेदारों एवं दोस्तों से पता चला। नामांकन के बाद भी कई परिवार उपचार का लाभ नहीं ले पाये क्योंकि या तो उन्हें स्मार्ट कार्ड नहीं मिले थे, या फिर वे सूचीबद्ध अस्पतालों के बारे में नहीं जानते थे। ऐसे भी कई मौके आए जब अस्पतालों ने भुगतान देरे से पाने के कारण आरएसबीवाई कार्डधारकों का इलाज करने से मना कर दिया। यह पाया गया कि लगभग 50 प्रतिशत लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पताल पहुंचने के लिए लगभग 10 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है, तथा दो–तिहाई लाभार्थियों को 100 रुपये प्रति यात्रा के यात्रा–व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी थी। कई रोगियों को अस्पताल में रहने के दौरान रोगनिदान संबंधी (पैथोलोजी) परीक्षणों, जिनके बारे में उन्हें भर्ती करते समय नहीं बताया गया था, पर काफी पैसा खर्च करना पड़ा। इसके अलावा, अस्पताल से छुट्टी के समय स्मार्ट कार्ड वापस लेने में समस्या होती है, जिसके बारे 15 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया। हालांकि स्मार्ट कार्डों ने परिवारों के उपचार पर नकद खर्चे में कटौती की है। यह खासकर उन परिवारों के मामलों में महत्वपूर्ण है जिन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश लाभार्थियों के साथ–साथ उन लोगों, जो अभी नामांकित नहीं हैं, ने भी इस योजना में नामांकन करने एवं लाभ लेने में रुचि दिखाई है।

¼ifj;ktuk fun’kd% Mk- :ek ?kk"k] Qyk½

2- pk; lDVj e efgykvk dk Je% cnyr idkj ,o mHkjrh pukfr;k

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- तीन अलग–अलग स्थितियों, इस्टेट कामगार के तौर पर, छोटे चाय बागान में कामगार के तौर पर तथा चाय उत्पादक के तौर पर महिलाओं के श्रम की जांच करना तथा विचार करना कि श्रमिकों की एजेंसी के तौर पर महिलाएं, कार्यस्थल एवं घर में उनके स्थान को देखते हुए, कैसे शक्ति एवं अधिकार के लिए समझौता कर सकती हैं।
- यह समझना कि कैसे इन तत्वों पर कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं, उनके जीवन पथ का अनुमान लगाते हुए, की वास्तविकताओं के आख्यानों के माध्यम से अलग से समझौता किया जा सकता है।

ifj;kstuk dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

परियोजना को दिसम्बर 2013 में शुरु, एवं मार्च 2014 में पूरा किया गया था।

vuqla/kku ifj;kstuk dk ifj.kke%

द्वितीयक एवं प्राथमिक डाटा से इस नकदी फसल की खेती एवं उत्पादन में महिलाओं के श्रम का योगदान सिद्ध हुआ। महिलाओं के श्रम के इसी संदर्भ में यह अध्ययन इसकी बारीकियों के साथ उद्योग के बदलते संदर्भ का पता लगाता है। महिलाओं के कार्य प्रतिभागिता एवं रोजगार के प्रकारों (नियमित से आकस्मिक, प्रदत्त से एसटीजी में घरेलू श्रमिक) के कारणों, अन्य सवालों जैसे कि हकदारियां, जो महिलाओं को नियमित रोजगार से हटने के लिए मजबूर करती हैं, का इस अध्ययन में पता लगाया गया। इस अध्ययन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस उद्योग के लिए महिलाओं के श्रम को प्रोत्साहित करने एवं मान्यता देने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- fjUtq jlkbZyh] ,lksfl,V Qsyks½

tkjh ifj;kstuk

1- dk;ZLFky LokLF; ,oa lqj{kk% fnYyh esa p;fur y?kq vkS|ksfxd bdkb;ksa dk v/;;u

इस अध्ययन का व्यापक उद्देश्य औद्योगिक चोटों एवं दुर्घटनाओं, कार्यस्थल की दशाओं, विनियामक मानकों का अनुपालन एवं गैर–अनुपालन, तथा दिल्ली में विभिन्न लघु औद्योगिक इकाइयों में कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विभिन्न श्रम आयामों का स्थितिपरक विश्लेषण करना है।

ifj;kstuk dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

परियोजना को नवंबर 2011 में शुरु किया गया था तथा इसके 2014 में पूरा किये जाने की आशा है।

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- fjUtq jlkbZyh] ,lksfl,V Qsyks½

Çyx ,o Je dn

लिंग और श्रम केंद्र की स्थापना का उद्देश्य श्रम बाजार में लिंगीय मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। महिलाओं को श्रम बाजार में प्रवेश के लिए कई तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और बहुधा उन्हें पुरुषों को कार्य चुनने की आजादी के बराबर आजादी नहीं मिलती। श्रम बाजार लैंगिक अंतर विकासशील देशों में अधिक मुखरित हैं, और ये बहुधा महिलाओं के अधिकांश कार्य आम तौर पर क्षेत्रों के एक सीमित दायरे, जिनमें से अधिकतर कमजोर एवं असुरक्षित हैं, में संकेंद्रित होने पर, व्यावसायिक पृथक्करण में लिंगीय पैटर्नों के द्वारा और खराब होते हैं। इन कामगारों को असुरक्षित रोजगारों यथा घरेलू कामगार, खासकर निम्न कौशल वाले प्रवासी कामगार, कम आय एवं कम उत्पादकता के साथ जोड़े जाने की संभावना है।

चिंता का दूसरा मुद्दा लिंगीय मजदूरी का अंतर है, जिसके लिए हो सकता है विभिन्न कारक जिम्मेदार हों, जैसे अत्यधिक कम मजदूरी अदा करने वाले उद्योगों में महिलाओं की सघनता, और कौशल और कार्य अनुभव में अंतर, लेकिन हो सकता है ऐसे भेदभाव के कारण भी हों। इसके अलावा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को पुरुषों के योगदान के मुकाबले कम करके आंका जाता है तथा तोड़–मरोड़ कर पेश किया जाता है। महिलाओं द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को देखते हुए सभी के पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार और उत्तम कार्य के नये लक्ष्य को प्राप्त करने केलिए लिंगीय समानता एवं महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

समावेशी विकास एवं नीतियों के बारे में पर्याप्त समानता जागरूकता प्राप्त करने के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सशक्तिकरण केंद्र के कुछ प्रयास होंगे। इस रूपरेखा के भीतर संस्थान की गतिविधियों में संस्थान की स्थिति को लिंग एवं विशेषकर महिलाओं के श्रम पर अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पक्षसमर्थन के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बनाने की संकल्पना की गयी है। इसके अतिरिक्त, केंद्र को महिला श्रम पर दस्तावेजों एवं डाटा के प्रमुख संग्रहालय तथा इस क्षेत्र में लिंग एवं महिला श्रम के मुद्दों पर समझ बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों एवं कार्यकर्ताओं के लिए संवादात्मक मंच के रूप में स्थापित करने की कल्पना की गयी है।

vuql/kku d e[; {k=

- महिलाओं के रोजगार में हाल के रुझान
  महिलाओं की श्रमबल प्रतिभागिता दर
  रोजगार में लैंगिक अंतर
  पुरुष एवं महिला कामगारों की मजदूरी में अंतर

- efgyk, ,o vukipkfjd vFk0;oLFkk e dk;l
  कार्य की प्रकृति एवं दशा
  कौशल प्रशिक्षण एवं विकास
  माइक्रो क्रेडिट संस्थान तथा स्व–सहायता समूह
- yfxd vkdM
  श्रम संबंधी आंकड़ों में लिंगीय मुद्दे
  महिलाओं अदत्त कार्य एवं देखभाल कार्य
  समय प्रयोग सर्वेक्षण
  कार्य पारिवारिक जीवन में संतुलन
- ग्रामीण श्रम बाजारों में बदलते लैंगिक संबंध
  बदलते कृषि संबंध तथा महिलाओं के रोजगार पर इनका प्रभाव
  गैर कृषि ग्रामीण रोजगार में महिलाएं
- o'ohdj.k ,o fyx
  नई अर्थव्यवस्था में उभरती प्रवृत्तियां
  उत्तम कार्य
  सामाजिक संवाद
  घरेलू कामगारः मुद्दे एवं सरोकार
- fyx] dk;l ,o lpuk ik|kfxdh ¼vkbVh½ lDVj
  आईटी/आईआईटी सैक्टर क्षेत्र में महिलाएं एवं कार्य
  सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का कौशल संघटन
- fyx vkj dkuu
  महिला कामगारों से संबंधित श्रम कानून
- fyx ,o lkekftd lj{kk
  आजीविका में लिंगीय मुद्दे
  महिला कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

fof'k"V vu|l/kku ifrik| fo"k;

- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम का कार्यान्वयन
- सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की प्रसूति उपरांत प्रतिभागिता
- क्रियानिष्ठ अनुसंधान (ग्रामीण शिविर) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए रोजगार की विशिष्ट स्कीमों के लिंगीय आयाम
- अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कर्मकारों पर कौशल प्रशिक्षण का प्रभाव
- जेंडर बजटिंग

- लैंगिक आंकड़े
- महिलाओं के समय प्रयोग पैटर्न तथा कार्य–जीवन संतुलन का सुमेलीकरण
- वैश्वीकृत युग में लिंग तथा सामाजिक सुरक्षा सरोकार
- श्रम आर्थिकी

ijh dh xbl ifj;kstuk

1- vlaxfBr {ks= ds fy, fyax vkSj lkekftd lqj{kk ij ekM;wy

लिंग और सामाजिक सुरक्षा पर मॉड्यूल को असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए लिंग एवं कार्यस्थल पर सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु तैयार किया जा रहा है।

ifj;kstuk dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

परियोजना को अगस्त 2012 में शुरु, तथा 01 फरवरी 2014 को पूरा किया गया।

iZeq[k ifj.kke

मॉड्यूल निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराता है:

मॉड्यूल 1: सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना
मॉड्यूल 2: अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा व्यवहार
मॉड्यूल 3: अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रवृत्तियां
मॉड्यूल 4: अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे व्यवहार
मॉड्यूल 5: क्षमता निर्माण एवं जागरूकता विकास

uhfrxr flQkfj'k%

1. वर्तमान मॉड्यूल को सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना, वर्तमान युग में सामाजिक सुरक्षा का महत्व, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां, तथा इन चुनौतियों का समाधान करने में कार्यान्वयन अभिकरणों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए परिकल्पित किया गया है।
2. वीवीजीएनएलआई ने असंगठित क्षेत्र के लिए लिंग और सामाजिक सुरक्षा पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया है। इस मॉड्यूल का उपयोग प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है।

¼ifj;kstuk funs'kd% MkW- 'kf'k cky] QSyks½

tkjh ifj;kstuk,

1- dk;l vkj ikfjokfjd thou dk lketL; % fnYyh ,o jk"Vh; jkt/kkuh {k= e dkedkth efgykvk d le; mi;kx iVuk dh Nkuchu

mn~n';

- कार्य और पारिवारिक जीवन के सामंजस्य की अवधारणात्मक समझ विकसित करना।
- श्रम का परिवार में विभाजन एवं सांस्कृतिक प्रथाएं, पारिवारिक कार्य के आबंटन में सामाजिक मानदंडों, जाति संबद्धताओं आदि की भूमिका की छानबीन करने के संदर्भ में रोजगार, अदत्त देखभाल कार्य और पारिवारिक जीवन की गतिशीलता को समझना।
- भारत में महिला कामगारों के मध्य अंशकालिक, अस्थायी एवं फ्लेक्सी कार्य पैटर्नों की छानबीन करना।
- कामकाजी महिलाओं द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों के समय आबंटन पैटर्नों को समझना एवं देखभाल जिम्मेदारियों का कार्य और पारिवारिक जीवन के सामंजस्य पर प्रभाव का आकलन करना तथा कार्य और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बैठाते समय परस्पर विरोधी स्थितियों की जांच करना।
- कार्य और पारिवारिक जीवन के बारे में विभिन्न क्षेत्रीय दृटिकोणों की छानबीन करना तथा विभिन्न नीतिगत पहलों की जांच करना।
- भारत में कार्य और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल में समान अवसर नीतियों के प्रभाव का आकलन करना।

vof/k

फरवरी 2014 से मार्च 2015

¼ifj;kstuk funs'kd% Mk- ,yhuk lkerjk;] ,lkfl,V Qyks½

2- dkjikjsV {k= d fy, fyx vkj lkekftd lj{kk ij if'k{k.k ekM;y

विश्व स्तर पर कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना नीति–निर्माताओं के लिए एक प्रमुख नीतिगत मुद्दा है। यह नीति–निर्माताओं के लिए, खासकर जनसांख्यिकीय संक्रमण एवं उभरते जटिल श्रम बाजारों के संदर्भ में, एक चुर्नाती है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य कारपोरेट क्षेत्र के मानव संसाधन प्रबंधकों को लिंग एवं उभरते सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर प्रशिक्षित करना है।

इस मॉड्यूल में vlxfBr {k= d fy, fyx vkj lkekftd lj{kk ij ekM;y में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी प्रदान की गई है।

ekM;wy 1% सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना

- लिंग एवं सामाजिक संरक्षण

ekM;wy 2% अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा व्यवहार

- कारपोरेट क्षेत्र एवं प्राईवेट क्षेत्र से संबंधित कानून
- कंपनी अधिनियम, 1956
- कंपनी विधेयक, 2012
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

ekM;wy 3% अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रवृत्तियां

- कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत सामाजिक सुरक्षा पहल
- भारत में कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी प्रथाएं

ekM;wy 4% अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे व्यवहार

ekM;wy 5% क्षमता निर्माण एवं जागरूकता विकास

vof/k%

इस परियोजना को मार्च 2013 में शुरू किया गया था, तथा इसके जुलाई 2014 तक पूरा किये जाने की आशा है।

uhfrxr flQkfj'k%

कारपोरेट क्षेत्र के लिए लिंग और सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षण मॉड्यूल को विकसित किया जाएगा तथा इसका उपयोग भविष्य में संस्थान में कारपोरेट क्षेत्र के लिए लिंग एवं सामाजिक सुरक्षा पर प्रदत्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

¼ifj;kstuk funs'kd% MkW- 'kf'k cykt] QSyks½

iokŸkj dsn

उत्तर–पूर्व क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9 प्रतिशत है और यहां की आबादी देश की कुल आबादी का 3.8 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। यह क्षेत्र पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल एवं म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 08 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक–राजनैतिक कारणों की वजह से एनईआर देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है। कम उत्पादकता एवं बाजार तक कम पहुंच के साथ यहां पर अवसंरचना एवं शासन भी ठीक नहीं हैं।

एनईआर में कार्यबल भारत के कुल कार्यबल का 3.6 प्रतिशत है (2009–10)। एनईआर में श्रम परिदृश्य कई कारणों (भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक) की वजह से देश के अन्य भागों की तुलना में अलग है। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की दर कम है एवं आधुनिक सेवा क्षेत्र का यहां सीमित विस्तार हुआ है। यहां पर कृषि कार्य (झूमिंग जैसी विचित्र प्रणालियों की उपस्थिति के कारण) भी भिन्न हैं। श्रम बाजार प्रतिभागिता में सांस्कृतिक लोकाचार भी अलग है, जो अन्य बातों के साथ लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों में श्रम बल की विशिष्ट बनावट को दर्शाते हैं। फिर भी प्रवास एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो आबादी के आंतरिक प्रवास (क्षेत्र के अंदर एवं बाहर) के मामले के साथ–साथ श्रमिकों का राष्ट्र के अन्य भागों से अंतः प्रवेश के मामले में, विभिन्न सामाजिक–राजनैतिक विचारों के कारण और पेचीदा हो गया है।

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति–उन्मुखी अनुसंधान करने, कार्यशालायें/सेमिनार आयोजित करने तथा श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिए 2009 में एक नये केंद्र, पूर्वोत्तर केंद्र (सीएनई) की स्थापना की।

tkjh ifj;ktuk

1- jktxkj dh xfr'khyrk ,o lkekftd oLrfodrk% e?kky; d bLV tfr;k fgYl ftys e dke ij yx cPpk dk v/;;u

mnns';

- मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले के गांवों (56 गांव) तथा वेस्ट जैंतिया हिल्स जिले के गांवों (44 गांव) में प्रचलित कोयला खनन में कामगारों के सामाजिक –आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय प्रोफाइल की जांच करना।

- इन गांवों में बच्चों (18 वर्ष के कम आयु के) की शिक्षा एवं रोजगार की स्थिति की छानबीन करना।
- इन गांवों में, विशेषकर कोयले की खानों एवं अन्य संबद्ध कार्यकलापों में बाल कामगारों के प्रसार, प्रकारों एवं विस्तार की जाँच करना।

परियोजना का शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को 09 अक्टूबर 2013 को शुरु किया गया था तथा इसके अप्रैल 2015 में पूरा किये जाने की आशा है।

यह परियोजना वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और श्रम विभाग, मेघालय सरकार का एक सहयोगात्मक अध्ययन है।

(परियोजना निदेशक: श्री आताजी क्षत्रिमयम, एसोसिएट फेलो एवं डा. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो)

tyok;q ifjorZu rFkk Je dsUnz

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक वैश्विक सरोकार है और भारत में जहां लोगों की बहुत बड़ी संख्या कृषि पर निर्भर है और उनकी आजीविका का मुख्य साधन अनौपचारिक क्षेत्र है, वहां जलवायु परिवर्तन का प्रभाव काफी विकट है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने और इसका संबंध कार्य की दुनिया से स्थापित करने के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने वर्ष 2010 में एक नए अनुसंधान केंद्र *जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र* की स्थापना की है। इस अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर नीति–उन्मुख अनुसंधान करना और इसका संबंध श्रम तथा आजीविका से स्थापित करना है। वर्ष 2013–14 के लिए केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

dsUnz ds eq[; vuqla/kku {ks=

- जलवायु परिवर्तन, श्रम और आजीविका के बीच अन्तः संबंधों को समझना।
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार चुनौतियां तथा ग्रीन जॉब में संक्रमण।
- आजीविका अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तनशीलता के शमन की रणनीतियों, और मैक्रो, मेसो तथा माइक्रो स्तर पर हो रहे परिवर्तन का मूल्यांकन।
- जलवायु परिवर्तन और प्रवास पर इसका प्रभाव।
- प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों तथा जनसाधारण पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

fof'k"V vuqla/kkuh; eqn~ns esa fuEufyf[kr 'kkfey gSa

- ऐसे असुरक्षित श्रमिकों की जीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जो निर्वाह योग्य खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन सेक्टर, समुद्र तटीय मछली पालन/नमक/खेती लगे हैं तथा जो स्थानीय जंगलों पर निर्भर अनुसूचित जनजातियां से हैं।
- उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने, नौकरी खोने पर संरक्षण देने तथा जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए माइक्रो नीतियों को नई दिशा देने में नियोजकों तथा ट्रेड यूनियनों की भूमिका।
- खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का सूखे, बाढ़ तथा अति.अनिश्चित मानसून के कारण कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में कमी के साथ संबंधन के द्वारा प्रभाव।
- आजीविका सुरक्षा के बचाव के लिए और जलवायु परिवर्तन को अंगीकृत करने में मनरेगा की भूमिका।

- जलवायु परिवर्तन और लिंगीय मुद्दे।
- जलवायु परिवर्तन एवं तेज होती प्रवास प्रक्रिया पर इसका प्रभाव।
- जलवायु परिवर्तन की स्थानीय अवधारणाओं, स्थानीय नियंत्रणकारी क्षमताओं तथा मौजूदा अंगीकरण रणनीतियों को समझना।
- विभिन्न पणधारियों के लिए जलवायु परिवर्तन विज्ञान, इसके संभाव्य प्रभाव और विभिन्न अंगीकरण एवं प्रवास रणनीतियों के संबंध में क्षमता निर्माण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग कार्य

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय संस्थान ऐसे मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ प्रोफेशनल सहयोग स्थापित करने के प्रति समर्पित है, जो श्रम तथा इससे संबंद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने विभिन्न अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ करने के लिए पिछले कई वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान (आईआईएलएस) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया है। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में संस्थान ने कुछ नई पहलें की हैं, जिनसे न केवल आईएलओ, यूएनडीपी और यूनिसेफ जैसे संगठनों के साथ सहयोग को बल मिला है बल्कि जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी), कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई), अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी), ट्यूरिन, श्रीलंका श्रम एवं रोजगार संस्थान, यूएन वीमेन, आईजीके वर्क एंड ह्यूमन लाइफसाइकिल इन ग्लोबल हिस्ट्री, हम्बोत यूनिवर्सिटी, जर्मनी तथा सेंटर फॉर मॉडर्न स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, जर्मनी जैसे संस्थानों के साथ नए एवं दीर्घकालीन संबंधों का निर्माण हुआ है। सहयोग के प्रमुख विषयों में बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, लिंगीय मुद्दे, कौशल विकास, श्रम इतिहास, उत्तम कार्य तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की आईटीईसी/एससीएएपी स्कीम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। वर्ष 2013–14 के दौरान संस्थान ने श्रम में लिंगीय मुद्दे, नेतृत्व विकास, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध, विकास एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रबंधन, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां तथा स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा जैसे मुख्य प्रतिपाद्य विषयों पर 07 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन के मध्य व्यावसायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस एमओयू का उद्देश्य सभी के लिए उत्तम कार्य के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों में सहयोग बढ़ाना है। दोनों संस्थान (i) सहयोगात्मक प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, (ii) प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना, और (iii) फैकल्टी की अदला–बदली से संबंधित परस्पर सरोकार के क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। ऐसे सहयोग से कार्य की दुनिया में हो रहे रूपांतरणों की चुनौतियों का सामना करने में दोनों संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं

का उन्नयन होने की आशा है। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का विकास सार्क क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थान के तौर करना, तथा आगे इसका विकास श्रम एवं संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त उत्कृष्टता के केंद्र के तौर पर करना भी इस सहयोग का उद्देश्य है।

संस्थान अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ खासकर सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियां करने, फैकल्टी की अदला–बदली कार्यक्रम बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यशालाएं एवं सेमिनार आयोजित करने के संबंध में अधिक दीर्घकालिक सहयोग बनाने के लिए आश्वस्त है।

çf'k{k.k vkSj f'k{kk ¼2013&14½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन को भावी साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवृत्ति के परिवर्तन, कुशलता के विकास तथा ज्ञान की दृष्टि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैः

- केद्र, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति।

वर्ष 2013–14 के दौरान संस्थान ने 123 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 3975 कार्मिकों ने भाग लिया।

इसके अलावा, संस्थान ने निम्नलिखित पहल शुरू कीः

Je ç’kklu dk;Øe

इन कार्यक्रमों को केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण, प्रवर्तन, अर्धन्यायिक कार्य, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। ऐसे 06 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 124 सहभागियों ने भाग लिया।

vk|kfxd lc/k dk;Øe

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार–विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों और कार्मिक अधिकारियों को सहभागिता प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। ऐसे 11 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 322 सहभागियों ने भाग लिया।

{kerk fuekl.k dk;Øe

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों प्रकार की ट्रेड यूनियनों के संगठनकर्ताओं और श्रमिकों के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे 50 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 1751 सहभागियों ने भाग लिया।

cky Je dk;Øe

ये कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनसीएलपी अधिकारी, समाज कार्य के विद्यार्थी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। ऐसे 06 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 234 सहभागियों ने भाग लिया।

Je vkj LokLF; dk;Øe

इन कार्यक्रमों को विभिन्न लक्ष्य समूहों, जैसे कि श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, नियोक्ताओं, स्वास्थ्य अधिकारियों और गैर.सरकारी संगठनों को कामगारों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर वैश्वीकरण तथा श्रम बाजार परिवर्तनों के निहितार्थों को समझने हेतु संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। ऐसे 05 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 116 सहभागियों ने भाग लिया।

vUrjk"Vªh; çf'k{k.k dk;ZØe

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्ध है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विषयों जैसे कि लिंगीय मुद्दे, श्रम प्रशासन एवं रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां, स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा पर 07 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। कुल मिलाकर 62 देशों से 164 विदेशी नागरिकों ने इसमें भाग लिया।

संस्थान ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगागनिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के टीवीईटी विभाग के अधिकारियों के लिए 01 – 12 अप्रैल 2013 के दौरान कौशल विकास पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 24 अफगान अधिकारियों ने भाग लिया।

बाल श्रम पर अपने अनुभवों को साझा करने एवं विभिन्न देशों के सफल अनुभवों से सीख लेने के लिए द्वितीय सार्क क्षेत्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में 29–31 मई 2013 के दौरान आयोजित की गयी। यह कार्यशाला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) तथा आईएलओ द्वारा आयोजित की गई। कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में सार्क देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, नियोक्ता संघों एवं कामगार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। कुल मिलाकर 60 अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान परिसर में 22 – 24 मार्च 2014 के दौरान वीवीजीएनएलआई एवं एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस ने संयुक्त रूप से श्रमिक इतिहास पर दसवें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का विस्तृत विषय "श्रमिक इतिहासः वापस राजनीति की ओर" था। इस सम्मेलन में भारत एवं विदेशों के 67 विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भाग लिया।

आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ट्यूरिन ने 2–6 दिसम्बर के दौरान वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) परिसर में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए सामाजिक संवाद, श्रम कानून एवं श्रम प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 21 अफगान अधिकारियों ने भाग लिया।

iwoksZÙkj jkT;ksa ds fy, izf'k{k.k dk;ZØe

संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य पणधारियों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित कार्यक्रमों पर जोर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर वर्ष

इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने उपरोक्त विषयों पर 12 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 404 कार्मिकों ने भाग लिया।

vu|l/kku fof/k dk;Øe

इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के युवा अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ.साथ सरकारी संगठनों में वृत्तिकों की श्रम अनुसंधान एवं नीति में रुचि बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे 06 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 150 सहभागियों ने भाग लिया।

lg;kxh çf'k{k.k dk;Øe

संस्थान ने समान उद्देश्य वाले संस्थानों तथा राज्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके।

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान मुबंई, तमिलनाडु श्रम अध्ययन संस्थान चेन्नई, अंबेडकर श्रम अध्ययन संस्थान मुंबई के साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और आजीविका, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां, ग्रामीण संगठनकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कुल मिलाकर ऐसे 07 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 251 सहभागियों ने भाग लिया।

vkUrfjd dk;Øe

संस्थान ने विभिन्न आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम हैं। संस्थान ने कुल मिलाकर ऐसे 09 आंतरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। संस्थान ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के लिए 05 प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा एनटीपीसी तल्चर, टीएचडीसी टिहरी, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिफेंस इस्टेट मैनेजमेंट (आईडीईएस), रक्षा मंत्रालय तथा सीएलएस अधिकारी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, प्रत्येक के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिनमें 230 सहभागियों ने भाग लिया।

2013 & 2014 d nkjku vk;kftr fd, x, ldk;&okj çf'k{k.k dk;Øe

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	ifrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe funs'kd
1.	वैश्विक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक संबंध एवं ट्रेड यूनियनवाद 23 – 26 सितम्बर 2013	05	29	एस. के. शशिकुमार
2.	उत्प्रवास तथा विकासः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य 28 – 31 अक्टूबर 2013	04	28	एस. के. शशिकुमार
3.	औद्योगिक संबंध, ट्रेड यूनियनवाद और श्रम कानून (एअर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू के सदस्यों के लिए) 06–08 नवम्बर 2013	03	13	एस. के. शशिकुमार
4.	आईटीईसी/एससीएएपी कार्यक्रम के तहत वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध 11 – 29 नवम्बर 2013	19	30	एस. के. शशिकुमार
5.	वैश्वीकरण के बाद के युग में श्रम मुद्दे (आईएएमआर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए) 27 सितम्बर 2013	01	40	एस. के. शशिकुमार
6.	वैश्वीकरण के बाद के युग में श्रम मुद्दे (आईएएमआर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए) 25 अक्टूबर 2013	01	40	एस. के. शशिकुमार
7.	श्रम इतिहास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 22 – 24 मार्च 2014	03	103	एस. के. शशिकुमार
8.	आईटीसी ट्यूरिन के द्वारा अफगानिस्तान के त्रिपक्षीय भागीदारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 02 – 06 दिसम्बर 2013	03	22	एस. के. शशिकुमार
9.	वैश्वीकरण के बाद के युग में श्रम मुद्दे (आईएएमआर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए) 16 अगस्त 2013	01	24	एस. के. शशिकुमार
10.	श्रम मुद्दों पर कार्यक्रम (नासा के लिए) 24 दिसम्बर 2013	01	25	एस. के. शशिकुमार
11.	आईटीईसी/एससीएएपी कार्यक्रम के तहत श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां 11 – 29 नवम्बर 2013	19	26	एस. के. शशिकुमार

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
12.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (रांची, झारखंड), 27 – 31 मई 2013	05	45	पूनम एस. चौहान
13.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 09 – 14 दिसम्बर 2013	06	25	पूनम एस. चौहान
14.	प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यावहारिक कौशल 20 – 24 जनवरी 2014	05	60	पूनम एस. चौहान
15.	ग्रामीण संगठनकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एआईएलएस, मुंबई) 23 – 25 जनवरी 2014	03	27	पूनम एस. चौहान
16.	प्रभावी ढंग से कार्य का प्रबंधन: एक व्यावहारिक दृष्टिकोण 08 – 11 अप्रैल 2013	04	30	पूनम एस. चौहान
17.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 01 – 06 जुलाई 2013	05	36	पूनम एस. चौहान
18.	प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यावहारिक कौशल 19 – 23 अगस्त 2013	05	25	पूनम एस. चौहान
19.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 18 – 23 नवम्बर 2013	06	28	पूनम एस. चौहान
20.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 10 – 15 फरवरी 2014	06	45	पूनम एस. चौहान
21.	परिवहन कर्मकारों के नेतृत्व कौशल को बढ़ाना 20 – 24 मई 2013	05	16	पूनम एस. चौहान
22.	संगठनात्मक प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण (बीएमएस यूनियन के नेताओं के लिए) 30 सितम्बर – 04 अक्टूबर 2013	05	32	पूनम एस. चौहान
23.	श्रम में लिंगीय मुद्दे 07 – 11 अक्टूबर 2013	05	19	पूनम एस. चौहान
24.	ग्रामीण संगठनकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 25 – 29 नवम्बर 2013	05	26	पूनम एस. चौहान
25.	ग्रामीण संगठनकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 09 – 13 दिसम्बर 2013	05	52	पूनम एस. चौहान

Øe la-	dk;ZØe dk uke	fnuksa dh la[;k	izfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
26.	बीएमएस के कामगारों के संगठनकर्ताओं के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (चलो गाँव की ओर) 16 – 20 दिसम्बर 2013	05	31	पूनम एस. चौहान
27.	ग्रामीण संगठनकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 03 – 07 फरवरी 2014	05	44	पूनम एस. चौहान
28.	ग्रामीण संगठनकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 10 – 14 फरवरी 2014	05	27	पूनम एस. चौहान
29.	आईटीईसी/एससीएएपी कार्यक्रम के तहत नेतृत्व विकास पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 07 – 25 अक्टूबर 2013	19	30	पूनम एस. चौहान
30.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 06 – 10 मई 2013	05	27	पूनम एस. चौहान
31.	असंगठित श्रम, श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा, यूनियनीकरण तथा नवीनतम न्यायिक निर्णयों पर प्रशिक्षण, 22 – 23 जून 2013	02	50	पूनम एस. चौहान
32.	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एआईएलएस मुंबई), 04 – 06 जुलाई 2013	03	36	पूनम एस. चौहान
33.	मथाड़ी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएं (एआईएलएस मुंबई) 27 – 28 सितम्बर 2013	02	30	पूनम एस. चौहान
34.	आरबीआई, मुंबई के अधिकारियों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य का प्रबंधन के लिए व्यवहार कौशल 25 – 29 नवम्बर 2013	05	30	पूनम एस. चौहान
35.	आरबीआई, मुंबई के कार्मिकों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य का प्रबंधन के लिए व्यवहार कौशल 27 – 31 जनवरी 2014	05	29	पूनम एस. चौहान
36.	आरबीआई, मुंबई के कार्मिकों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य का प्रबंधन के लिए व्यवहार कौशल 03 – 07 फरवरी 2014	05	28	पूनम एस. चौहान

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	izfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
37.	आरबीआई, मुंबई के कार्मिकों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य का प्रबंधन के लिए व्यवहार कौशल 17 – 21 फरवरी 2014	05	27	पूनम एस. चौहान
38.	आरबीआई, मुंबई के कार्मिकों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य का प्रबंधन के लिए व्यवहार कौशल 03 – 07 मार्च 2014	05	29	पूनम एस. चौहान
39.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना एनटीपीसी, तल्चर–कानिहा, ओडिशा 24 – 26 मार्च 2014	03	25	पूनम एस. चौहान
40.	कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक व्यवहार विकसित करना, टीएचडीसी, टिहरी 10 – 12 मार्च 2014	03	25	पूनम एस. चौहान
41.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को प्रभावी बनाना 15 – 18 अप्रैल 2013	04	34	हेलन आर. सेकर
42.	दासता के लिए सुभेद्यता को समाप्त करने की ओर (आईएलओ द्वारा प्रायोजित) 04 – 06 सितम्बर 2013	03	31	हेलन आर. सेकर
43.	श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए बलात/बंधुआ मजदूरी पर अभिविन्यास एवं संवेदीकरण कार्यक्रम (आईएलओ द्वारा प्रायोजित) 11 – 13 सितम्बर 2013	03	37	हेलन आर. सेकर
44.	सिविल सोसायटी के भागीदारों के लिए बलात/बंधुआ मजदूरी पर अभिविन्यास एवं संवेदीकरण कार्यक्रम (आईएलओ द्वारा प्रायोजित), 03 – 05 अक्टूबर 2013	03	50	हेलन आर. सेकर
45.	मेघालय के वेस्ट जैंतिया हिल्स जिले में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण 25 नवम्बर 2013	01	289	हेलन आर. सेकर ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
46.	मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण करने हेतु क्षेत्र अन्वेषकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम 26 नवम्बर 2013	01	146	हेलन आर. सेकर ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	ifrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
47.	मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण करने हेतु क्षेत्र अन्वेषकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम 27 नवम्बर 2013	01	86	हेलन आर. सेकर ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
48.	जोखिमभरे कार्यों से मुक्त करवाये गये बच्चों को सुधारने पर अभिविन्यास कार्यक्रम	04	45	हेलन आर. सेकर
49.	बाल श्रम पर द्वितीय सार्क क्षेत्रीय कार्यशाला (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आईएलओ एवं वीवीजीएनएलआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 29 – 31 मई 2013	03	60	हेलन आर. सेकर
50.	अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी – भूमिका और कार्य 08 – 12 अप्रैल 2013	05	17	संजय उपाध्याय
51.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन 08 – 12 जुलाई 2013	05	23	संजय उपाध्याय
52.	असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन 05 – 08 अगस्त 2013	04	30	संजय उपाध्याय
53.	श्रम कानूनों के मूलतत्व 06 – 10 मई 2013	05	22	संजय उपाध्याय
54.	औद्योगिक संबंधों का प्रबंधन तथा कार्यपालकों के लिए दृढ़ श्रम प्रबंधन (वीवीजीएनएलआई, नौएडा) 17 – 21 फरवरी 2014	05	11	संजय उपाध्याय
55.	सेवा क्षेत्र के ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 23 – 27 सितम्बर 2013	05	12	संजय उपाध्याय
56.	श्रम कानूनों के मूलतत्व 22 – 26 अप्रैल 2013	05	39	संजय उपाध्याय
57.	श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन 27 – 31 मई 2013	05	21	संजय उपाध्याय
58.	असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन 02 – 06 सितम्बर 2013	05	23	संजय उपाध्याय

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuks dh la[;k	ifrHkkfx;ks dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
59.	श्रम कानूनों के मूलतत्व 11 – 15 नवम्बर 2013	05	55	संजय उपाध्याय
60.	श्रम कानून (आईडीईएस के अधिकारियों के लिए) 12 – 14 जून 2013	03	20	संजय उपाध्याय
61.	केंद्रीय श्रम सेवा के ग्रेड V अधिकारियों के लिए आगमन प्रशिक्षण कार्यक्रम 24 फरवरी – 04 अप्रैल 2014	40	17	संजय उपाध्याय एलीना सामंतराय
62.	स्वास्थ्य कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन 16 – 20 सितम्बर 2013	05	17	रूमा घोष
63.	सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा 27 – 31 मई 2013	05	26	रूमा घोष
64.	असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा 24 – 28 फरवरी 2014	05	26	रूमा घोष
65.	असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा 19 – 23 अगस्त 2013	05	20	रूमा घोष
66.	वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में लिंग, कार्य और स्वास्थ्य 30 सितम्बर – 04 अक्टूबर 2013	05	14	रूमा घोष
67.	वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में लिंग, कार्य और स्वास्थ्य 23 – 27 दिसम्बर 2013	05	18	रूमा घोष
68.	आईटीईसी/एससीएएपी कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 03 – 21 मार्च 2014	19	23	रूमा घोष
69.	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां (एमआईएलएस, मुंबई) 13 – 17 जनवरी 2014	05	22	रूमा घोष
70.	अफगानिस्तान के अधिकारियों के लिए कौशल विकास 01 – 12 अप्रैल 2013	12	24	अनूप के. सतपथी
71.	कौशल विकास और रोजगार सृजन 22 – 26 अप्रैल 2013	05	27	अनूप के. सतपथी

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	ifrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
72.	श्रम आर्थिकी में अनुसंधान विधियों पर पाठ्यक्रम 18 – 29 नवम्बर 2013	12	22	अनूप के. सतपथी
73.	आईटीईसी/एससीएपी कार्यक्रम के तहत कौशल विकास एवं रोजगार सृजन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 06 – 24 जनवरी 2014	19	28	अनूप के. सतपथी
74.	महिला कर्मचारियों से संबंधित कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन 06 – 10 मई 2013	05	23	शशि बाला
75.	ग्रामीण महिला संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना 08 – 12 जुलाई 2013	05	32	शशि बाला
76.	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास नीतियां विकसित करना 05 – 09 अगस्त 2013	05	23	शशि बाला
77.	कार्यस्थल पर महिला कल्याण के मुद्दे 19 – 23 अगस्त 2013	05	21	शशि बाला
78.	भारत में जेंडर रिस्पोंसिव बजटिंग 02 – 06 दिसम्बर 2013	01	11	शशि बाला
79.	लिंग और सामाजिक सुरक्षा 16 – 20 दिसम्बर 2013	05	18	शशि बाला
80.	कार्यस्थल पर महिला कल्याण के मुद्दे 20 – 24 जनवरी 2014	05	35	शशि बाला
81.	आईटीईसी/एससीएपी कार्यक्रम के तहत श्रम में लिंगीय मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 02 – 20 सितम्बर 2013	19	19	शशि बाला
82.	महिला कामगारों से संबंधित श्रम मुद्दों और कानूनों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण 22 – 26 अप्रैल 2013	05	29	शशि बाला
83.	वैश्वीकरण, बदलते रोजगार संबंध और श्रम प्रशासन 09 – 12 दिसम्बर 2013	05	14	राखी थिमोथी

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh l[;k	izfrHkkfx;ksa dh l[;k	ikB;Øe funs'kd
84.	श्रम बाजार और रोजगार नीतियां 20 – 24 मई 2013	05	14	राखी थिमोथी
85.	श्रम अनुसंधान में विधियां एवं दृष्टिकोण 06 – 17 जनवरी 2014	12	22	राखी थिमोथी
86.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 22 – 26 जुलाई 2013	05	33	अमिताव खुंटिया
87.	लिंगीय मुद्दों पर अभिविन्यास कार्यक्रम 12– 16 अगस्त 2013	05	18	अमिताव खुंटिया
88.	स्वास्थ्य सुरक्षा विकसित करना 01 – 05 जुलाई 2013	05	33	अमिताव खुंटिया
89.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 22 – 26 जुलाई 2013	05	27	अमिताव खुंटिया
90.	पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका प्रबंधन एवं सामाजिक संरक्षण 20 – 24 मई 2013	05	17	अमिताव खुंटिया
91.	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास नीतियां विकसित करना 24 – 28 फरवरी 2014	05	20	अमिताव खुंटिया
92.	कार्य में उत्कृष्टता हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, 21 – 24 अक्टूबर 2013	04	11	अमिताव खुंटिया
93.	निर्माण उद्योग में उत्तम कार्य को बढ़ावा देना 26 – 30 अगस्त 2013	05	52	अमिताव खुंटिया
94.	विनिर्माण उद्योग में उत्तम कार्य को बढ़ावा देना 09 – 13 अप्रैल 2012	05	52	अमिताव खुंटिया
95.	बाल श्रम से निपटने के लिए युवाओं की क्षमता का विकास करना 23 – 27 दिसम्बर 2013	05	37	अमिताव खुंटिया
96.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 23 – 27 सितम्बर 2013	05	43	अमिताव खुंटिया

Øe la-	dk;ZØe dk uke	fnuksa dh la[;k	izfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
97.	श्रम के समाजशास्त्र एवं वैश्वीकरण पर पाठ्यक्रम 10 – 21 मार्च 2014	12	27	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
98.	आईटीईसी/एससीएएपी कार्यक्रम के तहत विकास एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 02 – 20 दिसम्बर 2013	19	28	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
99.	सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा 26 – 30 अगस्त 2013	05	49	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
100.	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (एमआईएलएस) 17 – 19 अक्टूबर 2013	03	45	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
101.	टीयूसीसी, पश्चिम बंगाल के अनौपचारिक क्षेत्र के नेताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 13 – 17 मई 2013	05	28	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
102.	कौशल विकास एवं रोजगार सृजन 22 – 26 जुलाई 2013	05	26	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
103.	लिंग, गरीबी और रोजगार 15 – 19 अप्रैल 2013	05	20	रिन्जू रसाइली
104.	बागान उद्योग के कामगारों के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करना 13 – 17 मई 2013	05	16	रिन्जू रसाइली
105.	श्रम, उत्पादकता और आजीविका 15 – 19 जुलाई 2013	05	24	रिन्जू रसाइली
106.	ग्रामीण महिला आयोजकों को सशक्त बनाना 26 – 30 अगस्त 2013	05	36	रिन्जू रसाइली
107.	कार्य, लिंग एवं स्वास्थ्य में अनुसंधान विधियों पर पाठ्यक्रम 03 – 14 मार्च 2014	12	27	रिन्जू रसाइली
108.	कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षाः मुद्दे और चुनौतियां 02 – 06 दिसम्बर 2013	05	32	रिन्जू रसाइली

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	izfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
109.	लिंग, गरीबी और रोजगार 24 – 28 जुलाई 2013	05	32	रिन्जू रसाइली
110.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 03 – 07 जुलाई 2013	05	26	एलीना सामंतराय
111.	लिंग, गरीबी और रोजगार 15 – 19 जुलाई 2013	05	25	एलीना सामंतराय
112.	भारत में प्राईवेट नियोजन अभिकरणों के संदर्भ में आईएलओ अभिसमय 181: मुद्दे और चुनौतियां पर प्रशिक्षण कार्यशाला, 22 जुलाई 2013	01	25	एलीना सामंतराय
113.	ग्रामीण महिला आयोजकों को सशक्त बनाना 28 अक्टूबर – 01 नवम्बर 2013	05	34	एलीना सामंतराय
114.	लिंगीय मुद्दों पर अनुसंधान विधियां 05 – 16 अगस्त 2013	12	31	एलीना सामंतराय
115.	महिला कामगारों के लिए श्रम मुद्दों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण, 17 – 21 जून 2013	05	21	एलीना सामंतराय
116.	युवाओं के रोजगारपरक कौशलों की क्षमता को बढ़ाना, 16 – 20 सितम्बर 2013	05	35	धन्या एम. बी.
117.	माइक्रो–वित्त अनुसंधान में विविध विधियों पर पाठ्यक्रम, 07 – 18 अक्टूबर 2013	12	21	धन्या एम. बी.
118.	सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा (टीआईएलएस, तमिलनाडु), 18 – 20 नवम्बर 2013	03	41	धन्या एम. बी.
119.	सामाजिक संरक्षण एव आजीविका सुरक्षा 08 – 12 जुलाई 2013	05	35	धन्या एम. बी.
120.	महिला ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करना, 13 – 17 मई 2013	05	13	धन्या एम. बी.
121.	महिला कामगारों से संबंधित मुद्दों और कानूनों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण 24 – 28 फरवरी 2013	05	21	धन्या एम. बी.

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	ifrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
122.	वैश्वीकरण युग के बाद श्रम मुद्दे (आईएएमआर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए) 26 जुलाई 2013	01	21	ओंकार शर्मा
123.	अंतर्राज्यीय प्रवासन (मेघालय सरकार के लिए शिलांग में) 25 – 27 जून 2013	03	30	धन्या एम. बी.
		722	3975	

vizSy 2013 ls ekpZ 2014 ds nkSjku vk;ksftr izf'k{k.k dk;Øe

Øe la-	dk;Øe dk uke	dk;Øeksa dh la[;k	dk;Øe ds fnuksa dh la-	lgHkkfx;ksa dh la[;k
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)	06	29	124
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)	11	56	322
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)	50	211	1751
4.	बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी)	06	22	234
5.	स्वास्थ्य मामले कार्यक्रम (एचआईपी)	05	25	116
6.	अनुसंधान विधि कार्यक्रम (आरएमपी)	06	72	150
7.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपी)	10	151	371
8.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम (एनईपी)	12	58	404
9.	सहयोगात्मक कार्यक्रम (सीपी)	08	24	273
10.	आंतरिक कार्यक्रम (इनहाउस)	09	74	230
	tksM+	123	722	3975

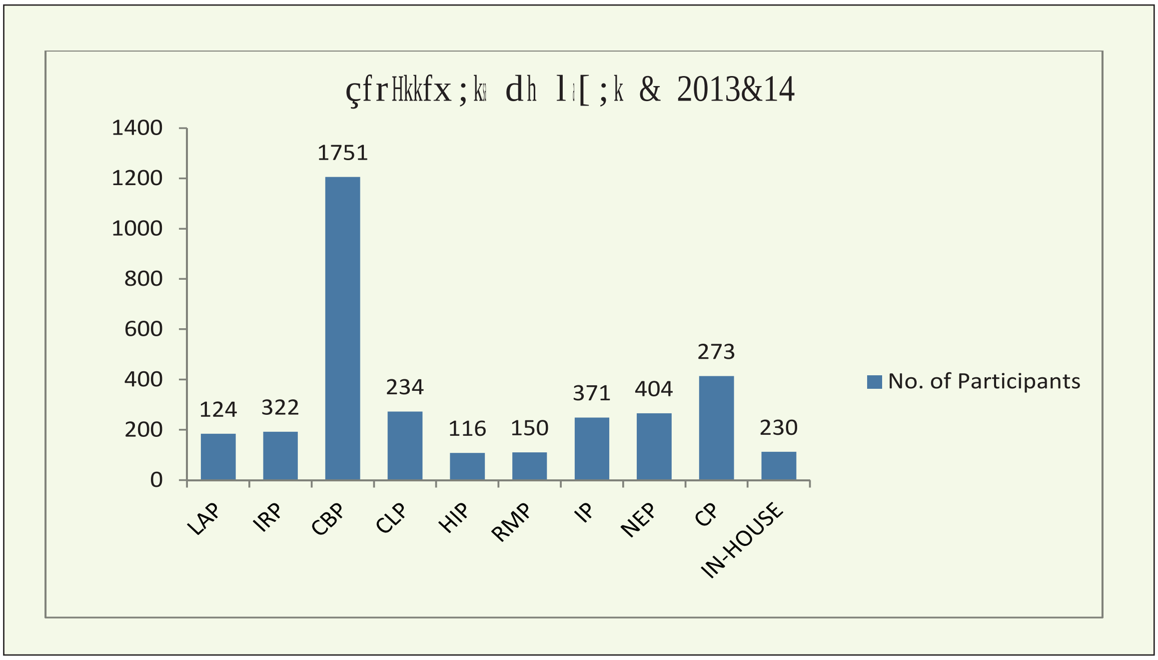
çfrHkkfx;k dh l[;k & 2013&14
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1751
124
322
234
116
150
371
404
273
230
No. of Participants
LAP
IRP
CBP
CLP
HIP
RMP
IP
NEP
CP
IN-HOUSE

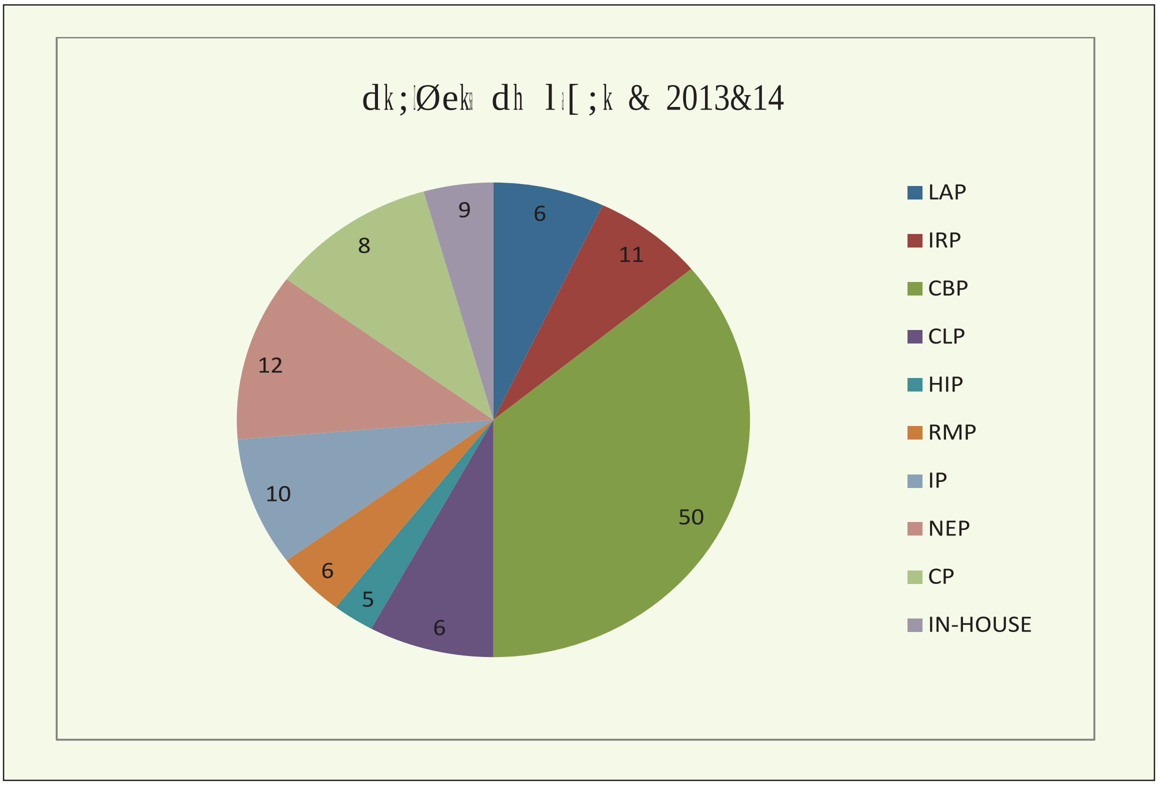
dk;Øek dh l[;k & 2013&14
6
11
50
6
5
6
10
12
8
9
LAP
IRP
CBP
CLP
HIP
RMP
IP
NEP
CP
IN-HOUSE

,u- vkj- M Je lpuk llk/ku dn

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने प्रयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता हैरू

1- Hkkfrd lEink

iLrd% अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक पुस्तकालय में 207 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र.पत्रिकाएं खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र–पत्रिकाओं की संख्या 64,444 तक पहुंच गई।

i=-if=dk,% पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान 193 व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और अखबारों का मुद्रित और इलैक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में, नियमित रूप से अंशदान किया।

2- lok,

पुस्तकालय निरंतर रूप से अपने उपभोक्ताओं के लिए निम्न सेवाएं बनाए रखता है:

- सूचना का चयनात्मक प्रचार–प्रसार (एसडीआई)
- वर्तमान जागरूकता सेवा
- ग्रन्थ विज्ञान सेवा
- आन–लाइन सेवा
- पत्रिकाओं का लेख सूचीकरण
- समाचार पत्रों के लेखों के कतरन
- माइक्रो फिच सर्च और प्रिंटिंग
- रिप्रोग्राफिक सेवा
- सीडी–रोम सर्च
- दृश्यश्रव्य सेवा
- वर्तमान विषय–वस्तु सेवा
- आर्टिकल अलर्ट सेवा
- लेंडिंग सेवा
- इंटर–लाइब्रेरी लोन सेवा

3- mRikn

पुस्तकालय प्रयोगकर्त्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है:

- **vkof/kd lkfgR; dh ekxZnf'kdk%** तिमाही अंतरूसंस्थान प्रकाशन, जो 175 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- **djsV tkx:drk cqysfVu%** तिमाही अंतरूसंस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- **vkfVZdy vyVZ lsok%** साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- **orZeku fo"k;- oLrq lsok%** यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय–वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- **vkfVZdy vyVZ%** यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।

4- fof'k"Vh—r lalk/ku dsUnz dk j[kj[kko

पुस्तकालय भवन में निम्नलिखित तीन विशिष्टीकृत संसाधन केंद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता है:

i) राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र

ii) राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र

iii) एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय संसाधन केंद्र

çdk'ku

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार–प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, अनियमित प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें निकालता है।

tuZy@i=&if=dk,¡

yscj ,.M Mosyies.V

लेबर एण्ड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

vokMZ~l Mkbt¹LV

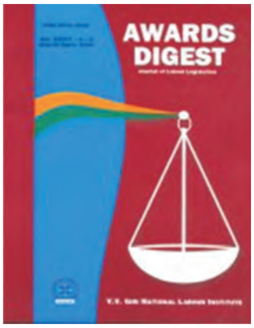

अवाड्र्स डाइजेस्ट एक द्विमासिक पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

Je fo/kku

श्रम विधान एक द्विमासिक हिन्दी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

bn/kuq"k

संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही फैकल्टी और अधिकारियों की शैक्षिक गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला जाता है।

pkbYM gksi

चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बालश्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए निकाला जा रहा है।

,u-,y-vkbZ- vuqla/kku v/;;u J`[kyk

संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 109 अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। 2013 में निकाली गयी एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला में शामिल हैं:

102/2013 त्रिपुरा में मनरेगा: दक्षता और साम्य का अध्ययन – इंद्रानील भौमिक

103/2013 जोखिमभरे रोजगारों में प्रवासी एवं तस्करी कर लाए गए बच्चे: नागालैंड का मामला–टी. चुभयांगर

104/2013 अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा: मुद्दे एवं नीतिगत विकल्प – राखी थिमोथी

105/2013 कार्य पर मौलिक सिद्धांत और अधिकार एवं भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: रुझान, पहल एवं चुनौतियां – धन्या एम. बी

106/2013 कोंकण, में खोटी–विरोधी आंदोलन, सी 1920 – 1942 – संतोष पंढारी सुरादकर

107/2013 त्रिपुरा में प्राकृतिक रबड़ की खेती का विस्तार: जोत, रोजगार एवं आय पर प्रभाव – एस. मोहनकुमार

108/2013 ग्रामीण अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं की कार्य प्रतिभागिता एवं समय–उपयोग पैटर्न – वंदना उपाध्याय

109/2013 आईएलओ अभिसमय 181: भारत में प्राईवेट नियोजन अभिकरणों के संदर्भ में मुद्दे एवं चुनौतियां – एलीना सामंतराय

Lkkef;d çdk'ku

संस्थान अपने अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के आधार पर सामयिक प्रकाशन भी निकालता है।

- **jkstxkj ij yksxksa ds fy, rhljh okf"kZd fjiksVZ ¼vxLr&fgUnh½**

रोजगार पर लोगों के लिए तीसरी वार्षिक रिपोर्ट, भारत की महामहिम राष्ट्रपति के निर्देशानुसार रोजगार से संबंधित मुख्य मुद्दों पर जन–चर्चा प्रारंभ करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह रिपोर्ट रोजगार पर लोगों के लिए पूर्ववर्ती दो वार्षिक रिपोर्टों के अनुसरण में तैयार की गई है।

इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य युवा रोजगार एवं बेरोजगारी के सूक्ष्म भेदों को समझना तथा युवा रोजगार के मुद्दों को हल करने के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता का उपयोग करना है। रिपोर्ट इस बात पर गौर करती है कि युवा बेरोजगारी से निपटने के उद्देश्य से मांग और पूर्ति, दोनो तरफ के मुद्दों को सुसंगत तरीके से हल किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा प्राप्ति और कौशल प्रशिक्षण एक प्रभावी श्रम आपूर्ति का सृजन कर सकते हैं, परन्तु यह सिर्फ समग्र विकास को बढ़ाने वाले वातावरण में ही सार्थक बन पाएगा। सरकार द्वारा युवा कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए कई नवाचारी योजनाएं शुरु करने के साथ, मुख्य चुनौती संबंधित पणधारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ जमीनी स्तर पर योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन में निहित है।

- **v.Meku vkSj fudksckj }hilewg esa dkS'ky ekufp=.k% vkiwfrZ ,oa ekax vUrjkyksa dk fu/kkZj.k**

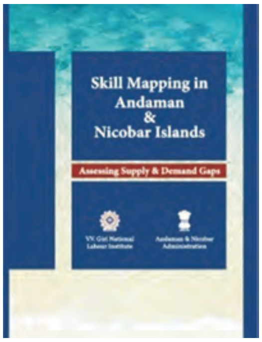

किसी भी अर्थव्यवस्था में तीव्र, अधिक समावेशी एवं संधारणीय विकास को प्राप्त करने हेतु कौशल विकास एवं उन्नयन प्रमुख पूर्व–शर्तें हैं। इसी संदर्भ में यह अध्ययन अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, एक खंडित द्वीपों वाली अर्थव्यवस्था, जो भौगांलिक एवं जलवायु संबंधी आपदाओं का सामना करता है, में कौशल के आपूर्ति एवं मांग अंतरालों का निर्धारण करने का प्रयास करता है।

यह अध्ययन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करता है: श्रम बल के कौशल संघटन का पता लगाना, कौशल विकास एवं उन्नयन हेतु मौजूदा संस्थागत तंत्र का मूल्यांकन करना, वर्तमान एवं भावी कौशल आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, कौशल के आपूर्ति एवं मांग अंतरालों के मिलान के लिए मौजूदा तंत्र की प्रभावकारिता का विश्लेषण करना, तथा आपूर्ति एवं मांग के सही मिलान के लिए नीति का प्रतिरूप तैयार करना।

खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर रोजगार की काफी संभावनाएं और मजबूत विकास उत्प्रेरण कड़ियां हैं, प्राईवेट निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ऐसे प्रमुख क्षेत्रों: निर्माण, परिवहन, भंडारण, संचार, समुद्रीय कार्यकलाप, तथा होटल एवं रेस्तराँ की पहचान की गई है। इसमें श्रम बाजार के परिणामों में सुधार करने, एवं कौशल विकास प्रणाली में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार के लक्ष्य को हासिल करने हेतु कौशल विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच बेहतर तालमेल की सिफारिश की गई है।

- cky Je ds mUewyu ds fy, lkekftd lqj{kk ;kstukvksa dk vfHklj.k

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अभिसरण विभिन्न राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का संकलन है। यह दस्तावेज आई एल ओ – कन्वर्जेन्स चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के एक घटक बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र की स्थापना के एक भाग के रूप में तैयार किया गया है।.

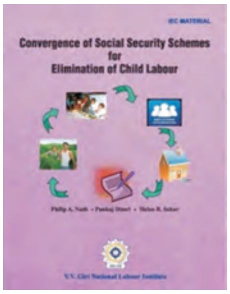

- cky Je dk le>uk

'बाल श्रम को समझना' को बाल श्रम पर बुनियादी सूचना को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि उसका उन सभी लोगों के द्वारा उपयोग किया जा सके जो विभिन्न क्षमताओं में बाल श्रम के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बाल श्रम की अवधारणा, परिमाण और बाल श्रम के रूपों, विधान और नीति, न्यायिक हस्तक्षेप और अन्य पहलों, जिनका लक्ष्य बाल श्रम का निवारण और उन्मूलन करना है, की समझ को बढ़ाना भी है।

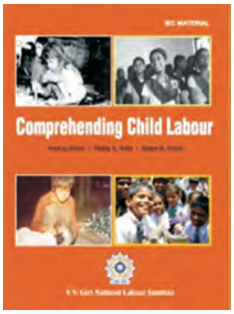

- cky Je vkSj fo/kk;h <kapk

बाल श्रम के निवारण तथा उन्मूलन पर लक्षित विधायी पहलों के महत्वपूर्ण पक्षों पर उपयोगी सूचना का संकलन और संग्रह है। बाल श्रम पर मूलभूत सूचना को एक जगह उपलब्ध कराने का विचार है, यह उन सभी के लिए उपयोगी होगी जो बाल श्रम की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं।

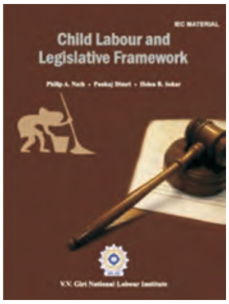

- cky Je vkSj LokLF; tksf[ke

'बाल श्रम और स्वास्थ्य जोखिम' नामक दस्तावेज को इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि कार्यस्थल पर बच्चों द्वारा सामना किए गए खतरों के बारे में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा जागरूकता लाई जा सके और जनसमुदाय के भिन्न–भिन्न वर्गों को संवेदनशील बनाने हेतु अन्य हस्तक्षेपों का सहारा लिया जा सके। इसके दायरे में कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र आते हैं तथा यह इन बाल श्रम बहुल क्षेत्रों में

चुनिंदा व्यवसायों से संबंधित कामकाजी परिस्थितियों और उनसे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों तथा खतरों को उजागर करने का प्रयास करता है। सतही स्तर, भूमिगत तथा पानी के नीचे के व्यवसायजन्य जोखिम इस दस्तावेज का एक भाग हैं।

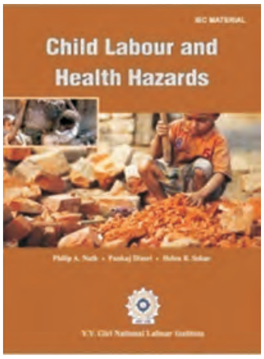

- **lelkef;d ifjn'; e dkexkjk d vf/kdkj ,o iFkk,i % ,d fogxkoykdu**

  इस पुस्तक में भारतीय श्रम बाजार में कामगारों के अधिकारों एवं प्रथाओं का सारांश प्रदान किया गया है। विशेषतया यह विभिन्न क्षेत्रों, खासकर कृषि कामगारों, अनियत कामगारों, औद्योगिक कामगारों के साथ–साथ बंधुआ और बाल श्रमिकों, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्य पर मातृत्व संरक्षण तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिकारों की कमी पर प्रकाश डालती है। वर्तमान संपादित पुस्तक में आठ पेपर शामिल हैं।

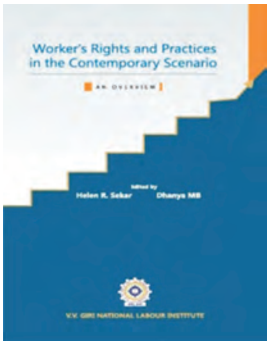

- **djy d fo'k"k lnHk e Hkkjr e dkt dkexkjk dk fu;kstu ,o lkekftd lj{k.k**

  काजू प्रसंस्करण उद्योग एक श्रमिक बहुल उद्योग है जिसमें समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला कामगारों को बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता है। भारत में काजू कामगारों की सबसे ज्यादा संख्या केरल में है। यद्यपि काजू कामगरों की कार्यदशाएं काफी समय से अध्ययन की विषय–वस्तु एवं नीतिगत सरोकार रही हैं, काजू कामगारों के जीवन को प्रभावित करने वाली असुरक्षितताएं, जिनमें स्वास्थ्य जोखिम एवं प्रभावी सामाजिक संरक्षण का अभाव हैं, आज तक विद्यमान हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कामगारों द्वारा सामना की जा रही इन समस्याओं एवं असुरक्षितताओं का सख्ती से विश्लेषण किया जाए तथा सुसंगत नीतिगत उपाय किए जाएं ताकि काजू कामगारों की कार्यदशाओं और जीवन–स्तर में सुधार लाया जा सके।

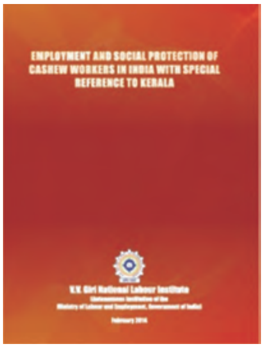

इसी संदर्भ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को केरल के विशेष संदर्भ में भारत में "काजू कामगारों का नियोजन एवं सामाजिक संरक्षण" पर एक अनुसंधान अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्ययन में काजू कामगारों की रोजगार दशाओं और सामाजिक संरक्षण में सुधार करने, तथा काजू प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार की स्थिरता को बनाए रखने के लिए कई लघु एवं मध्यम अवधि उपायों को अपनाने का सुझाव दिया गया है।

jktHkk"kk uhfr dk dk;kUo;u

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी उपबंधों तथा विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन.प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए “हिन्दी सेल” का गठन किया गया।

jktHkk"kk dk;kUo;u lfefr

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 27.05.2013, 23.09.2013, 17.12.2013 और 12.03.2014 को नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

fgUnh dk;Z'kkyk

संस्थान ने, अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिन्दी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कीं। कार्यशालाएं 31.05.2013, 09.09.2013, 13.12.2013 और 25.03.2014 को आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

frekgh fjiksVZ

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च 2013, 30 जून 2013, 30 सितम्बर 2013 और 31 दिसम्बर 2013 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों को नियमित आधार पर राजभाषा विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

fgUnh i[kokMk

संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा 16 सितम्बर 2013 से 30 सितम्बर 2013 तक आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें निबंध एवं पत्र लेखन, टिप्पण एवं आलेखन, सुलेख एवं श्रुतलेख, हिंदी काव्य पाठ, हिन्दी टंकण अथवा हिन्दी वर्तनी एवं वर्ग पहेली प्रतियोगिता, राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता तथा वाद–विवाद प्रतियोगिता शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। 30.09.2013 को समापन सत्र को संस्थान के महानिदेशक श्री वेद प्रकाश यजुर्वेदी ने संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने पुरस्कार वितरित किए।

Q|dYVh

संस्थान की फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

lLFkku dh Q|dYVh

	पार्थ प्रतिम मित्रा, एल.एल.बी., एम.ए.	महानिदेशक
1.	एस.के. शशिकुमार, एम.ए. पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
2.	पूनम एस. चौहान, एम.ए., पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
3.	हेलन आर. सेकर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
4.	संजय उपाध्याय, एल.एल.एम., पीएच.डी	फेलो
5.	रूमा घोष, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	फेलो
6.	अनूप के. सतपथी, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
7.	शशि बाला, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
8.	राखी थिमोथी, एम.फिल., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
9.	प्रियदर्शन अमिताव खुंटिया, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो
10.	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो
11.	रिन्जू रसाइली, एम.फिल., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
12.	एलीना सामंतराय, एम.फिल., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
13.	एम.बी. धन्या, एम.ए, पीएच.डी	एसोसिएट फेलो

vf/kdkjh

1.	जे.के. कौल, डीबीए. पीजीडीटीडी	कार्यक्रम अधिकारी
2.	हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए. (वित्त), एआईसीडब्ल्यूए	लेखा अधिकारी
3.	वी.के. शर्मा	सहायक प्रशासन अधिकारी
4..	एस.के. वर्मा, एम.एससी., एम.एल.आई.एससी.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी

ys[kk ijh{kk fjiksVZ
vkSj
ys[kkijhf{kr okf"kZd ys[kk
2013&14

31 ekp 2014 dk lekIr o"k d fy, oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk ¼xkre c) uxj½ d y[kkvk ij Hkkjr d fu;=d ,o egky[kk-ijh{kd dh vyx y[kk&ijh{kk fjikV

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा.परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, (संस्थान) नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के संलग्न तुलन–पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखा.परीक्षा की है। यह लेखा–परीक्षा 2013–14 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा.परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस अलग लेखा.परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा.परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य–निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखा–परीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा.परीक्षक की लेखा–परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, भारत में आमतौर पर अपनाए गए लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार लेखा.परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा. परीक्षा की योजना बनाएं और लेखा–परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखा–परीक्षा में, एक परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में अभिव्यक्ति शामिल है। लेखा–परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करने के साथ.साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा–परीक्षा उचित तथ्यों पर आधारित है।

4. अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

i हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा–परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी;

ii इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रपत्र पर बनाया गया है;

iii हमारी राय में, जहां तक ऐसी लेखाबहियों की जांच से पता चलता है, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा लेखाओं की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

iv हम आगे सूचित करते हैं कि:

¼d-½ lgk;rk vuqnku

वर्ष के दौरान प्राप्त कुल सहायता अनुदान रु. 925.00 लाख (रु. 600.00 लाख का योजनागत एवं रु. 325.00 लाख का गैर–योजनागत अनुदान) में से संस्थान ने रु. 805.00 लाख (रु. 480. 00 लाख का योजनागत एवं रु. 325.00 लाख का गैर–योजनागत अनुदान) का उपयोग किया तथा इस प्रकार 31.03.2013 को रु. 120.00 लाख का शेष रहा।

¼[k-½ çca/ku dk i=

उन कमियों, जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, को उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन की जानकारी में लाया गया है।

v पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

vi हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

अ. जहां तक यह दिनांक 31 मार्च 2014 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के कार्य के तुलन–पत्र से संबंधित है और

ब. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे की आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk-ijh{kd dh vksj ls

LFkku: y[kuÅ
fnukad% 11-12-2014

g-@
i/kku y[kkijh{kk funs'kd (dUnh;)

vuqca/k

1- vkUrfjd ys[kk ijh{kk dh i;kIrrk

वर्ष 2013–14 के लिए संस्थान की आन्तरिक लेखा परीक्षा को सनदी लेखाकार फर्म द्वारा पूरा किया। आन्तरिक लेखा परीक्षा मैन्युअल संस्थान द्वारा नहीं बनाया गया है।

2- vkUrfjd fu;a=.k iz.kkyh dh i;kIrrk

विनिर्धारित नियमों और विनियमों के अनुपालन, कार्यों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता के साथ–साथ मजबूत वित्तीय स्थिति जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में उचित आश्वासन देने के लिए आन्तरिक कंट्रोल प्रणाली प्रचालन में है।

3- vpy ifjlEifÙk;ksa ds izR;{k lR;kiu dh iz.kkyh

अचल सम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2013 – 14 तक कर लिया गया है।

4- oLrq&lwph ds izR;{k lR;kiu dh iz.kkyh

वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2013–14 तक कर लिया गया है।

5- lkafof/kd ns;rkvksa ds Hkqxrku esa fu;ferrk

आयकर अधिनियम, 1961 के स्रोत पर कटौती के प्रावधान के अंतर्गत ब्याज और शास्ति के संबंध में 2.50 लाख रुपये के सिवाय, संस्थान ने सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान किया है।

g-@

mi&ys[kkijh{kk funs'kd ¼dUnzh; 0;;½

,,ud ,.M ,lksfl,V~l
lunh ys[kkdkj
यूनिट नं. 6, द्वितीय तल, अरावली शॉपिंग सेन्टर, अलकनन्दा, नई दिल्ली–110019,
दूरभाषः 26027120

ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ

सेवा में,

महानिदेशक,

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

हमने 31 मार्च 2014 को यथा स्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संलग्न तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए भुगतान लेखा की लेखा–परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्था के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विविरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने, भारत में आमतौर पर अपनाए गए लेखा–परीक्षा करने के मानकों के अनुसार अपनी लेखा–परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा–परीक्षा की योजना बनाएं और लेखा–परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त है या नहीं। लेखा–परीक्षा में, परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटनें शामिल होते हैं। लेखा–परीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्तवपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा–परीक्षा हमारी राय के सबंध में उचित आधार प्रदान करती है।

हम सूचित करते हैंः

1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा–परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी।
2. हमारी राय में इन बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि संस्थान ने लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई हैं।
3. हमारी राय में इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैंः
   - i. जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2014 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के कार्य के तुलन–पत्र से संबंधित है।
   - ii. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान की आय से अधिक खर्चों के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है, और
   - iii. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान की प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा से संबंधित हैं।

कृतेः
एएनके एण्ड एसोसिएट्स (एफआरएन 003652एन)
सनदी लेखाकार

नीरज कुमार
सदस्यता सं. 082901
भागीदार, स्थानः नई दिल्ली, दिनांकः 12 जून 2014

oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] ukS,Mk
31 ekpZ 2014 dk ;FkkfLFkfr rqyui=

nkf;Ro,a	vuq-	31-03-2014 dks vuqlkj vkdMs	31-03-2013 dks vuqlkj vkdMs
पूँजीगत निधि	1	78,554,287.07	49,098,004.34
विकास निधि	2	63,902,343.24	58,286.549.54
आरक्षित एवं अधिशेष	3	12,477,555.83	11,526,658.27
उद्दिष्ट निधि	4	41,891,894.00	71,891,894.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5	54,363,479.00	35,889,761.00
;kx		251]189]559-14	226]692]867-15
ifjlEifÙk;k			
अचल परिसंपत्तियाँ (निबल ब्लॉक)	6	90,861,027.00	68,589,257.00
निवेशः उद्दिष्ट निधि	7	69,632,348.47	63,621,426.77
चालू परिसंपत्तियाँः ऋण एवं अग्रिम	8	90,696,183.67	94,482,147.38
;kx		251]189]559-14	226]692]867-15

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k]
vkdfLed nkf;Ro,o ys[kk dh fVIif.k;k 8
le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lca/k esa gLrk{kfjr
lunh ys[kkdkj ¼,Qvkj,u 003652 ,u½

g-@	g-@	g-@	g-@
uhjt dqekj	g"kZ flag jkor	oh- ds- 'kekZ	ikFkZ ifre fe=k
साझेदार (सद. सं. 082901)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 12 जून 2014

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk
31 ekp 2014 dk lekIr o"k d fy, vk; ,o 0;; y[kk

ब्यौरे	अनु.	31.03.2014 के अनुसार आंकड़े	31.03.2013 के अनुसार आंकड़े
vk;			
सहायता अनुदान	9	78,095,888.00	108,288,484.00
फीस एवं अंशदान	10	21,209,680.10	20,007,621.00
अर्जित ब्याज	11	361,082.01	62,906.47
अन्य आय	12	16,026,133.62	15,076,063.78
पूर्व अवधि आय	13	1,934,241.00	–
tkM ¼d½		117]627]024-73	143]435]075-25
0;;			
स्थाप्ना व्यय	14	43,976,070.00	64,484,318.00
प्रशासनिक व्यय	15	20,606,922.00	18,171,455.00
पूर्व अवधि व्यय	16	263,632.00	1,405,516.16
योजनागत अनुदान एवं सहायिकियों पर व्यय	17	45,595,888.00	78,988,616.00
tkM ¼[k½		110]442]512-00	163]049]905-16
मूल्यह्रास से पूर्व व्यय से अधिक आय ¼d&[k½		7,184,512.73	(19,614,829.91)
घटायें:			
मूल्यह्रास	6	10,399,626.00	10,305,784.00
शेष, जिसे घाटे के कारण पूंजी निधि में ले जाया गया		¼3]215]113-27½	¼29]920]613-91½

egRoi.k y[kk uhfr;k]
vkdfLed n;rk, ,o y[kk dh fVIif.k;k 18
le rkjh[k dh gekjh fjikV d lc/k e gLrk{kfjr
lunh y[kkdkj ¼,Qvkj,u 003652 ,u½

g-@	g-@	g-@	g-@
uhjt dekj	g"k flg jkor	oh- d- 'kek	ikFk ifre fe=k
साझेदार (सद. सं. 082901)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)	महानिदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनाँक: 12 जून 2014

oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku] uks,Mk
31 ekpZ 2014 dks lekIr o"kZ dh çkfIr;ksa ,oa Hkqxrku ys[kk

पिछला वर्ष 31.03.2013	प्राप्तियाँ	राशि (रुपये) 31.03.2014	पिछला वर्ष 31.03.2013	भुगतान	राशि (रुपये) 31.03.2014
	आदि शेष			व्यय	
23,264.95	हस्तगत रोकड़	58,477.95	34,795,148.00	स्थापना व्यय	41,390,448.00
	बैंक में शेष		17,623,501.00	प्रशासनिक व्यय	20,458,021.00
2,618,181.30	चालू खाता	6,025,789.08	45,013,879.00	योजनागत अनुदान का उपयोग	44,472,886.00
7,969,097.67	बचत खाता परियोजना	6,191,745.04	1,419,366.16	पूर्व अवधि व्यय	268,912.00
	बचत खाता – आईओबी	260,229,05			
	बचत खाता–कॉर्पोरेशन बैंक	63,922,26			
50,837,312.00	खाते में जमा–विकास निधि	58,286,549.54			
			2,379,727.00	अचल परिसंपत्तयाँ	2,666,897.00
21,863.00	हस्तगत डाकटिकट	39,430.00		विभिन्न परियोजनाओं के लिए	
	çkIr vuqnku		8,941,144.28	निधि से की गई अदायगियाँ	3,480,218.00
	भारत सरकार (श्रम एवं				
110,500,000.00	रोजगार मंत्रालय) से	92,500,000.00	1,008,981.00	अन्य अभिकरणः व्यय	2,257,918.00
6,687,991.00	अन्य एजेंसियों से	2,223,700.00			
779,292.00	अन्य परियोजनाओं से प्राप्तियाँ	3,655,274.50	423,060.00	LVkQ dks vfxze	215,257.00
	çkIr C;kt			विभागीय अग्रिम	988,140,00
5,885,033.00	विकास निधि	5,615,793.70		स्टाफ/अन्य संस्थानों से	
1,564,204.54	प्रोद्भूत ब्याज	–	54,750.00	वसूली का प्रेशण	–
21,471.00	वाहन अग्रिम	44,356.00			
28,692.00	बचत खाता	316,726.01		vU; Hkqxrku	
475,800.65	ब्याजः परियोजना लेखा	321,396.06	5,996,735.00	देय व्यय	–
15,831,968.00	Qhl@vf'kknku	22,936,521.10	409,935.00	जमा प्रतिभूति की वापसी	1,216,625.00
14,776,063.78	vU; vk;	16,026,133.62	30,000,000.00	ईएसआईसी/यूपीपीसीएल को	
				अग्रिम	–
–	पूर्व अवधि आय	1,861,521.00			
	विभागीय अग्रिम	830,230.00			
	vfxzeksa dh olwyh			vr 'ks"k	
173,170.00	स्टाफ से	697,876.00	58,477.95	हस्तगत रोकड़	14,197.95
	vU; çkfIr;k			cSad esa 'ks"k	
75,040.00	आयकर वापसी	276,720.00	6,025,789.08	चालू खाता	27,633,763.70
			260,229.05	बचत खाता – आईओबी	268,173.05
	सीपीडब्ल्युडी से वापसी	–	63,922.26	बचत खाता – कार्पोरेशन बैंक	68,908.27
522,000.00	जमा प्रतिभूति	2,673,253.00		ग्रेच्युटी खाता–1130025	3,010,673.00
160,727.00	एचबीए निधि से प्राप्त	–		छुट्टी का नकदीकरण–1130026	1,820,591,00
			39,430.00	हस्तगत डाक टिकट	24,121.00
	पुस्तकालय की पुस्तकों				
11,997.00	की वसूली	–	58,286,549.54	जमाः विकास निधि	63,902,343.24
29,200.00	वाहन की बिक्री	–	6,191,745.04	बचत खाता – परियोजना	6,747,550.00
218]992]369-36	tksM+	220]905]643-91	218]992]369-36	tksM+	220]905]643-91

पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है।

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k¡
vkdfLed nkf;Ro ,oa ys[kk dh fVIi.kh;k¡ 18
le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lac/k esa gLrk{kfjr
lunh ys[kkdkj (,Qvkj,u 003652 ,u)

g-@	g-@	g-@	g-@
uhjt dqekj	g"kZ flag jkor	oh- d- 'kekZ	iFkk ifre fe=k
साझेदार (सद. सं. 082901)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी (प्रभारी½	महानिदेशक

LFkku% ubZ fnYyh
fnukad% 12 tqu 2014

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uks,Mk
31 ekp 2014 dks lekIr o"kZ ds fy, ys[kk dh vuqlfp;k

vuqlph 1 & iqth fuf/k

		31-03-2014 dks vuqlkj vkdMs	31-03-2013 dks vuqlkj vkdMs
वर्ष के आरम्भ में शेष		49,098,004.34	76,780,694.25
जोड़ें: पूंजी निधि में अंशदान			
योजनागत अनुदानों से	32,423,163.00		
गैर-योजनागत अनुदानों से	14,805,00		
बाह्य परियोजनाओं से	233,428.00	32,671,396.00	2,447,870.00
पूर्ववर्ती वर्ष के समायोजन		—	(209,946.00)
आय से अधिक व्यय		(3,215,113.27)	(29,920,613.91)
tksM		78]554]287-07	49]098]004-34

vuqlph 2 & fodkl fuf/k

वर्ष के आरम्भ में शेष	58,286,549.54	51,857,556.54
जोड़ें:रू बैंक एफडीआर पर ब्याज	5,614,300.00	5,883,575.00
जोड़ें: बचत खाते पर ब्याज	1,533.00	1,458.00
जोड़ें: पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान समायोजित		
ब्याज हेतु प्रावधान	—	543,960.00
घटाएं : बैंक प्रभार	(40.00)	—
tksM	63]902]343-24	58]286]549-54

vuqlph 3 & vkjf{kr ,oa vf/k'ks"k ifjØkeh fuf/k

¼d½ ifjØkeh ,pch, fuf/k		
वर्ष के आरम्भ में शेष	4,890,280.93	4,508,618.93
जोड़ें: बैंक (एसबी, एफडीआर) से प्राप्त ब्याज	282,054.00	277,242.00
जोड़ें: एचबीए पर स्टाफ से प्राप्त ब्याज	94,627.00	104,420.00
tksM ¼d½	5]266]961-93	4]890]280-93

¼[k½ ifjØkeh dksI;Vj fuf/k		
वर्ष के आरम्भ में शेष	444,632.30	405,549.30
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	17,002.00	14,794.00
जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज	1,409.00	2,228.00
जोड़ें: स्टाफ से वसूला गया ब्याज	—	36,806.00
घटायें: पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान समायोजन	—	(14,745.00)
tksM+ ¼[k½	463]043-30	444]632-30

¼x½ ifj;kstuk fuf/k		
वर्ष के आरम्भ में शेष	6,191,745.04	7,969,097.67
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	3,655,274.50	7,024,171.00
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	321,396.06	475,800.65
घटायें: स्रोत पर काटा गया कर	—	(336,180.00)
घटायें: वर्ष के दौरान हुए व्यय, यदि कोई हो	(3,420,865.00)	(8,941,144.28)
tksM+ ¼x½	6]747]550-60	6]191]745-04
tksM+ ¼d [k Xk½	12]477]555-83	11]526]658-27

vuqlwph 4 & mn~fn"V fuf/k ¼py jgk dk;Z½

	31-03-2014 dks vuqlkj vkadM+s	31-03-2013 dks vuqlkj vkadM+s
वर्ष के आरम्भ में शेष	71,891,894.00	42,225,908.00
पूर्ववर्ती वर्ष की राशि	—	(334,014.00)
वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	(30,000,000.00)	30,000,000.00
tksM+	41]891]894-00	71]891]894-00

vuqlwph 5 & pkyw ns;rk,a ,oa çko/kku

d & pkyw ns;rk,a	31-03-2014 dks vuqlkj vkadM+s	31-03-2013 dks vuqlkj vkadM+s
ईएमडी और जमा प्रतिभूति	2,759,958.00	1,303,330.00
अनुदान योजनागत (अप्रयुक्त)	11,980,949.00	—
विविध कर्जदारों सहित बकाया देयताएं	4,491,608.00	2,116,923.00
tksM+ ¼d½	19]232]515-00	3]420]253-00
[k & çko/kku		
ग्रेच्युटी एवं छुट्टी का नकदीकरण के लिए प्रावधान	35,130,964.00	32,469,508.00
tksM+ ¼[k½	35]130]964-00	32]469]508-00
tksM+ ¼d$[k½	54]363]479-00	35]889]761-00

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je laLFkku] uks,Mk

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

vuqlwph 6 & vpy ifjlEifÙk;k¡

fooj.k		01-04-2013 dk ?kVrk eku	ifjo/kZu		o"kZ dk nkSjku gVk,	31-03-2014 dk tksM	dh jkf'k dk ?kVrk eku	eY;gkl 31-03-14
			03-10-13 rd	03-10-13 dk ckn				
भूमि*	0%	–	–	–	–		–	–
भवन	10%	45,163,044	–	31,824,723	–	76,987,767	6,107,541	70,880,226
फर्नीचर व फिटिंग्स	10%	4,980,548	–	–	–	4,980,548	498,055	4,482,493
उपकरण	15%	11,050,975	–	14,805	–	11,065,780	1,658,757	9,407,023
वाहन	15%	712,849	–	–	–	712,849	106,927	605,922
पुस्तकालय की पुस्तकें	25%	5,247,251	6,950	324,761	–	578,962	1,354,145	4,224,817
कंप्यूटर	60%	686,590	–	500,157	–	1,186,747	562,001	624,746
वेबसाईट	15%	748,000	–	–	–	748,000	112,200	635,800
		68]589]257	6]950	32]664]446	&	101]260]653	10]399]626	90]861]027

* भूमि को राज्य सरकार द्वारा 1981 में केद्र सरकार को दान में दिया गया था, इसलिए इसमें लागत शामिल नहीं है।

vuqlwph 7 & fuos'k ¼mn~fn"V fuf/k;k¡½

d- fodkl fuf/k		
सावधि जमा खाते	61,527,259.00	55,265,856.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज (टीडीएस सहित)	2,335,643.00	2,982,745.30
इंडियन ओवरसीज बैंक: एस.बी. खाता	39,441.24	37,948.24
tksM ¼d½	63]902]343-24	58]286]549-54

[k- ifjØkeh ,p-ch-,- fuf/k		
इंडियन ओवरसीज बैंक: एफडीआर	3,175,474.00	2,905,060.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	1,316.00	609.00
इंडियन ओवरसीज बैंक: एसबी खाता	267,534.93	144,296.93
स्टाफ को एचबीए अग्रिम	1,822,637.00	1,840,315.00
tksM ¼[k½	5]266]961-93	4]890]280-93

x- ifjØkeh dEI;wVj fuf/k		
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	446.093.30	423,091.30
स्टाफ को कंप्यूटर अग्रिम	16,950.00	21,541.00
tksM ¼x½	463]043-30	444]632-30
tksM ¼d$[k$x½	69]632]348-47	63]621]462-77

vuqlwph 8 & pkyw ifjlEifÙk;k] _.k ,oa vfxze

v- pkyw ifjlEifÙk;k		
d- udnh ,oa cSad esa 'ks"k	14,197.95	58,477.95
हस्तगत नकदी		
बैंक में शेषः		
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खातों में	27,633,763.70	6,025,789.08
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	268,173.05	260,229.05
कार्पोरेशन बैंकः एसबी खाता	68,908.27	63,922.26
ग्रेच्युटी खाता – 1130025	3,010,673.00	–
छुट्टी का नकदीकरण – 1130026	1,820,591.00	–
डाक टिकट खाता	24,121.00	39,430.00
tksM ¼d½	32]840]427-97	6]447]848-34

vuqlph 8 & pkyw ifjlifÙk;k] _.k ,o vfxe ¼iwoZi"B l tkjh---½

[k- ifj;kstuk fuf/k	31-03-2013 d vuqlkj vkdM	o"k d nkSjku çkIr jkf'k	cd C;kt	o"k d nkSjku 0;;	31-03-2014 d vuqlkj vkdM
vkbivkch e ,lch [kkrk					
एनआरसीसीएल खाता–4475	665,491.46	–	24,209.00	–	689,700.46
एफसीएनआर खाता–10500	65,567.50	798,959.00	5,987.00	90,000.00	780,514.00
आईएलओ इंडस बा.श्र.प.12726	16,771.00	–	656,00	40.00	17,387.00
आईएलओ-एचआईवी/एड्स की रोकथाम (पार्ट-IV) 12813	157,431.00	–	6,380.00	–	163,811.00
श्र. एवं रो.मं.-एनसीएलपी का मूल्यांकन –13004	563,788.00	–	17,688.00	175,000.00	406,476.00
श्र. एवं. रो. मं. 1396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन 14518	518,811.00	–	20,960.00	–	539,771.00
यूएनडीपी: दक्षिण एशिया में महिला प्रवासी कामगार–14517	69,968.00	–	3,030,00	–	72,998.00
श्र. एवं. रो. मं. प्रबंधन समीक्षा वीटीआईपी विश्व बैंक	481,276.00	–	19,443.00	–	500,719.00
रोजगार पर लोगों के लिए रिपोर्ट – 14685	578,715.00	–	24,345.00	–	603,060.00
dkiksjs'ku cd] ,lch [kkrk					
आईएलओ अभिसरण–120004	708,654.91	2,000.00	64,681.00	–	775,335.91
वीवीजीएनएलआई परामर्शी परि.–4099	101,852.00	802,128.00	8,132.00	617,795.00	294,317.00
वीवीजीएनएलआई कर्म.क.निधि –4098	1,085.00	–	44.00	–	1,129.00
ग्रा.वि.मं. भारत में ग्रामीण कामगार– 120003	1,072,573.17	1,472,305.00	70,066.06	2,073,986.00	540,958.03
आ.एवं श.ग. उ. मं.–शहरी गरीबी उपशमन– 2663	33,949.00	–	790.00	(4,035.00)	38,774.00
आईएलओ ज्ञान केंद्र –4548	1,155,812.00	579,882.00	54,985.00	468,079.00	1,322,600.00
tkM ¼[k½	6]191]745-04	3]655]274-50	321]396-06	3]420]865-00	6]747]550-60
tkM¼v½ ¼d$[k½	12]639]593-38				39]587]978-57

c- _.k ,o vfxe

	31-03-2013 d vuqlkj vkdM	o"k d nkSjku fn, x, vfxe	o"k d nkSjku olwyh@lek;kstu	31-03-2014 d vuqlkj vkdM
d- LVkQ dk				
त्यौहार अग्रिम	61,425.00	82,500.00	101,175.00	42,750.00
साईकिल अग्रिम	700.00	–		700.00
कार अग्रिम	524,005.00	–	77,209.00	446,796.00
स्कूटर अग्रिम	139,401.00	30,000.00	70,375.00	99,026.00
एलटीसी अग्रिम	14,000.00	102,757.00	81,757.00	35,000.00
चिकित्सा अग्रिम	366,660.00	–	366,660.00	–
tkM ¼[k½	1]106]191-00	215] 257-00	697]876-00	623]572-00

vuqlwph 8 & pkyw ifjlEifRr;k¡] _.k ,oa vfxze ¼iwoZ i"B ls tkjh---½

[k- ckgjh ,tsfUl;ksa dks				
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 1996–97	926,516	–	–	926,516
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 1998–99	238,693	–	–	238,693
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम–योजनागत 1999–2000	100,000	–	–	100,000
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2000–01	3,376,213		–	3,376,213
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2005–06	3,755,713	–	–	3,755,713
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2009–10	1,527,750	–	–	1,527,750
ईएसआईसी को अग्रिम –योजनागत 2010–11	14,142,712	–	–	14,142,712
ईएसआईसी को अग्रिम –योजनागत 2011–12	17,824,297	–	–	17,824,297
यूपीपीसीएल को अग्रिम –योजनागत 2012–13	30,000,000	–	30,000,000	–
tksM+ ¼[k½	71]891-894	&	30]000]000	41]891]894

	31-03-2014 dks vuqlkj vkdMs	31-03-2013 dks vuqlkj vkdMs
x- vU; vfxze		
बाहरी ऐजेंसियों को अग्रिम	218,588.00	368,117.00
व्यय (प्राप्ति): विविध		
बाहरी ऐजेंसियों की परियोजनाएं	630,517.10	451,265.00
स्रोत पर कर की कटौती	1,500,300.00	1,314,140.00
विभागीय अग्रिम (एन.पी.)	143,260.00	150.00
विभागीय अग्रिम (पी.)	14,800.00	–
प्राप्य बिल	4,289,002.00	5,484,451.00
पूर्वदत्त खर्चे	1,796,272.00	1,226,346.00
tksM+ ¼x½	8]592]739-10	8]844]469-00
tksM+ ¼v$c½	90]696]183-67	94]482]147-38

oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je lLFkku] uks,Mk

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

vuqlwph 9 & lgk;rk vunku

	31-03-2014 dks vuqlkj vkadMs	31-03-2013 dks vuqlkj vkadMs
xSj&;kstukxr		
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	32,500,000.00	29,300,000.00
;kstukxr		
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)	54,000,000.00	75,700,000.00
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) एन.ई.	6,000,000.00	5,500,000.00
tksM+	92,500]000-00	110]500]000-00
घटाएंः पूंजीकृत सहायता अनुदान	2,423,163.00	2,211,516.00
घटाएंः अनुदान (अप्रयुक्त)	11,980,949.00	—
tksM+	14]404]112-00	2]211]516-00
vk; vkSj O;; [kkrs esa n'kkZ;h x;h jkf'k;k¡	78]095]888-00	108]288]484-00

vuqlwph 10 & Qhl ,oa vfHknku

शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क	21,154,655.10	19,943,946.00
अवार्ड्स डाइजेस्ट अभिदान	18,500.00	27,950.00
लेबर एंड डेवलपमेंट अभिदान	17,225.00	12,525.00
श्रम कानून.शब्दावली की बिक्री से प्राप्तियाँ	6,500.00	14,500.00
श्रम विधान अभिदान	10,600.00	6,100.00
अन्य प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्तियाँ	2,200.00	2,600.00
tksM+	21]209]680-10	20]007]621-00

vuqlwph 11 & vftZr C;kt

स्कूटर/वाहन अग्रिम पर ब्याज	44,356.00	29,470.00
प्राप्त ब्याज	316,726.01	33,436.47
tksM+	361]082-01	62]906-47

vuqlwph 12 & vU; vk;

गैर–योजनागत आय	4,126,976.00	3,100,848.00
हॉस्टल के उपयोग से आय	10,462,269.00	7,525,900.00
निविदा फार्मों की बिक्री	40,350.00	68,500.00
फोटोस्टेट से आय	491,283.00	269,885.00
अप्रयोज्य मदों की बिक्री	123,251.00	923,311.00
स्टाफ क्वार्टरों से किराया.लाइसेंस शुल्क	120,210.00	154,396.00
बाहरी परियोजनाओं से आय (बंद)	—	872,466.78
अन्य प्राप्तियाँ	352.00	28,500.00
फैकल्टी परामर्श प्रभार	236,442.62	1,682,257.00
परिसर के उपयोग से आय	425,000.00	450,000.00
tksM+	16]026]133-62	15]076]063-78

vu|lph 13 & iol vof/k vk;

	31-03-2014 d| vu|lkj vkdM|	31-03-2013 d| vu|lkj vkdM|
पूर्व अवधि आय	1,934,241.00	—
	1]934]241-00	&

vu|lph 14 & LFkkiuk 0;;

स्टाफ को वेतन	34,654,698.00	27,873,514.00
भत्ते एवं बोनस	3,001,222.00	3,972,177.00
सीपीएफ में अंशदान	—	40,973.00
एनपीएफ में अंशदान	2,623,186.00	2,120,410.00
कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर व्यय एवं सेवांत्त लाभ	3,275,289.00	29,426,200.00
प्रतिनियुक्ति स्टाफ का छुट्टी वेतन एवं पेंशन	421,675.00	463,683.00
एमएसीपी का बकाया (छठा वेतन आयोग)	—	587,361.00
tkM	43]976]070-00	64]484]318-00

vu|lph 15 & ç'kklfud 0;;

विज्ञापन एवं प्रचार	27,800.00	112,876.00
भवन मरम्मत और उन्नयन	1,232,944.00	1,028,729.00
विद्युत एवं पॉवर प्रभार	4,782,516.00	4,206,630.00
हिंदी प्रोत्साहन व्यय	221,792.00	153,794.00
बीमा	93,050.00	89,605.00
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	100,000.00	84,270.00
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	229,860.00	244,318.00
विविध व्यय	84,095.00	120,058.00
प्रदत्त प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	10,599,621.00	7,591,113.00
फोटोस्टेट व्यय	227,982.00	455,110.00
डाक टिकट, तार और संचार प्रभार	17,044.00	104,503.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	497,267.00	604,498.00
नई परिसंपत्तियों की खरीद	14,805.00	53,637.00
ejEer ,o j[kj[kko		
क. कंप्यूटर	9,700.00	63,051.00
ख. कूलर/ए.सी	166,375.00	160,400.00
ग. कार्यालय भवन और संबंद्ध	359,373.00	557,289.00
स्टाफ कल्याण व्यय	150,805.00	131,765.00
टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार	547,277.00	577,491.00
यात्रा एवं वाहन भत्ता संबंधी खर्चे	560,861.00	1,196,213.00
वाहन चालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चे	345,588.00	297,998.00
जल प्रभार	338,167.00	338,107.00
आय और व्यय लेखों में अंतरित धनराशियां	20,606,922.00	18,171,455.00
पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत	14,805.00	53,637.00
tkM	20]592]117-00	18]117]818-00

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचिया

vu|lph 16 & i|o| vof/k 0;;

	31-03-2014 d| vu|lkj vkdM	31-03-2013 d| vu|lkj vkdM
पूर्व अवधि व्यय	263,632.00	1,405,516.16
	263]632-00	1]405]516-16

vu|lph 17 & ;ktukxr vu|nku Ikj 0;;

d- vu|l/kku] f'k{kk vkj çf'k{k.k		
अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन	8,657,176.00	9,118,458.00
शिक्षण कार्यक्रम	14,044,524.00	13,086,097.00
ग्रामीण कार्यक्रम	3,252,312.00	1,930,232.00
सूचना प्रौद्योगिकी	818,668.00	1,086,266.00
परिसर सेवाएं	10,596,315.00	18,425,890.00
tkM ¼d½	37]368]995-00	43]646]943-00
[k- iokŸkj jkT;k d fy, dk;Øe@ifj;ktuk,		
शिक्षण कार्यक्रम	5,316,642.00	4,365,263.00
परियोजनाएं; जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी/ अवसंरचनाएं/प्रकाशन शामिल हैं)	1,313,062.00	1,096,587.00
tkM ¼[k½	6]629]704-00	5]461]850-00
x- iLrdky; lfo/kkvk dk c<kuk		
पत्र/पत्रिकाओं का अभिदान	1,885,509.00	1,452,901.55
पुस्तकें	98,283.00	344,795.45
पुस्तकालय का विस्तार/आधुनिकीकरण	211,837.00	293,642.00
tkM ¼x½	2]195]629-00	2]091]339-00
?k- volj puk		
हॉस्टल ब्लॉकः नवीकरणः ईएसआईसी को अग्रिम	1,824,723.00	30,000,000.00
tkM ¼?k½	1,824,723.00	30,000,000.00
;ktukxr vu|nku Ikj d|y 0;; ¼d l ?k½	48]019]051-00	81]200]132-00
घटाएं: पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत	2,243,163.00	2,211,516.00
	2,243,163.00	2,211,516.00
vk; 0;; [kkrk e jde dk vrj.k	45]595]888-00	78]988]616-00

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uks,Mk
31 ekpZ 2014 dks lekIr o"kZ ds fy, ys[kk dh vuqlwfp;k

vuqlwph la- 18 % egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k ,oa ys[kk ij fVIif.k;k

d- egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k

1- foŸkh; vkfpR; ds ekud

हर स्तर पर वित्तीय आदेश एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करने के क्रम में सभी संगत वित्तीय मानकों का, जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसे स्वायत्त संस्था के लिए निर्धारित हैं, पालन किया जाता है।

2- foŸkh; fooj.k

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय अन्यत्र बतायी गई और अनुप्रयोज्य लेखाकरण मानकों पर आधारित सीमा के। संस्थान के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा एवं तुलनपत्र शामिल हैं।

3- vpy ifjlEifŸk;k

अचल परिसम्पतियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया था और इसलिए इसे तुलनपत्र में शून्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

4- eY;gkl

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को निम्नलिखित दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर किया जाता है।

ifjlEifŸk;ksa dh Js.kh	eY;gkl dh nj
भवन	10%
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
कार्यालय उपकरण	15%
वाहन	15%
पुस्तकालय की पुस्तकें	25%
कम्प्यूटर एवं सहायक यंत्र	60%

5- iwoZ vof/k lek;kstu

01.04.2010 से लेखाकरण प्रणाली के नकदी लेखाकर प्रणाली से प्रोद्भूत लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के कारण पूर्व अवधि समायोजनों के प्रभाव को संस्थान के अंतिम लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

6- oLrq lwfp;k

वस्तु सूचियों, जिनमें वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखनसामग्री/विविध स्टोर मदें शामिल हैं, को राजस्व लेखा में प्रभारित हैं।

7- deZpkjh fgrykHk

संस्थान ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार फरवरी 2012 से भारत सरकार की नई पेंशन योजना को चुना है।

[k- ys[kkvksa ij fVIif.k;k

1- ys[kkadu dk vk/kkj

31.03.2010 को समाप्त वर्ष तक संस्थान जो एक गैर–लाभ वाला संगठन है, के लेखों को नकदी आधार पर तैयार किया जाता था। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया, जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010–11 से संस्थान के लेखे प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जा रहे हैं और इनमें निम्न को छोड़कर तदुनसार प्रावधान किए गए हैं:

क. केद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को देय वेतनों एवं भत्तों को प्रदत्त आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. खरीदी गई लेखन सामग्री एवं अन्य मदों को नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2- lgk;rk vuqnku

संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता अनुदान (योजनागत एवं गैर.योजनागत) प्राप्त करता है और उपयोजन प्रमाणपत्र हर वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। संस्थान ने 600 लाख रुपये का योजनागत अनुदान प्राप्त किया जिसमें से 60 लाख रुपये पूर्वोत्तर राज्यों, 49 लाख रुपये अनुसूचित जनजाति उप योजना (टीएसपी) तथा 98 लाख रुपये अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए निर्धारित थे। 1,19,80,949.00 रुपये के अप्रयुक्त अनुदान का प्रतिदाय/समायोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जाना है।

3- iwath ,oa jktLo y[kk

पूंजी स्वरूप के व्यय को सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित दिशा.निर्देशों अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आदेश के अनुसार हमेशा राजस्व व्यय से अलग रखा जाता है।

4- fofo/k nkunkj vkSj fofo/k ysunkj

संस्थान, व्यावसायिक कार्यकलाप एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें अन्य संस्थानों, मंत्रालय एवं विभाग आदि द्वारा प्रायोजित किया जाता है और ऐसी एजेंसियों की ओर से व्यय प्राप्त करता है। इन एजेंसियों से अग्रिमों अथवा ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति को प्राप्तियां अथवा भुगतान–बाहरी कार्यक्रम अथवा एजेंसी शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है।

5- vpy ifjlEifÙk;k¡ ,oa ewY;gzkl

क. अचल परिसम्पतियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान ह्रासित मूल्य आधार पर लेखाकरण नीतियों (उपरोक्त) के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित मूल्यह्रास प्रदान कर रहा है और मूल्यह्रास को लेखाकरण वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों के परिवर्धन और/अथवा विलोपन को समंजित करने के बाद अथवा डब्ल्यू.डी.वी. पर प्रभारित किया जाता है।

ख. मूल्यह्रास को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के आधे दरों पर प्रभारित किया गया है, जिन्हें वर्ष के दौरान 180 से कम दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। 10,000 रुपये से कम लागत वाली परिसम्पत्तियों को राजस्व लेखा में प्रभारित किया जाता है।

6- ifjlEifÙk;ksa dk iR;{k lR;kiu

संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का अस्तित्व इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समिति द्वारा प्रमाणित होता है।

7- ljdkjh /ku dk #duk

संस्थान ने कार्यकारी इंजीनियर के.लो.नि.वि., नौएडा मण्डल को संस्थान में विभिन्न सिविल कार्यों एवं इलैक्ट्रिकल कार्यों आदि के निर्माण/नवीकरण हेतु 1996–97 से 2009–10 तक के वर्षों के दौरान अग्रिम के रूप में 99,24,885.00 रुपए की राशि अग्रिम में दी थी। उक्त अग्रिम का उपयोग अभी भी के.लो.नि.वि. से प्रतीक्षित है। संस्थान को के.लो.नि.वि. से यह अग्रिम वसूल करने की सलाह दी जाती है। इस वर्ष के दौरान संस्थान ने आधारिक संरचना के कार्यों के लिए मैसर्स यूपीपीसीएल के लिए चिह्नित 3,17,23,599 रुपये का समायोजन किया। संस्थान के प्रबंधन ने कार्यों में कमियों के कारण (प्रबंधन की प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर) एक चार्टर्ड एकाउटेंट

फर्म से राय ली थी जिसने इसके लिए 16,58,649.59 रुपये की कटौती करने का सुझाव दिया। संस्थान के प्रबंधन ने कमियों एवं चार्टर्ड एकाउटेंट फर्म द्वारा बतायी गयी विसंगतियों की पुष्टि करने के बाद यूपीपीसीएल के बिल से 11,09,553.85 रुपये की कटौती की।

8- संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान 31.03.2014 तक की अवधि तक उपदान एवं देय अर्जित अवकाश का प्रोद्भूत आधार पर प्रावधान किया है क्योंकि पिछले वर्षों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। 31.03.2012 तक 2,89,78,100.00 रुपए की राशि को देनदारियों के रूप में दिखाया गया था और वर्ष के दौरान उसका प्रावधान किया गया है।

fooj.k	31-03-2014 rd iko/kku	31-03-2013 rd iko/kku
minku	20,646,113.00	18,835,191.00
vftZr vodk'k	14,484,851.00	13,634,317.00
	35]130]964-00	32]469]508-00

9- vk;dj fooj.kh

संस्थान ने 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए आय की विवरणी दायर की थी।
संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान अपनी तिमाही टीडीएस विवरणी दायर की थी।

10- vkxs ys tk;k x;k vf/k'ks"k

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थान को योजनागत एवं गैर योजनागत कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदानों को राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से प्रचालित किया जाता है और उसी वर्ष में इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, जिस वर्ष में इसे स्वीकृत किया जाता है। परिणामतः संस्थान के पास अगले वर्ष हेतु आगे ले जाने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्यों के लिए निर्धारित निधि, जो वर्ष के अंत तक पूरी तरह खर्च नहीं की गयी थी, को अगले वर्ष हेतु आगे ले जाया जा रहा है।

11- vkdfLed ns;rk,a

संस्थान की आयकर अधिनियम, 1961 के टीडीएस उपबंध के तहत ब्याज एवं अर्थदंड के संबंध में 2,50,082.00 रुपये की आकस्मिक देयता है। मामला आयकर आयुक्त (अपील) गाजियाबाद के समक्ष अपील में लंबित है।

12- पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

vuqlwph 1 ls 18 gLrk{kfjr

—rs ,,udks ,.M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार (एफआरएन 003652एन)

g-@	g-@	g-@	g-@
uhjt dqekj	g"kZ flag jkor	oh- dss- 'kekZ	ikFkk ifre fe=k
साझेदार (सद. सं. 082901)	लेखा अधिकारी	प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)	महानिदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 12 जून 2014

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201 301
उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट : www.vvgnli.org